

हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना

दिनांक 15 जुलाई, 2022

संख्या. 9/24/2022-4C-II हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 392 छ के खण्ड (16) तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खण्ड (xv) के साथ पठित धारा 200 के खण्ड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 9/24/2022/4C-II, दिनांक 04 अप्रैल, 2022, के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम विज्ञापन (संशोधन) उप-विधियां, 2018 को आगे संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित उप-विधियां बनाते हैं, अर्थात्:—

उपविधियां

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ
तथा लागूकरण।

- 1 (1) ये उप-विधियां हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उप-विधियां, 2022, कही जा सकती हैं।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।
(3) ये हरियाणा राज्य में सभी, नगरपालिकाओं पर लागू होंगी।

परिभाषाएं।

- 2 (1) इन उप-विधियों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
- “अधिनियम”** से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा मामले में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16); जैसी भी स्थिति हो;
 - “अभिस्वीकृति ओ.एम.डी”** से अभिप्राय है, बाहरी मीडिया यन्त्र, जो ऐसी संरचना के प्रबन्ध या रख-रखाव के बदले में सड़क के मध्य अथवा राउण्डअबाउट पर विज्ञापन का प्रदर्शन करने के लिए संस्था को अभिस्वीकृति देता है;
 - “विज्ञापन”** से अभिप्राय है, बहिष्कृत मीडिया के अधधीन विनियमित क्षेत्र में तथा/या सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक गली से दृष्टिगोचर मीडिया यन्त्र पर प्रदर्शित तथा भूमि के किसी स्थान, भवन, आकाशी क्षेत्र, जल से जनसाधारण को दृष्टिगोचर कोई शब्द, या उसका संकेत-चिह्न, अक्षर, लोगो, प्रतीक, संकेत, अंक, चित्र, झाईंग या अन्य सचित्र प्रदर्शन या प्रकाश या ध्वनि द्वारा कोई प्रदर्शन;
 - “विज्ञापन”** से अभिप्राय है, किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने का कार्य या प्रक्रिया;
 - “सूचना पट्ट/होर्डिंग”** से अभिप्राय है, किसी विज्ञापन पट्ट के रूप में विज्ञापन के लिए स्थान सहित बाहरी मीडिया यन्त्र तथा जहां ऐसा पट्ट किसी संरचना या तो भूमि या भवन पर इसकी नींव के साथ तैयार किया गया है;
 - “भवन लाइन”** से अभिप्राय है, लाइन, जिस तक किसी भवन की कुरसी विधिचत रूप से उस दिशा में बढ़ाई जा सकती है, जो गली या गली के विस्तार या आगामी निर्माण के लिए आबंटित (ईयरमार्क) या आरक्षित भूमि की पट्टी के साथ लगती है तथा ऐसी लाइन, अधिकारिता या शक्ति रखने वाले राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना या समन्वय योजना या स्कीम में वर्णित है;
 - “वाहन मार्ग”** से अभिप्राय है, पक्के भाग में आने वाली सड़क की चौड़ाई;
 - “वाणिज्यिक भवन”** से अभिप्राय है, कारबार, व्यापार या वाणिज्य के लिए पूर्णतः या भागतः प्रयुक्त या निर्मित या प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिगृहित या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित कोई भवन;
 - “प्रदर्शन”** से अभिप्राय है, स्थान, जिस पर विज्ञापन लगाया गया है, पर ध्यान दिए बिना जनसाधारण को दृष्टिगोचर कोई विज्ञापन;
 - “इलैक्ट्रॉनिक होर्डिंग”** से अभिप्राय है, कम्प्यूटर प्रोग्राम तथा साफ्टवेयर या किसी अन्य साधन से लगातार विषय प्रदर्शन करने, प्रदर्शन तथा सूचनात्मक संदेश देने के लिए एल.ई.डी (लाईट ऐमीटिंग डायोड) या एल.सी.डी (लीकवीड क्रीस्टल डीस्पले) या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक स्रोत से प्रदर्शन करने वाला कोई बाहरी मीडिया यन्त्र;
 - “संस्था”** से अभिप्राय है, कोई आवेदक, जो पंजीकृत संगठन, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, भागीदारी या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन निगमित कम्पनी हो सकती है, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर विज्ञापन का प्रदर्शित करने का इरादा रखती है;
 - “अग्रभाग”** से अभिप्राय है, भवन का अग्र/बाहरी भाग;
 - “गॅत्री”** से अभिप्राय है, सड़क के आर-पार निर्मित संरचना तथा सामान्यतः सड़क के दोनों ओर खंभों के सिरों को जोड़ने वाले बीम (शहतीर) के आकार के खंड सहित सड़क के दोनों तरफ स्थिर धातु खंड के खंभों से निर्मित;
 - “गॅत्री विज्ञापन”** से अभिप्राय है, यातायात के परिचालन की दिशा के विपरीत अग्रभाग पर किसी विज्ञापन का प्रदर्शन करने वाली गॅत्री;
 - “ग्राउन्ड ओ.एम.डी”** से अभिप्राय होगा, किसी भवन, अस्थाई संरचना पर निर्मित या चित्रित, भूमि पर लगी/जड़ित स्कीन या घेरे से असंलग्न तथा जनसाधारण को दृष्टिगोचर, कोई बाहरी मीडिया यन्त्र;
 - “भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी)”** से अभिप्राय है, भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा, समय-समय पर बनाई गई लागू संहिता, विनियम तथा जारी किए गए निर्देश;
 - “हितबद्ध पक्षकार”** से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति या कोई पंजीकृत संगठन, फर्म, भागीदारी या कोई कम्पनी, जिसने इन उप-विधियों के अनुसार ओ.एम.डी के प्रदर्शन के लिए किसी आवेदन के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी या कोई आक्षेप या कोई शिकायत प्रस्तुत की है या प्रतिवेदन किया है;
 - “चौराहा”** से अभिप्राय है, उसी स्तर का जंक्शन, जहां दो या उससे अधिक सड़कें या तो मिलती हैं या पारगमन (क्रॉसिंग) करती हैं;
 - “शामियाना ओ.एम.डी”** से अभिप्राय है, किसी शामियाना छतरी या किसी भवन से प्रक्षेपित तथा समर्थित और भवन दीवार, भवन लाइन से आगे विस्तारित अन्य कवरड संरचना से संलग्न या लटका हुआ कोई बाहरी मीडिया यन्त्र;
 - “बहुविध ओएमडी”** में शामिल है, किसी एकल ओएमडी संरचना पर या एकल परिसर में बहुविध ओएमडी संरचना पर एक से अधिक विज्ञापनों वाली ओएमडी;
 - “भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता या (एन.बी.सी)”** से अभिप्राय है, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम;

- (xxii) "ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल" से अभिप्राय है, इन उप-विधियों के लिए राज्य में सभी नगरपालिकाओं के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल;
- (xxiii) "ओ.एम.डी" से अभिप्राय है, उप-विधि 3 में यथा उपवर्णित बाहरी मीडिया यन्त्र;
- (xxiv) "स्वामी" से अभिप्राय है, सम्पत्ति का स्वामी तथा इसमें हरियाणा कक्ष-समूह स्वामित्व अधिनियम, 1983 (1983 का 10) के अधीन स्वामियों का संगठन भी शामिल है;
- (xxv) "अनुज्ञा प्रभार" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट प्रभार, जो नगरपालिकाओं द्वारा हरियाणा नगर-निगम अधिनियम 1994 (1994 का 16) की धारा 122 तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 70, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए उद्ग्रहीत किए जाने हैं;
- (xxvi) "सम्पत्ति" से अभिप्राय है, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में कोई भूमि या भवन या उसका कोई भाग;
- (xxvii) "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्राय है, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 122 में प्रभाषित स्थान;
- (xxviii) "सार्वजनिक दृष्टि" से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र, जिसे सहज ही देखा जा सकता है तथा ऐसे किसी क्षेत्र के भीतर व्यक्ति/वस्तु/प्रदर्शन को सार्वजनिक स्थान से देखने पर दृष्टि से पहचाना जा सकता है;
- (xxix) "आरक्षित मूल्य" से अभिप्राय है, नगरपालिका द्वारा निर्दिष्ट किया गया प्रत्येक साइट की नीलामी के प्रयोजन के लिए ओ.एम.डी का न्यूनतम मूल्य, जो समय-समय पर सरकार द्वारा दिशानिर्देशों द्वारा जारी किया जाएगा;
- (xxx) "पंजीकरण प्रभार" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रभार जो ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए किसी संस्था द्वारा भुगतान किए जाने है, जो अप्रतिदेय होगा;
- (xxxi) "पंजीकृत संस्था" से अभिप्राय है, उप-विधि 15 के अधीन ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल पर पंजीकृत कोई संस्था;
- (xxxii) "सूचीबद्ध स्वामी" से अभिप्राय है, अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमाओं से बाहर स्वतः-विज्ञापन के लिए ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल पर सूचीबद्ध या/तथा नीलामी में तृतीय पक्षकार के विज्ञापन के लिए पोर्टल पर उसे सूचीबद्ध करने हेतु नगरपालिकाओं को अपनी सम्पत्ति का प्रस्ताव करने वाला सम्पत्ति का स्वामी;
- (xxxiii) "विनियमित क्षेत्र" से अभिप्राय है, नगरपालिका की अधिकारिता में आकाशी क्षेत्र सहित भौगोलिक क्षेत्र;
- (xxxiv) "रास्ता अधिकार (आर.ओ.डब्ल्यू)" से अभिप्राय है,
 (क) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा में, राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव करने वाले प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन भूमि की सीमा;
 (ख) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग से भिन्न सड़क की और मुख्य परिवहन मार्ग से ठीक सटी सर्विस लेन की दशा में, सर्विस लेन तथा मुख्य परिवहन मार्ग की परिवहन मार्ग की सीमा;
 (ग) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग से भिन्न और मुख्य परिवहन-मार्ग से ठीक सटी कोई सर्विस लेन नहीं होने की दशा में, मुख्य परिवहन मार्ग की परिवहन मार्ग सीमा;
- (xxxv) "सड़क यातायात चिह्न" से अभिप्राय है, सड़क के उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक सूचना हेतु कोई संकेत तथा इसमें विधि या भारतीय सड़क कांग्रेस (आई आर सी) द्वारा यथा परिकल्पित यातायात संकेत भी शामिल है;
- (xxxvi) "संवीक्षा फीस" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट की जाने वाली फीस, जो आवेदन की संवीक्षा के लिए आवेदन से संलग्न उद्गृहित की जानी है, जो अप्रतिदेय होगी;
- (xxxvii) "स्वतः विज्ञापन" से अभिप्राय है, सूचीबद्ध स्वामी द्वारा अपने व्यवसाय से सम्बन्धित तथा उप-विधि 5 के अनुसार प्रदर्शित विज्ञापन;
- (xxxviii) "सर्विस लेन" से अभिप्राय है, मुख्य परिवहन मार्ग के साथ-साथ तथा वाहनों के संचालन के लिए प्रयुक्त कोई सड़क;
- (xxxix) "मार्ग फर्नीचर विज्ञापन" से अभिप्राय है, किसी सार्वजनिक सुविधा या संरचना पर प्रदर्शित कोई विज्ञापन, जो विज्ञापन के लिए मुख्यतः आशयित नहीं है तथा इसमें या तो प्रत्यक्षतः चिपकाया हुआ/जोड़ा हुआ या पैनल (पट्ट) के रूप में विज्ञापन सहित ऐसे मार्ग फर्नीचर की कार्यात्मक आवश्यकता को पूरी करने के लिए उपयुक्त आकार तथा आकृति का बैठने वाले के लिए बैंच, पौधा बाक्स, पट्टी, कूड़ा-कचरा धानी, खम्बे से बंधी कूड़ा-कचरा धानी, सार्वजनिक परिवहन आश्रय, पट्टी क्लाक, उपनगरीय नाम यन्त्र तथा मार्ग नाम, पेयजल स्रोत इत्यादि भी शामिल है;
- (xl) "संरचनात्मक इंजीनियर" से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति, जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक है और संरचनात्मक डिजाइन संरचना तथा सम्बन्धित क्षेत्र के कार्य में कम से कम दस वर्ष के अनुभव सहित भारतीय इंजीनियर संस्था के सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन का कारपोरेट सदस्य है, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर है और संरचनात्मक डिजाइन संरचना तथा सम्बन्धित क्षेत्र के कार्य में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव सहित भारतीय इंजीनियर संस्था का सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन का कॉरपोरेट सदस्य है;
- (xli) "संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण-पत्र" से अभिप्राय है, संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र;
- (xlii) "तृतीय पक्षकार विज्ञापन चिह्न" से अभिप्राय है, स्वतः-विज्ञापन से भिन्न कोई ओ.एम.डी;
- (xliii) "अस्थाई विज्ञापन" से अभिप्राय है, मनोरंजन कार्यक्रमों, उत्सवों, मेला, व्यापार मेला, सम्मेलन, सड़क प्रदर्शन, जो अधिकतम तीस दिन की अवधि से अधिक का न हो, सहित किसी आगामी कार्यक्रम की अवधि से ठीक पूर्व तथा के लिए प्रदर्शित स्वतः विज्ञापन से भिन्न कोई ओ.एम.डी;
- (xliv) "ट्रेलर विज्ञापन" से अभिप्राय है, किसी ट्रेलर, साईकिल या वाहन पर बंधा हुआ कोई ओ.एम.डी, जो विज्ञापन के एकमात्र प्रयोजन से स्थिर या गतिशील है;
- (xlv) "अप्राधिकृत प्रभार" से अभिप्राय है, ओ.एम.डी के अप्राधिकृत प्रदर्शन तथा इन उप-विधियों के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए नगरपालिका द्वारा उद्गृहीत प्रभार;
- (xlvi) "यूनिपोल" से अभिप्राय है, किसी विज्ञापन पैनल के रूप में विज्ञापन के लिए बड़ी जगह वाली ओ.एम.डी और जहां ऐसे पैनल भूमि पर इसके आधार सहित किसी एकल स्तम्भ पर आरूढ़ है;
- (xlvii) "शहरी डिजाइन" से अभिप्राय है, भौतिक घटक सहित भवन, सड़क के बीच तथा आसपास शहरी जगह

की विशेष तथा सौन्दर्यपरक विशेषता को प्रकट करने तथा प्रबन्ध करने वाली कार्यवाही, जो भवन दिखावट तथा अन्य संरचना का मार्गस्केप तथा संयुक्त दृश्य प्रभाव को संघटित करता है;

(xlvi) **“दीवार आच्छादन”** से अभिप्राय है, किसी भवन या रंग बिरंगी रंगी हुई दीवार या एल्यूमिनियम मिश्रित पैनल, जिसके अग्रभाग का प्रयोग वास्तु आकृति के रूप में किया गया है या भवन की दीवार के रूप में प्रयुक्त सहित किसी अन्य सामग्री से कवरेज दीवार के बाहरी हिस्से पर चिपकाया गया विज्ञापन।

(2) इन उप-विधियों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे, जो इन्हे क्रमशः हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) में दिए गए हैं।

ओएमडी के साधारण ब्योरे।

3 (1) उपविधियां, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर प्रदर्शित की जाने वाली ओएमडी की विभिन्न किस्मों की अनुमति देगी। ओएमडी के वर्गीकरण **अनुबन्ध 5** में परिभाषित हैं।

(2) ओएमडी के प्रदर्शन की अनुमति की अवधि की वैधता निम्नानुसार अनुमत की जाएगी, अर्थात:-

- (i) किस्म क: तीन वर्ष: सम्बद्ध सरकारी संस्था तथा पंजीकृत संस्था के मध्य या पांच वर्ष तक, यदि सरकारी संस्था इस प्रकार अनुरोध करती है;
- (ii) किस्म ख तथा किस्म ग: तीन वर्ष (अग्रिम त्रैमासिक भुगतान सहित)
- (iii) किस्म घ: **अनुसूची I** के खण्ड 12 में यथा विनिर्दिष्ट;
- (iv) किस्म ङ: मामले से मामले के आधार पर यथा विनिर्दिष्ट;
- (v) किस्म च: स्वतः-विज्ञापन: विज्ञापन के लिए कोई निर्बन्धन नहीं, यदि अनुसूची I में निर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमाओं में है;
- (vi) किस्म छ: मामले से मामले के आधार पर यथा विनिर्दिष्ट, तीन वर्ष (अग्रिम त्रैमासिक भुगतान सहित);
- (vii) किस्म ज: तीन वर्ष (अग्रिम त्रैमासिक भुगतान सहित);
- (viii) किस्म झ: तीन वर्ष (अग्रिम त्रैमासिक भुगतान सहित);

(3) यथाविनिर्दिष्ट किस्म तथा समय अवधि की ओएमडी के लिए सभी अनुमोदन की गणना उस मास के उतरवर्ती मास के प्रथम दिन से की जाएगी, जिसमें उस मास, जिसमें सीमा अवधि समाप्त होती है, के अंतिम दिन तक के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(4) सभी वर्तमान अनुमत ओएमडी को अधिसूचना की तिथि से **चौदह दिन** के भीतर इन उप-विधियों की अनुपालना करनी होगी तथा कोई भी माफ़ी अवधि नहीं दी जाएगी। अनुपालना नहीं करने वाली सभी ओएमडी को अवैध समझा जाएगा तथा नगरपालिका **उप-विधि-22** के अनुसार उचित कार्रवाई करेगी।

निषिद्ध तथा निर्बन्धन

4 (1) अभिव्यक्त या विवक्षित किसी अन्य निषेध के अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति, किसी ओ.एम.डी या विज्ञापन का निम्नलिखित पर/में निर्माण, अनुरक्षण या प्रदर्शन नहीं करेगा,-

- (i) राष्ट्रीय पार्क, जिला वन तथा प्राकृतिक जल निकाय;
- (ii) **अनुसूची-1** में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन, आवासीय सैक्टर;
- (iii) **अनुसूची-1** में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन, राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग;
- (iv) कोई दीवार पोस्टर तथा दीवार चित्र;
- (v) पुरातत्वीय, वास्तुशिल्पीय, सौन्दर्यप्रद, ऐतिहासिक या घोरोहर महत्व वाले भवन या संरचना;
- (vi) पूजा या धार्मिक महत्व के स्थान;
- (vii) अस्पताल तथा नर्सिंग होम;
- (viii) शैक्षणिक संस्थाएं, पुस्तकालय;
- (ix) श्मशान घाट, कब्रिस्तान;
- (x) संकटापन्न क्षेत्रीय ईको सिस्टम के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र;
- (xi) नगरपालिकाओं द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित कोई भी गैर-विज्ञापन क्षेत्र; तथा
- (xii) यातायात संकेत तथा सड़क चिह्न।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी प्रदर्शन, यन्त्र या संरचना, जो नगरपालिका द्वारा बनवाई गई है, को विकृत नहीं करेगा या विकृत नहीं करवाएगा तथा उससे सम्बन्धित कोई भी उल्लंघन, हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के अधीन दण्डनीय होगा।

(3) किसी अन्य निषेध, अभिव्यक्त या विवक्षित के अतिरिक्त, नगरपालिका निम्नलिखित दर्शाई या मुखाकृति विज्ञापनों या ओ.एम.डी को संशोधित करने या हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी:

- (i) नग्नता;
- (ii) जाति, समुदाय, वंश या जातीय मतभेदों को प्रसारित करने;
- (iii) स्वापक, शराब, सिगरेट या तम्बाकू वस्तुओं को बढ़ावा देने;
- (iv) महिला या बच्चों के शोषण का प्रचार करने;
- (v) पशुओं के प्रति क्रूरता को चित्रित करने;
- (vi) घटिया दृष्टिकोण से किसी राष्ट्र या संस्था का चित्रण करने;
- (vii) किसी ब्राण्ड या व्यक्ति की जाति निन्दा करने;
- (viii) किसी विधि द्वारा प्रतिबंधित;
- (ix) हिंसा की महिमा करने;
- (x) लॉटरी टिकटों, जुआ प्रवेशों तथा स्लॉट मशीनों को बढ़ावा देने;
- (xi) किसी भी मनोविकृतिकारी, लेजर या चलित प्रदर्शनी;
- (xii) विनाशकारी यन्त्रों तथा विस्फोटकों का चित्रण करने वाली वस्तुओं का प्रदर्शन करने;
- (xiii) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम 54) के अधीन आने वाले हथियारों को बढ़ावा देने;
- (xiv) मानहानि कारक, व्यापार अपमानजनक, गैरकानूनी रूप से धमकी भरा या गैरकानूनी रूप से परेशान करने;
- (xv) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 60) के अर्थ के भीतर महिला की अश्लीलता या अश्लील साहित्य या अशोभनीय प्रतिरूपण;
- (xvi) ऐसी वस्तुओं, मालों या सेवाओं के वर्णन से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ होना या शामिल होने, जो तत्समय लागू किसी विधि के अधीन निषिद्ध है, इसमें शामिल हैं किन्तु औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23), औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम 21), भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय

अधिनियम 41) में परिसीमित नहीं हैं, तथा

(xvii) नगरपालिका द्वारा, समय-समय पर, अनुचित विचारी गई तथा इस प्रकार अधिसूचित की गई कोई अन्य वस्तु।

स्वतः विज्ञापन के लिए सामान्य अनुदेश।

5 (1) अनुसूची 1 में कथित स्वतः-विज्ञापन की विशिष्टियों के अनुसार स्वतः विज्ञापन के लिए केवल सम्पत्ति के स्वामी को अनुमत किया जाएगा।

(2) सम्पत्ति के स्वामी को केवल उसकी सम्पत्ति पर स्वतः विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए नगरपालिका से पंजीकरण तथा अनुमति की अपेक्षा में छूट प्राप्त होंगी, यदि विज्ञापन अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय छूट सीमा में है।

(3) सम्पत्ति के स्वामी, अपनी सम्पत्ति पर स्वतः विज्ञापन का प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए सम्बन्धित नगरपालिका का चयन करते हुए ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल पर आवेदन करेगा, यदि वह अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट छूट प्राप्त अनुज्ञेय सीमा से बाहर विज्ञापन का प्रदर्शन करने का इरादा करता है।

स्वतः विज्ञापन (छूट प्राप्त सीमा से बाहर) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा नगरपालिका द्वारा मूल्यांकन।

6 (1) सम्पत्ति का स्वामी, अपनी सम्पत्ति पर (छूट प्राप्त सीमा से बाहर) स्वतः विज्ञापन का प्रदर्शन करने का इरादा करता है, तो वह निम्नलिखित सूचना/दस्तावेजों से युक्त सम्बन्धित नगरपालिका को ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल पर अनुबन्ध 3 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेगा:-

- (i) सम्पत्ति के स्वामित्व का सबूत;
- (ii) संवीक्षा फीस;
- (iii) पंजीकृत स्वामी के स्वामित्वाधीन सम्पत्ति या सम्पत्ति, जिस पर ओ.एम.डी प्रदर्शित की जानी आशयित है, पर भुगतानयोग्य कर के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर के भुगतान के सबूत के रूप में नवीनतम रसीद;
- (iv) ओ.एम.डी की अवस्थिति योजना दर्शाते हुए, प्रस्तावित अवस्थिति (जी.पी.एस. समन्वय सहित) इंगित करते हुए तथा किसी अन्य संरचना, भवन या प्रस्तावित ओ.एम.डी से पच्चीस मीटर के घेरे के भीतर स्थित ओ.एम.डी के सम्बन्ध में दूरी बताते हुए, रंगीन ड्राईंग;
- (v) ओ.एम.डी तथा अवस्थितियों का परिमाण दर्शाने वाली सम्पूर्ण विशिष्टियां;
- (vi) अत्यधिक हवा परिस्थिति, भूकम्प, मृदा सहन क्षमता को सहन करने के योग्य इसकी नीवों के सुरक्षा पहलू को प्रमाणित करवाते हुए किसी संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा ओ.एम.डी के डिजाईन तथा संरचनात्मक ब्योरे तथा समय-समय पर बनाए गए सम्बन्धित भारतीय संरचनात्मक डिजाईन मानकों, पॉलिसी तथा मार्गदर्शनों की अनुपालना की जायेगी। संरचनात्मक ब्योरों में किसी अन्य विधि के अनुपालन के सबूत सहित समर्थित ढांचे, आश्रय तथा डिजाईन परिकलन के सभी घटकों का आकार शामिल होगा, जिसमें उस सीमा तक कि ऐसी विधि लागू है किन्तु लागू विधि तथा संहिता/मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है, जिसमें भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी), भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) भी शामिल है;
- (vii) यदि कोई प्रस्तावित ओ.एम.डी, किसी भवन के अग्रभाग से सलंगन की जानी है, तथा पर प्रदर्शित की जानी है, तो भवन के एलीवेशन तथा मापन और प्रस्तावित ओ.एम.डी. के विस्तृत मापन तथा स्थिति और 1:1000 या नगरपालिका द्वारा यथा विनिर्दिष्ट स्केल में दर्शाते हुए भवन पर विद्यमान प्रत्येक ओ.एम.डी. की स्थिति दर्शाते हुए वास्तु ड्राईंग;
- (viii) इस आशय का वचन-पत्र कि विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए आवेदन, किसी भी न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में नहीं है।

(2) नगरपालिका प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन करेगी तथा निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी,-

- (i) कि आवेदन इन उप-विधियों में कथित पैरामीटरों के अनुपालन में है;
- (ii) कि आवेदन किसी न्यायालय के किसी आदेश के उल्लंघन में नहीं है;
- (iii) कि आवेदन के संबंध में किसी हितबद्ध पक्षकार से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन, आपत्ति तथा टिप्पणी पर विधिवत रूप से विचार किया गया।

(3) नगरपालिका अपने स्वविवेक से तथा लिपिबद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अपने अधिकार आरक्षित रखेगी।

(4) नगरपालिका, संवीक्षा तथा सम्यक् प्रक्रिया अपनाने के बाद, आवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि से तीस दिन के भीतर इसका निर्णय करेगी। अनुमोदन के मामले में, नगरपालिका स्वामी से लागू अनुज्ञा प्रभार (अग्रिम त्रैमासिक भुगतान की राशि) की मांग करेगा। स्वामी ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल पर नगरपालिका द्वारा दर्शाए गए अनुज्ञा प्रभार का भुगतान करने तथा अपेक्षित दस्तावेज देने के लिए दायी होगा। भुगतान प्राप्त करने पर, अनुमोदन पत्र जारी किया जाएगा। अस्वीकृति के मामले में, स्वामी को अस्वीकृत पत्र जारी किया जाएगा। अनुमोदन तथा अस्वीकृति पत्र के लिए फारमेट अनुबन्ध 4 के अनुसार होगा।

स्वतः विज्ञापन के लिए अनुमति प्रभार (छूट सीमा से बाहर)

7 (1) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमा के भीतर स्वतः विज्ञापन पर कोई भी अनुज्ञा प्रभार लागू नहीं है।

(2) हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 70 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 122 के अनुसार अनुज्ञा प्रभार सूचीबद्ध स्वामी द्वारा स्वतः विज्ञापन के लिए ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार, समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अग्रिम में भुगतानयोग्य होंगे। अपेक्षित अनुज्ञा प्रभारों का भुगतान अनुमोदन के समय पर अग्रिम में त्रैमासिक किया जाएगा और बाद में प्रत्येक तिमाही की शुरुआत से पहले किया जाएगा।

(3) नगरपालिका द्वारा आरोप्य कारणों से विज्ञापन को हटाने के मामले में, स्वतः विज्ञापन के अधीन छूट प्राप्त सीमा से अधिक पहले किए गए अग्रिम त्रैमासिक भुगतान पर स्वामी को यथानुपात राशि वापस की जाएगी।

(4) यदि सूचीबद्ध स्वामी, प्रदान की गई अनुमति को वापस मांगता है, तो नागपालिका द्वारा किए अग्रिम भुगतान पर संदत अनुज्ञा प्रभार वापसी नहीं किया जाएगा।

(5) अनुज्ञा प्रभार के अतिरिक्त, सूचीबद्ध स्वामी, अनुमोदित अवधि के लिए मान्य, नगरपालिका को भुगतानयोग्य त्रैमासिक अनुज्ञा प्रभार के बराबर राशि की बैंक गारंटी अग्रिम में जमा करेगा।

(6) अनुज्ञा प्रभार, इन उप-विधियों के अधीन विद्यमान ओ एम डी पर भी लागू होंगे।

(7) लागू संवीक्षा फीस तथा प्रभार से भिन्न, सूचीबद्ध स्वामी अन्य प्राधिकरणों को भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित अन्य करों, प्रभारों इत्यादि का भुगतान करने के लिए भी दायी होगा।

छूट प्राप्त स्वतः विज्ञापन।

8 (1) नीचे उप-खण्ड (i) से (xiii) में कथित प्रयोजनों के लिए ओ.एम.डी, अनुसूची 1 के अनुसार सभी शर्तों के सम्बन्ध में इन उप-विधियों के उपबन्धों का पालन करेंगी; किन्तु ऐसी ओ.एम.डी निम्नलिखित मामलों में किसी अनुज्ञा प्रभार के भुगतान या आवेदन करने से छूट प्राप्त होंगी, अर्थात्-

- (i) संसद, विधान सभा, परिषद्/समिति के निर्वाचन या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उम्मीदवारी से सम्बन्धित

सार्वजनिक बैठक, (परिषद्/समिति द्वारा परिलक्षित/आवंटित (ईयरमार्क) केवल प्राधिकृत स्थानों पर लगाया जा सकता है);

- (ii) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया गया है, यदि विज्ञापन उस भवन में चलाए जा रहे व्यापार, व्यवसाय या कारबार से सम्बन्धित है (भवन के कुल अग्रभाग क्षेत्र की केवल 2 प्रतिशत की सीमा तक);
- (iii) भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर व्यापार, व्यवसाय या कारबार या ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग का विक्रय या किराए पर देने या उस पर या उसमें विश्लेषण, मनोरंजन या बैठक बुलाने से सम्बन्धित है (भवन के कुल अग्रभाग क्षेत्र की केवल 2 प्रतिशत की सीमा तक);
- (iv) भूमि या भवन, जिसके निकट या जिस पर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के नाम से, ऐसी भूमि या भवन की पंजीकृत संस्था या अधिभोगी के नाम से सम्बन्धित है;
- (v) रेलवे प्रशासन के कारबार से सम्बन्धित है तथा रेलवे प्रशासन के किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या किसी दीवार या अन्य सम्पत्ति पर प्रदर्शित किया जाता है;
- (vi) बोर्ड/अन्य निगमों को छोड़कर, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या नगरपालिका की किसी गतिविधि से सम्बन्धित है;
- (vii) किसी सम्पत्ति, जहां कोई भवन, स्वीमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, खंडजा, बाड़ा या बाग का भू-दृश्य या कोई अन्य संरचना निर्मित, परिनिर्मित, कार्यान्वित या परिवर्तित किए जाने के अनुक्रम में तथा जिस पर सम्बन्धित गतिविधि वर्णित की जाती है तथा ऐसी गतिविधि से सम्बन्धित किसी वास्तुकार, ठेकेदार अथवा परामर्शदाता का नाम प्रदर्शित किया जाता है तथा अन्तर्वलित उद्योग की शाखा या व्यवसाय विनिर्दिष्ट किया जाता है;
- (viii) स्थिर कियोस्क या ठेलों पर फेरी वालों के लिए मीडिया यन्त्र;
- (ix) किसी भवन के दरवाजे/खिड़की में प्रदर्शन, यदि विज्ञापन उस भवन में चलाए जा रहे व्यापार, व्यवसाय या कारबार से सम्बन्धित है तथा इसमें तृतीय पक्षकार विज्ञापन का प्रदर्शन करने के लिए शापिंग माल के भीतर सार्वजनिक स्थान तथा अन्य समरूप भवन शामिल नहीं है;
- (x) भूमि या भवन, जिस पर या जिसमें विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के नाम से ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी के नाम से सम्बन्धित;
- (xi) समाचार पत्र विज्ञापन;
- (xii) रेडियो तथा टेलीविजन प्रसारण;
- (xiii) सार्वजनिक कला;

(2) उपखण्ड (i) से (xiii) में कथित प्रयोजनों के संदर्भ में, यदि कोई अप्राधिकृत ओएमडी की संस्थापित पाई जाती है या उपविधि के किन्ही उपबधों का उल्लंघन होता है, तो उल्लंघनकर्ता उपविधि 27 (2) में यथाउपबन्धित शास्त्रि के भुगतान हेतु दायी होगा।

तृतीय पक्षकार विज्ञापनों के लिए सामान्य निर्देश।

9 (1) नगरपालिका सीमाओं के भीतर तृतीय पक्षकार विज्ञापन सरकारी/नगरपालिका/निजी संपत्तियों के लिए ई-नीलामी द्वारा या निजी संपत्ति के मामले में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुज्ञा फीस का भुगतान करके अनुमत किया जाएगा।

(2) सूचीबद्ध स्थलों पर तृतीय पक्षकार विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए ई-नीलामी पोर्टल पर बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल पंजीकृत संस्था को अनुमति दी जाएगी।

(3) सम्पत्ति की किस्म, जो पोर्टल पर सूचीबद्ध की जा सकती है, में शामिल होगी:-

- (i) निजी/व्यक्तिगत स्वामियों के स्वामित्वाधीन सम्पत्तियां;
- (ii) नगरपालिकाओं के स्वामित्वाधीन सम्पत्तियां;
- (iii) अन्य सरकारी संस्था जैसे कि विभाग/प्राधिकरण/बोर्ड/निगम इत्यादि के स्वामित्वाधीन सम्पत्तियां (जिसमें अन्य सरकारी संस्था जैसे कि विभाग/ प्राधिकरण/ बोर्ड/ निगम इत्यादि द्वारा निर्माण परिचालन अन्तरण (बी.ओ.टी)/डिजाईन निर्माण वित्त परिचालन अन्तरण (डी.बी.एफ.ओ.टी)/लोक निजी भागीदारी (पी.पी.पी) पर किसी परियोजना के अधीन पहचाने गए ओएमडी स्थल शामिल हैं)।

(4) सभी बोलियाँ आरक्षित मूल्य के आधार पर की जाएंगी और उच्चतम बोलीदाता को स्थल आंबटित किया जाएगा। सभी भुगतान, प्राप्त मूल्य (आई.एन.आर/वर्गमीटर/मास) आधार पर संविदा के समापन तक प्रत्येक तिमाही के शुरू होने से पहले अग्रिम त्रैमासिक (3 मास) के भुगतान के रूप में अवार्डिड पंजीकृत संस्था द्वारा ऑनलाइन किए जाएंगे।

तृतीय पक्षकार विज्ञापनों के तहत ई-नीलामी के लिए निजी संपत्तियों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन

10 (1) निजी संपत्ति के मालिक के पास अपनी संपत्ति को ई-नीलामी के लिए ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल पर सूचीबद्ध करने या समय-समय पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुज्ञा फीस के भुगतान पर अपनी संपत्ति पर विज्ञापन अधिकारों के लिए सीधे अनुमति लेने का विकल्प है।

(2) निजी सम्पत्ती के स्वामी, जो स्वतः विज्ञापनों से अन्यथा अपनी सम्पत्ति पर ई-नीलामी के माध्यम से विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए इरादा रखता है, सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संवीक्षा फीस सहित **अनुबन्ध 6** पर यथा विनिर्दिष्ट आवेदन प्रस्तुत करके पोर्टल पर अपनी सम्पत्ति सूचीबद्ध कराएगा। ऐसे स्थलों से संगृहीत अनुज्ञा प्रभार सम्बन्धित नगरपालिका तथा स्वामी के बीच **40:60** के अनुपात में बांटी जाएगी।

(3) निजी संपत्ति का मालिक, जो विज्ञापन अधिकारों की मांग के माध्यम से अपनी संपत्ति पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का इरादा रखता है, पोर्टल पर संबंधित नगरपालिका को **अनुबन्ध 3** में निर्दिष्ट एक आवेदन के साथ संवीक्षा शुल्क प्रस्तुत करेगा।

(4) स्वामी निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपरोक्त निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नगर पालिका को आवेदन प्रस्तुत करेगा अर्थात्:-

- (i) सम्पत्ति के स्वामित्व का सबूत;
- (ii) संवीक्षा फीस;
- (iii) स्वामी के स्वामित्वाधीन किसी सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति, जिस पर ओएमडी प्रदर्शित की जानी आशयित है, पर भुगतानयोग्य कर के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर के भुगतान के सबूत के रूप में नवीनतम रसीद;
- (iv) ओ.एम.डी की प्रस्तावित स्थिति (जी.पी.एस/निर्देशांक समन्वित) तथा किसी अन्य संरचना, भवन या प्रस्तावित ओ.एम.डी से पच्चीस सौ मीटर के घेरे के भीतर स्थित ओ.एम.डी के सम्बन्ध में दूरी बताते हुए, अवस्थिति योजना दर्शाते हुए रंगीन ड्राईंग;
- (v) ओ.एम.डी तथा अवस्थितियों का परिमाण दर्शाने वाली सम्पूर्ण विशिष्टियां;

- (vi) अत्यधिक वायु स्थिति, भूकम्प, मृदा सहन क्षमता को सहन करने के योग्य बनाने वाली इसकी नीवों के सुरक्षा पहलू को प्रमाणित करते हुए, तथा समय-समय पर बनाए गए सुसंगत भारतीय संरचनात्मक डिजाईन मानकों, पॉलिसी तथा मार्गदर्शनों की अनुपालन करते हुए, किसी संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा ओ.एम.डी के डिजाईन तथा संरचनात्मक ब्यौरे की जांचेगी। संरचनात्मक ब्यौरों में किसी अन्य विधि के अनुपालन के सबूत सहित समर्थित ढांचे, आश्रय तथा डिजाईन परिकलन के सभी घटकों का आकार शामिल होगा, जिस पर उस सीमा तक ऐसी विधि लागू है, किन्तु लागू विधि तथा संहिता/मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है, जिसमें भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी), भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) शामिल है। (केवल यदि ओ.एम.डी संरचनाएं पहले ही विद्यमान हैं या अन्य अवार्डिड पंजीकृत संस्था को ओ.एम.डी संरचना परिनिर्मित करनी/रखनी है तथा समय अवधि की समाप्ति पर हटानी है);
- (vii) यदि कोई प्रस्तावित ओ.एम.डी. किसी भवन के अग्रभाग से सलग्न की जाती है, या प्रदर्शित की जाती है, तो भवन के एलिवेशन तथा मापन और प्रस्तावित ओ.एम.डी. के विस्तृत मापन तथा स्थिति वर्तमान प्रत्येक ओ.एम.डी. की स्थिति 1:1000 या नगरपालिका द्वारा विनिर्दिष्ट स्केल में दर्शाते हुए वास्तु ड्राइंग;
- (viii) नगरपालिका द्वारा परिभाषित, आरक्षित मूल्य सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा यथा परिभाषित समय अवधि, तथा नगरपालिका तथा स्वामी के बीच बंटने वाली अनुमति फीस पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी (विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार) के निबन्धनों तथा शर्तों से सहमत होने की वचनबद्धता या पोर्टल के माध्यम से उसकी सम्पत्ति पर विज्ञापन अधिकारों के क्रियान्वयन, लागू अनुज्ञा प्रभारों के भुगतान, विज्ञापन स्थल/आकार के किसी दुरुपयोग/अवैध उपयोग, केवल पंजीकृत संस्था को विज्ञापन की अनुमति देने, नगरपालिका और पंजीकृत संस्था के बीच किसी विवाद से नगरपालिका को हुई क्षतिपूर्ति, भुगतान में चूक के मामले में नगरपालिका के आदेश से बाध्य होने के लिए निबन्धनों तथा शर्तों और किन्हीं अन्य निबन्धनों तथा शर्तों से सहमत होने की वचनबद्धता।
- (ix) इस आशय का वचन-पत्र कि विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए आवेदन किस भी न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में नहीं है;
- (x) स्वामी विज्ञापन की किस्म/प्रवर्ग की सूची तथा आवेदन के अनुबन्ध के रूप में आरक्षण विषय-वस्तु (यदि कोई हो), जो स्वामी अपनी सम्पत्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता, सूचित करेगा।
- (5) सम्बन्धित नगरपालिका प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन करेगी तथा सुनिश्चित करेगी:-
- (i) कि आवेदन इन उप-विधियों में कथित पैरामीटरों के अनुपालन में है;
- (ii) कि आवेदन किसी न्यायालय के किसी आदेश के उल्लंघन में नहीं है;
- (iii) कि आवेदन पर किसी हितबद्ध पक्षकार से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन, आपत्ति तथा टिप्पणी पर विधिवत रूप से विचार किया गया है;
- (6) नगरपालिका अपने स्वविवेक से तथा लिपिबद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अपने अधिकार आरक्षित रखेगी।
- (7) नगरपालिका संवीक्षा पर तथा सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद आवेदन की तिथि से तीस दिन के भीतर अनुमोदन के संबंध में अपना निर्णय प्रस्तुत करेगी तथा आरक्षित मूल्य के दस प्रतिशत के समकक्ष ई.एम.डी राशि की भी साथ में मांग करेगी। पोर्टल पर इस अग्रिम जमा धनराशि की प्रस्तुति पर स्थल को तुरन्त नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। केवल सफल बोली प्रक्रिया के बाद, सफल होने वाली संस्था का चयन तथा सफल होने वाली संस्था को निर्णित अवधि के लिए विज्ञापन अधिकारों का अन्तरण करने के बाद, आवेदन को अग्रिम जमा धनराशि वापस की जाएगी। यदि सफल बोली के बाद, स्वामी द्वारा उनके आरक्षण के कारण सफल संस्था को अधिकार अन्तरित नहीं किए जाते हैं, तो ई.एम.डी राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा वापस नहीं की जाएगी।
- (8) ऐसे मामले में जहां स्वामी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट/अनुज्ञा प्रभार के भुगतान पर अपनी संपत्ति पर विज्ञापन की मांग कर रहा है, नगरपालिका/संवीक्षा पर तथा सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आवेदन की तिथि से तीस दिनों के भीतर अपने अनुमोदन के निर्णय को सूचित करेगी और साथ ही स्वामी को आशय पत्र जारी करेगी। स्वामी को तीस दिन के भीतर आशय पत्र की अनुपालना सभी फीस/प्रभार, अन्य दस्तावेज/मांगी गई जानकारी को जमा करके करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर आशय पत्र को वापस लिया जाने के साथ आवेदन के लिए संवीक्षा फीस जब्त मानी जाएगी और स्वामी को नया आवेदन करने की आवश्यकता होगी। अनुपालन के बाद, नगरपालिका एक अनुमोदन पत्र जारी करेगी। अस्वीकृति के मामले में, स्वामी को अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। अनुमोदन और अस्वीकृति पत्र के लिए फार्मेट **अनुबंध 4** के अनुसार होगा।
- (9) नगरपालिका निजी संपत्ति के स्वामी को अपनी संपत्ति पर विज्ञापन अधिकारी निम्नलिखित के अधीन प्रदान करेगी:
- (i) स्वामी लागू अनुज्ञा प्रभार जमा करेगा;
- (ii) स्वामी केवल पंजीकृत संस्था को ही उसकी अनुमत साइट पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति देगा;
- (iii) स्वामी नगरपालिका द्वारा दिए गए तरीके के अनुसार बढ़ी हुई अनुमति शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (iv) स्वामी को इन उप-विधियों के अधीन किसी निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार किसी विज्ञापन स्थल/आकार के किसी भी दुरुपयोग/अवैध उपयोग भुगतान या किसी अन्य शास्ति की किसी चूक के लिए उत्तरदायी उद्गृहित ठहराया जाएगा और भू-राजस्व को बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा;
- (v) स्वामी विज्ञापन प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए पंजीकृत संस्था द्वारा साइट के उपयोग के लिए पंजीकृत संस्था के साथ समझौता करेगा;
- (vi) स्वामी और पंजीकृत संस्था के बीच विवाद के कारण होने वाली किसी भी देयता से नगरपालिका को क्षतिपूर्ति करते हुए स्वामी क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करेगा।
- (10) यदि नगरपालिका, एक ही समय अवधि में ओ.एम.डी के समान वर्गीकरण के अधीन विभिन्न स्वामियों से उनकी सम्पत्तियों की सूचीबद्ध करने हेतु बहुविध आवेदन प्राप्त करती है, जहां सभी आवेदनों को उप-विधियों में कथित पैरामीटरों के कारण सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है, तो उच्चतम मूल्य पर नीलामी की गई सम्पत्ति, नगरपालिका द्वारा चयनित की जाएगी तथा अन्य सम्पत्तियां, जो चयनित सम्पत्ति के उल्लंघन में होंगी, अस्वीकृत कर दिये जाएंगी तथा पोर्टल से हटा दी जाएंगी।
- (11) ऐसे मामले में, जहां नगरपालिका को एक ही समय अवधि में ओ.एम.डी की समान वर्गीकरण के अधीन विभिन्न

स्वामियों से उनकी संपत्तियों पर विज्ञापन अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुविध आवेदन प्राप्त होते हैं, जहां उप-विधियों में कथित मापदंडों के कारण सभी आवेदन सूचीबद्ध नहीं किए जा सकते हैं, तो नगरपालिका "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर अनुमति प्रदान करेगी और अन्य आवेदन, जो चयनित संपत्ति के उल्लंघन में होंगे, अस्वीकृत कर दिये जाएंगे।

ई-नीलामी के लिए नगरपालिका की संपत्तियों की पहचान करना।

11 (1) नगरपालिका, समय-समय पर, अनुसूची I के अनुसार अनुज्ञेय ओएमडी अनुमत करने के लिए अपनी अधिकारिता के भीतर स्थानों तथा संपत्तियों की पहचान करेगी तथा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन शहर के नक्शे पर सभी ऐसी ओएमडी का पता लगाएगी/आवंटित करेगी, जिसके द्वारा उन्हें समय पर नीलाम किया जाएगा।

(2) नगरपालिका संपत्तियों में किसी प्रकार की सड़कों का आर.ओ.डब्ल्यू (जिसमें प्राधिकरण, बोर्ड, निगम, विभाग या किसी सरकारी संस्था के स्वामित्वाधीन सड़कें भी शामिल हैं) तथा इन उपविधियों में यथा परिभाषित सार्वजनिक स्थल शामिल होंगे।

(3) नगरपालिका, पोर्टल पर किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक उपयोगिता (हरित स्थान, पार्क, जल निकास इत्यादि) की पहचान करेगी तथा सूचीबद्ध करेगी, जिसे ओएमडी की अभिस्वीकृति के बदले में अनुरक्षित किया जा सकता है, जहां कम्पनियां, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 13) के अधीन अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी निधि का प्रयोग कर सकती है। जैसा कि ओ.एम.डी की अभिस्वीकृति में वित्तीय संव्यवहार शामिल नहीं है तथा इसका कार्यक्षेत्र सार्वजनिक स्थल/उपयोगिता के अनुरक्षण तक सीमित है, इसलिए, इसे केवल किसी करार के आधार पर हितबद्ध संस्था को आवंटित किया जाएगा तथा इसे नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।

ई-नीलामी के लिए अपनी संपत्तियों को रखने के लिए अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए आवेदन (जिसमें किसी सरकार संस्था, पी.पी.पी परियोजना के अधीन परिलक्षित ओएमडी शामिल हैं)।

12 (1) यदि अन्य सरकारी विभाग/ प्राधिकरण/ बोर्ड/ निगम इत्यादि (जिसे, इसमें, इसके बाद "राज्य सरकारी संस्था" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) निर्माण परिचालन अन्तरण (बी.ओ.टी)/ डिजाइन निर्माण वित्त परिचालन अन्तरण (डी.बी.एफ.ओ.टी)/लोक प्राईवेट भागीदारी (पी.पी.पी) पद्धति पर किसी सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना के अधीन अपनी संपत्तियों या किसी परिलक्षित ओएमडी स्थल पर तृतीय पक्षकार विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहता है, तो वह सम्बन्धित नगरपालिका को अनुबंध 7 में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन प्रस्तुत करके पोर्टल पर अपनी संपत्तियों को सूचीबद्ध करेगा।

(2) ऐसे स्थलों से संगृहीत अनुज्ञा प्रभार, सम्बन्धित नगरपालिका और राज्य की सरकारी संस्था के बीच में क्रमशः **40:60** के अनुपात में बांटी जाएगी। राज्य सरकार संस्था, निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक किसी समन्वय हेतु तथा पोर्टल पर आवेदन करते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी।

(3) नोडल अधिकारी, ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल पर अपनी संपत्ति (संपत्तियों) को सूचीबद्ध करवाने के लिए दस्तावेजों के निम्नलिखित सूची सहित ऐसे ओएमडी स्थलों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें किसी भवन संचालन अन्तरण (बी.ओ.टी)/ डिजाइन भवन वित्त संचालन अन्तरण (डी.बी.एफ.ओ.टी)/सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) परियोजना जैसे कि स्ट्रीट लाईट, सार्वजनिक शौचालय, वृक्ष रक्षक, स्ट्रीट फर्नीचर, जल वितरक, सार्वजनिक परिवहन परियोजना, सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना, सार्वजनिक सूचना कियोस्क इत्यादि, के अधीन परिलक्षित ओ.एम.डी स्थल शामिल है, अर्थात्:-

- (i) संपत्ति के स्वामित्व का सबूत।
- (ii) ओ.एम.डी की प्रस्तावित अवस्थिति (जी.पी.एस निदेशक समन्वित) तथा किसी अन्य संरचना, भवन या प्रस्तावित ओ.एम.डी से पच्चीस सौ मीटर के घेरे के भीतर स्थित ओ.एम.डी के सम्बन्ध में दूरी बताते हुए, अवस्थिति योजना दर्शाते हुए रंगीन ड्राईंग;
- (iii) ओ.एम.डी तथा अवस्थितियों का परिमाण दर्शाने वाली सम्पूर्ण विशिष्टियां;
- (iv) अत्यधिक हवा स्थिति, भूकम्प, मृदा सहन क्षमता को सहन करने के योग्य बनाने वाले इसके आधारों के सुरक्षा पहलू को प्रमाणित करते हुए किसी संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ओ.एम.डी के डिजाइन तथा संरचनात्मक ब्योरे तथा समय-समय पर बनाए गए सम्बन्धित भारतीय संरचनात्मक डिजाइन मानकों, पॉलिरी तथा मार्गदर्शनों की अनुपालन की जायेगी। संरचनात्मक ब्योरों में किसी अन्य विधि के अनुपालन के सबूत सहित समर्थित ढांचे, आश्रय तथा डिजाइन परिकलन के सभी घटकों का आकार शामिल होगा, जिसमें उस सीमा तक कि ऐसी विधि लागू है किन्तु लागू विधि तथा संहिता/मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है जिसमें भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी), भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) शामिल है; (केवल यदि ओ एम डी संरचना पहले ही अस्तित्व में है या अन्य अवार्डिड पंजीकृत संस्था ओ.एम.डी संरचना निर्मित करता है तथा समय अवधि की समाप्ति पर हटा लेता है);
- (v) यदि कोई प्रस्तावित ओ.एम.डी. किसी भवन के अग्रभाग से सलग्न की जाती है, तथा प्रदर्शित की जानी है, तो 1:1000 के स्केल या नगरपालिका द्वारा यथा विनिर्दिष्ट स्केल में भवन के एलीवेशन तथा मापन और प्रस्तावित ओ.एम.डी. के विस्तृत मापन तथा स्थिति और भवन में वर्तमान प्रत्येक ओ.एम.डी. के स्थिति दर्शाते हुए वास्तु ड्राईंग;
- (vi) ई-नीलामी (विनिर्दिष्ट फारमेट के अनुसार) अर्थात् नगरपालिका द्वारा निश्चित पोर्टल, आरक्षित मूल्य, समय अवधि, तथा सम्बन्धित नगरपालिका राज्य सरकारी संस्था के बीच क्रमशः **40:60** के अनुपात में बांटी गई अनुमति फीस के निबन्धनों तथा शर्तों की सहमति के लिए वचनबद्धता;
- (vii) इस आशय का वचन-पत्र कि विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए आवेदन किस भी न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में नहीं है;

(4) सम्बन्धित नगरपालिका प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन करेगा तथा सुनिश्चित करेगी;

- (i) कि आवेदन इन उप-विधियों में कथित पैरामीटरों के अनुपालन में है;
- (ii) कि आवेदन किसी न्यायालय के किसी आदेश के उल्लंघन में नहीं है;
- (iii) कि आवेदन पर किसी हितबद्ध पक्षकार से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन, आपत्ति तथा टिप्पणी पर विधिवत विचार किया गया है।

(5) नगरपालिका अपने स्वविवेक से तथा लिपिबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अपने अधिकार आरक्षित रखेगी।

(6) नगरपालिका संवीक्षा पर तथा सम्यक् का पालन करने के बाद आवेदन की तिथि से तीस दिन के भीतर अनुमोदन पर अपना निर्णय सूचित करेगी तथा तदनुसार अगले तीन दिनों में नगरपालिका नीलामी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर संपत्ति सूचीबद्ध करेगी।

(7) यदि, नगरपालिका इसी समय अवधि के दौरान समरूप वर्गीकरण की ओ.एम.डी का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न राज्य एजेंसियों की संपत्ति को सूचीबद्ध करने हेतु उनसे बहुविध आवेदन प्राप्त करती है तथा सभी आवेदनों को उपविधियों में कथित पैरामीटरों के कारण सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता, तो उच्चतर मूल्य पर नीलामी वाली संपत्ति को

ई-नीलामी
सम्पत्तियों के
सामान्य शर्तों।

नगरपालिका द्वारा चयनित किया जाएगा तथा अन्य सम्पत्ति, जो चयनित सम्पत्ति के उल्लंघन में होगी, अस्वीकृत कर दी जाएगी तथा पोर्टल से हटा दी जाएगी।

13 (1) अनुमोदित सूचीबद्ध ओएमडी स्थल वैध रजिस्ट्रेशन सहित केवल पंजीकृत संस्था को नीलाम की जाएगी। अवारिड पंजीकृत संस्था के पास सम्पूर्ण विज्ञापन अवधि के लिए वैध पंजीकरण होगा। सभी पंजीकृत संस्था केवल समाप्ति तिथि से पहले न्यूनतम छह मास की वैधता के भीतर नीलामी में भाग ले सकती है।

(2) सभी ऐसी सूचीबद्ध सम्पत्तियां या ऐसी नीलाम की गई सम्पत्तियां ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल पर प्रबन्धित/मानीटर की जाएंगी। सम्पत्तियों का रख-रखाव करना सम्पत्ति के सम्बन्धित स्वामी की जिम्मेवारी होगी, जहां स्थल अभी तक नीलाम नहीं किया गया है तथा जहां स्थल नीलाम किए गए हैं, वहां अनुरक्षण की जिम्मेवारी अवारिड पंजीकृत संस्था की होगी।

(3) प्रत्येक ओ.एम.डी नीलामी की तिथियां, सभी पंजीकृत संस्थाओं को प्रत्येक नीलामी में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए नियमित रूप से इलैक्ट्रॉनिकस रूप से परिचालित की जाएंगी।

(4) इसके लिए न्यूनतम आरक्षित कीमत, समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार नगरपालिका द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) विज्ञापनों के प्रदर्शन की अवधि **उप-विधि 3 (4)** के अनुसार होगी और संविदा करार के निबन्धनों और शर्तों की चूक होने की स्थिति में सात दिन का नोटिस देने के बाद किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

(6) नगरपालिका को राज्य सरकार के सामाजिक संदेश या नीतियों, स्कीमों या प्रोग्रामों को उन्नत करने के लिए राज्य सरकार या किसी वैधानिक प्राधिकरण, बोर्ड, नगरपालिका या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियन्त्रणाधीन अन्य संस्था को होर्डिंग/ विज्ञापनों को प्रदर्शित करना या प्रदर्शित करने की अनुमति देने के सम्पूर्ण तथा निर्बाध अधिकार होगा। अवारिड पंजीकृत संस्था, इस खण्ड के अधीन सरकार के सामाजिक/सन्देश के लिए कुल विज्ञापन स्थान के पन्द्रह प्रतिशत आरक्षित करेगी और इन सरकारी विज्ञापनों के लिए नगरपालिका द्वारा कोई भी फीस भुगतानयोग्य नहीं होगी। ऐसे विज्ञापन के अवस्थान अवारिड संस्था तथा सरकार के बीच परस्पर सम्मत होगा।

(7) अवारिड पंजीकृत संस्था को जब तक सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संरचना मुहैया नहीं कराए जाने तक उसको अपनी लागत पर उसकी विशिष्टियों के अनुसार आर्बिट्रि ओ.एम.डी के लिए संरचना निर्मित करनी होगी। अवारिड संस्था, ओ.एम.डी की अवधि के लिए संरचना के रख-रखाव के लिए दायी होगी तथा संविदा की अवधि के समापन या अवसान के बाद संरचना को हटाने के लिए भी दायी होगी (यदि संरचना सम्पत्ति के स्वामी द्वारा मुहैया नहीं कराई गई)। ओएमडी संरचना निर्मित करने से पूर्व, पंजीकृत संस्था को अत्यधिक हवा स्थिति, भूकम्प, मृदा सहन क्षमता को सहन करने के योग्य बनाने वाली इसके नीवों के सुरक्षा पहलू को प्रमाणित करते हुए किसी संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित ओ.एम.डी के डिजाइन तथा संरचनात्मक ब्योरे प्रस्तुत करेगी तथा समय-समय पर बनाए गए सम्बन्धित भारतीय संरचनात्मक डिजाइन मानकों, पॉलिसी तथा मार्गदर्शनों की अनुपालन की जायेगी। संरचनात्मक ब्योरों में किसी अन्य विधि के अनुपालन के सबूत सहित समर्थित ढांचे, आश्रय तथा डिजाइन परिकलन के सभी घटकों का आकार शामिल होगा, जिसमें उस सीमा तक ऐसी विधि लागू है, किन्तु लागू विधि तथा संहिता/मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है, जिसमें भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी), भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) भी शामिल है।

(8) अवारिड पंजीकृत संस्था के लिए भुगतान अनुसूची, संविदा अवधि के लिए आई.एन.आर./ वर्गमीटर /प्रतिमास के अधिनिर्णीत मूल्य पर त्रैमासिक अग्रिम भुगतान के आधार पर होगी। इसके अतिरिक्त अवारिड संस्था, अधिनिर्णीत अवधि के लिए वैध त्रैमासिक राशि के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए दायी होगा।

(9) यदि अनुसूचित नीलामी के दौरान ओ.एम.डी स्थल के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो ई-नीलामी पोर्टल पर दस प्रतिशत तक आरक्षित मूल्य कम किया जाएगा, तथा तीस दिन के बाद कथित स्थल को पुनः नीलाम किया जाएगा। यदि दूसरी बार कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो आरक्षित मूल्य और दस प्रतिशत तक घटाया जाएगा तथा स्थल तीस दिन के बाद नीलाम किया जाएगा। यह प्रक्रिया स्थल की नीलामी होने तक बार-बार दोहराई जाएगी।

(10) नगरपालिका के माने जाने वाले कारणों के कारण नगरपालिका द्वारा विज्ञापन को हटाने के मामले में त्रैमासिक अग्रिम भुगतान, यथानुपात राशि में अवारिड पंजीकृत संस्था को वापस किया जाएगा।

(11) नगरपालिका द्वारा कोई भुगतान वापस नहीं किया जाएगा, यदि पंजीकृत संस्था, अधिनिर्णीत संविदा की वापसी की मांग करती है।

(12) यदि पंजीकृत संस्था द्वारा अपनी अनुमत अवधि के लिए अधिनिर्णीत स्थल पर विज्ञापन संरचना निर्मित की गई है, तो वही इसकी अवधि की समाप्ति पर संरचना भी हटाएगी। यदि, कथित संस्था अवधि के समापन के बाद संरचना नहीं हटाना चाहती तथा कथित संरचना प्रयोग योग्य स्थिति में है, तो विज्ञापन संरचना का सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा इसके रद्दीमाल मूल्य की दर पर मूल्यांकन कराया जाएगा। यह मूल्यांकित मूल्य संविदा की समाप्ति की तिथि के बाद तीस दिन के भीतर सम्बन्धित अवारिड संस्था के लेखे में अन्तरित किया जाएगा।

अभिकरण के
रजिस्ट्रेशन
के लिए आवेदन।

14 (1) किसी भी नगरपालिका (नगरपालिकाओं) में ओ.एम.डी के प्रदर्शन के लिए ई-नीलामी पोर्टल पर बोली के लिए विचार करने वाली संस्था, **अनुबन्ध 1** के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा।

(2) सभी पंजीकृत संस्था, राज्य अर्थात् सभी नगरपालिकाओं में ओएमडी ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगी। प्रत्येक पंजीकृत संस्था की वैधता रजिस्ट्रेशन की तिथि से पांच वर्ष होगी। रजिस्ट्रेशन का नवीकरण समाप्ति की तिथि से पूर्व पोर्टल पर करवाना होगा, जिसमें असफल होने पर, रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा, तथा संस्था को नए रजिस्ट्रेशन के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

(3) पंजीकृत संस्था, मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी अवसंचरणात्मक विकास बोर्ड को रजिस्ट्रेशन प्रभार जमा करवाएगी।

रजिस्ट्रेशन के लिए
प्रक्रिया

15 (1) उप-विधियों के अधीन तृतीय पक्षकार विज्ञापन या ई-नीलामी के लिए आवेदन करने का इरादा करने वाली संस्था ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल पर रजिस्टर करेगी। सभी अनुमोदित पंजीकृत संस्था, सभी नगरपालिकाओं में विज्ञापन स्थलों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगी। संस्था निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज प्रस्तुत करेगी, अर्थात्:-

- कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) या समिति दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) में रजिस्ट्रेशन के ब्योरों सहित संस्था का नाम;
- कम्पनी का संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद;
- कम्पनी के कारबार की किस्म;
- अन्तिम तीन वर्ष या ऐसी समय अवधि, जिसके दौरान संस्था द्वारा विज्ञापन कारबार किया गया है, जो भी

पहले हो (यदि कोई हो) के विज्ञापन कारबार में संस्था का अनुभव, ब्यौरे;

- (v) संस्था के निदेशक की पहचान संख्या (डी.आई.एन) सहित निदेशकों के नाम;
 - (vi) संस्था के प्रत्येक निदेशक के कार्य अनुभव के ब्यौरे;
 - (vii) किसी भी निदेशक के ब्यौरे, जिसकी तरफ किसी नगरपालिका के किन्ही बकायों के भुगतान देय थे, जब वह किसी अन्य संस्था में निदेशक रहा हो;
 - (viii) संस्था के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए निदेशक बोर्ड (संकल्प पारित करके) द्वारा प्राधिकार-पत्र;
 - (ix) अन्तिम पांच वर्ष में या ऐसी समय अवधि, जिसके दौरान संस्था द्वारा किसी नगरपालिका में विज्ञापन कारबार किया गया है, जो भी पहले हो, में प्राप्त विज्ञापन अधिकारों/अनुमतिया के ब्यौरे;
 - (x) वचन/बद्धता की संस्था, इसके निदेशकों, स्वामियों या प्रोत्साहकों की तरफ किसी नगरपालिका के किन्ही देयों का भुगतान बकाया नहीं है।
टिप्पण: केवल पंजीकृत संस्था को ही सभी नगरपालिकाओं में विज्ञापन स्थलों की नीलामी में भाग लेने के लिए अनुमत किया गया है।
 - (xi) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज, जो नगरपालिका को अपेक्षित हो।
- (2) नगरपालिका, किसी संस्था को रजिस्टर से इन्कार करेगी जहां—
- (i) किसी संस्था, इसके किसी निदेशक, स्वामी या प्रोत्साहक को किसी नगरपालिका द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियन्त्रणाधीन किसी संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है;
 - (ii) किसी संस्था, इसके निदेशक, स्वामी या प्रोत्साहक की तरफ नगरपालिका के किन्ही देयों के भुगतान बकाया हैं;
 - (iii) किसी संस्था के निदेशक या किसी कम्पनी के निदेशक को किसी नगरपालिका द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन तथा नियन्त्रणाधीन किसी संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है;
 - (iv) किसी संस्था के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को किसी नगरपालिका के किन्ही देयों के भुगतान के बकाया में किसी कम्पनी के पहले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रहा है।
- (3) सूचना/दस्तावेजों सहित आवेदन की संवीक्षा पर, नगरपालिका सम्पूर्ण आवेदन की प्रस्तुति की तिथि से तीस दिन के भीतर, इस उप-विधि के प्रयोजन के लिए संस्था या कम्पनी को रजिस्टर करेगी तथा **अनुबन्ध 2** के अनुसार अन्वय पहचान संख्या तथा रजिस्ट्रेशन पत्र जारी करेगी।

(4) यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन फीस संस्था को वापस नहीं की जाएगी, जिसका अनुरोध अस्वीकृत किया गया है।

अन्य विधियों का प्रभाव।

16 (1) उस प्रभाव की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इन उपविधियों के अनुसार प्रदान किए गए किसी अनुमोदन से अभिप्राय है कि,—

- (i) कोई व्यक्ति, तत्समय लागू किसी अन्य विधि के किसी उपबन्ध से छूट प्राप्त है;
- (ii) कोई व्यक्ति, हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के उपबन्धों, अपेक्षाओं तथा लागूकरण से छूट प्राप्त है;
- (iii) किसी ओ.एम.डी की पंजीकृत संस्था या स्वामी इसकी बाध्यताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए छूट प्राप्त है कि ऐसा चिह्न बड़े स्तर पर जनता की सुरक्षा, रक्षा के लिए या जनता की शालीनता तथा नैतिकता के बचाव के लिए किसी लागू अन्य विधि के अनुसार डिजाईन, निर्मित, सम्पन्न, प्रदर्शित तथा अनुरक्षित किया गया है।

अनुमोदनों की वापसी तथा संशोधन।

17 (1) नगरपालिका प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस ले सकती है, या ऐसे अनुमोदन के सम्बन्ध में किसी शर्त को संशोधित कर सकती है या कोई अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकती है, यदि नगरपालिका या सामान्य आदेश द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी की राय में, ओ.एम.डी, जिसके लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है,—

- (i) ऐसे अनुमोदन के समय पर विद्यमान सड़क, किसी लोक उपयोगिता की व्यवस्था, अड़ोस-पड़ोस के पर्यावरण या सुखसाधन की प्रकृति, सड़क दृश्य या शहरी डिजाईन में किसी परिवर्तन के परिणाम के रूप में क्षेत्र, जिसमें वह स्थित है, किसी भी कारण से हानिकारक है, या हो गई है;
- (ii) किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के लिए खतरा बनती है या खतरा बन गई है ;
- (iii) किसी आलोचनात्मक तथा सौन्दर्यपरक रूप से किसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक विशेषता, वास्तुशिल्पीय विशेषता या नागरिक, वास्तुशिल्पीय, ऐतिहासिक या हैरिटेज महत्व को अस्पष्ट करती है;
- (iv) इन उप-विधियां या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अनुसार निषिद्ध है या हो गई है;
- (v) या तो किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से पूर्णतया गिर गई है या उसका कोई भाग गिर गया है;
- (vi) नगरपालिका के निर्देशन को छोड़कर उसमें कोई परिवर्तन किया गया है;
- (vii) भवन या संरचना या सम्पत्ति को गिराया जाना या नष्ट किया जाना प्रस्तावित किया गया है;
- (viii) लोक हित, सुरक्षा, सौन्दर्य इत्यादि में नगरपालिका, द्वारा, जो विनिश्चित किया जाए, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से हटाया जाना अपेक्षित हैं।

(2) कोई निर्णय लेने से पूर्व, नगरपालिका पंजीकृत संस्था या स्वामी को नगरपालिका का आशय उसे सूचित करते हुए नोटिस जारी करेगी तथा पंजीकृत संस्था या स्वामी को नोटिस की तिथि के सात दिन के भीतर नोटिस के उत्तर में लिखित प्रतिवेदन करने का अधिकार होगा।

(3) नगरपालिका द्वारा पूर्णतः या भागतः अनुमोदन की वापसी की दशा में, पंजीकृत संस्था या स्वामी को अपने जोखिम तथा लागत पर ओ.एम.डी को सात दिन के भीतर हटाना होगा या ऐसा परिवर्तन कर सकता है जैसा नगरपालिका द्वारा निर्देशित किया जाए। यदि अनुज्ञा फीस का कोई प्रतिदाय अनुमोदन की वापसी के कारण देय है, तो अनुज्ञा फीस की यथानुपात राशि तीस दिन के भीतर पंजीकृत संस्था या स्वामी को वापस कर दी जाएगी।

(4) नगरपालिका द्वारा, साधारण या नगरपालिका द्वारा विशेष आदेश द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी पंजीकृत संस्था से प्रतिवेदन की प्राप्ति पर अपने निर्णय के लिए लिखित में कारण देगा।

ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल

18 (1) राज्य ओ.एम.डी के प्रदर्शन तथा मॉनीटरिंग के लिए संस्था/स्वामियों को रजिस्टर करने के लिए तथा अनुमोदन प्रदान करने के लिए नगरपालिका हेतु पारदर्शी प्रणाली अपनाएगा।

(2) राज्य, स्वतः विज्ञापन के लिए स्वामी के अनुमोदन द्वारा तथा तृतीय पक्षकार विज्ञापन के लिए नीलामी द्वारा विज्ञापन अधिकार देने हेतु ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल का विकास करेगा। नीलामी या स्वतः-विज्ञापन के प्रयोजन के लिए पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सम्पत्तियों का भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस) आधारित शहर नक्शा तैयार करेगा।

(3) सभी ओ.एम.डी अपने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.पी.एस) समन्वय सहित, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए

ऑनलाइन पोर्टल पर चिह्नित की जाएगी।

(4) ऑनलाइन विज्ञापन पोर्टल विशेषता निम्न अनुसार होगी,—

- (i) विज्ञापनों से सम्बन्धित उप-विधियां तथा अधिसूचनाएं पोर्टल पर जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी;
- (ii) संस्थाओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को समर्थ बनाया जाएगा तथा पंजीकृत संस्था या स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) को एकमात्र पहचान संख्या दी जाएगी, जो नगरपालिका के साथ सभी आगामी पत्राचार के लिए सुरक्षित पासवर्ड होगी;
- (iii) सभी ओ.एम.डी, शहर के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस) नक्शे पर भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली (जी.पी.एस) से जोड़ी जाएंगी तथा पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी;
- (iv) स्वतः विज्ञापन हेतु बाहरी मीडिया की स्थापना के लिए आवेदन पोर्टल के माध्यम से नगरपालिका को प्रस्तुत किया जाएगा;
- (v) तृतीय पक्षकार विज्ञापन के लिए नीलामी हेतु सम्पत्ति सूचीबद्ध कराने के लिए आवेदन पोर्टल के माध्यम से नगरपालिका को प्रस्तुत किया जाएगा;
- (vi) प्रत्येक ओ.एम.डी स्थल के पास आबंटित अनन्य कोड होगा, जो विज्ञापन के प्रदर्शन तथा किसी अन्य सूचना, जो नगरपालिका की रूप में संहिताबद्ध की जानी अपेक्षित है, के लिए उसके स्वामित्व, अवस्थिति (भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली (जी.पी.एस) समन्वय), मीडिया किस्म, आकार (प्रदर्शन का क्षेत्र), भुगतानयोग्य विज्ञापन/अनुज्ञा फीस, करार की वैधता को बताएगा;
- (vii) सभी ओ.एम.डी का अनुमोदन पंजीकृत संस्था या स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही दिया जाएगा।

ओ.एम.डी के लिए सामान्य आवश्यकताएं।

19 (1) अनुमोदन के बाद, ओ.एम.डी नगरपालिका के पूर्वलिखित अनुमोदन के बिना परिवर्तित, हटाई, पुनर्निमित्त या अपग्रेडिड (विज्ञापन की विषय-वस्तु के सम्बन्ध के सिवाए) नहीं की जाएगी।

(2) किसी ओ.एम.डी के संचालन के लिए प्रत्येक विद्युत केबल तथा विद्युत कंडक्टर से युक्त कॉनडिट इस प्रकार रखा तथा संलग्न किया जाएगा कि यह जनसाधारण को सौन्दर्यपरक रूप से देखने में अप्रिय नहीं हो।

(3) कोई भी ओ.एम.डी पंजीकृत संस्था के नाम से सम्बन्धित अनुज्ञापित धारक विद्युत वितरण कम्पनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी विद्युत आपूर्ति के लिए उप-मीटर से नहीं जोड़ी जाएगी तथा ऐसी अनुमति अनुज्ञापित धारक विद्युत वितरण कम्पनी के प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा अनुरोध करने पर सम्बन्धित ओ.एम.डी के पंजीकृत संस्था द्वारा उनको प्रस्तुत की जाएगी।

(4) सभी ओ.एम.डी में विद्युत कनेक्शन तथा घटक सम्बन्धित भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार होंगे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार डिजाइन की जाएगी, वहां व्यक्तिगत या लोक सुरक्षा या मोटर या गैर-मोटर यातायात के संचलन में कोई जोखिम न हो।

(5) जेनरेटर, जो पेट्रोलियम ईंधन या किसी बायो-ईंधन से चलाए जा रहे हैं या शोर, वायु या जल प्रदूषण करते हैं, किसी ओ.एम.डी के प्रकाश के लिए विद्युत उपलब्ध करवाने हेतु अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे। तथापि, अभिकरण सौर फोटोवोल्टेक पट्टी लगाते हुए अपनी अधिकारिता के अधीन ओ.एम.डी प्रदीप्त कर सकती है।

(6) ओ.एम.डी का पंजीकृत संस्था या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) सुनिश्चित करेगी कि मीडिया सहित प्रदर्शन के लिए किसी प्रकार की सामग्री का निपटारा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा लागू किसी अन्य विधियों/नियमों/उप-विधियों के अनुसार किया जाएगा।

20 ओ.एम.डी अनुबन्ध 5 के अनुसार तथा अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट विशिष्टताओं तथा शर्तों सहित वर्गीकृत की जाएगी।

बाहरी मीडिया यन्त्र (ओ.एम.डी) का फार्मेट।

निरिक्षण।

21 नगरपालिका या साधारण या विशेष आदेशों द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भी समय किसी ओ.एम.डी का निरीक्षण पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी को सूचना देकर करने की शक्ति होगी।

ओ.एम.डी का रखरखाव और अप्राधिकृत बाहरी विज्ञापन को हटाना।

22 (1) इन उप-विधियों के उपबन्धों के अधीन,—

- (i) पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) यन्त्र तथा आस-पड़ोस के क्षेत्र के अनुरक्षण के लिये जिम्मेवार होगा ताकि यह ऐसे स्तर तक घृणित न बने या विकृत न हो जो इन उप-विधियों के किसी उपबन्ध के विरोध में हो;
- (ii) पंजीकृत संस्थाया सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) की स्वयं की सन्तुष्टि के दृष्टिगत ओ.एम.डी का निरीक्षण तीन मास में कम से कम एक बार करेगा कि यह उचित रूप से अनुरक्षित किया गया है तथा ऐसे निरीक्षण पर परिणामिक कोई आवश्यक अनुरक्षण तुरन्त करेगा; तथा
- (iii) पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) की गई किसी जाँच, किए गए अनुरक्षण का लिखित रिकार्ड रखेगा तथा उसका रिकार्ड सुरक्षित रखेगा तथा नगरपालिका के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर परिशीलन (पढने) के लिए उसे उपलब्ध कराएगा।

(2) पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) सुनिश्चित करेगा कि नगरपालिका द्वारा यथा अपेक्षित नगरपालिका के अनुमोदन के ब्योरे तथा ओ.एम.डी के ब्योरे मुहैया कराने के लिए नगरपालिका के उत्कीर्ण लोगो सहित एक धातु प्लेट (कम से कम एक फुट x एक फुट के आकार की) सभी समयों पर अच्छी स्थिति में प्रदर्शित तथा अनुरक्षित की जायेगी। ऐसा करने में असफल होने के परिणाम पर ऐसा असफलता अनुपालना प्रभार देय होगा जो नगरपालिका विनिर्दिष्ट करे।

(3) यदि, नगरपालिका की राय में कोई ओ.एम.डी खतरनाक या असुरक्षित है या मरम्मत न होने की स्थिति में गिरने की सम्भावना है या इन उप-विधियों की किसी अपेक्षा के प्रतिकूल है, तो नगरपालिका, पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ओ.एम.डी को हटाने/ रख-रखाव करने के लिए नोटिस की तामील करेगी तथा पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) के लिए उसका अनुपालन करना या उचित कार्यवाही करना अपेक्षित होगा।

(4) यदि नगरपालिका की राय है कि ओ.एम.डी किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये सन्निकट खतरा संधरित करती है, तो नोटिस की तामील किये बिना या यदि ऐसा नोटिस तामील किया गया है किन्तु उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन नहीं किया गया है, ओ.एम.डी को हटाएगा/अनुरक्षित करेगा।

(5) किसी ओ.एम.डी को हटाने तथा संचयन के लिये उपगत लागत, तथा उप-विधि 22(4) में यथा अपेक्षित नगरपालिका द्वारा उपगत कोई अन्य लागत पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) से वसूल करेगा। नगरपालिका द्वारा ओ.एम.डी पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) के जोखिम पर

हटाई जाएगी।

(6) यदि कोई ओ.एम.डी **उप-विधि 22(4)** के निबन्धों के अनुसार हटाई गई है, तो नगरपालिका ओ.एम.डी को इस प्रकार हटाए जाने के बारे में पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) को शीघ्रता से सूचित करेगा।

(7) कोई ओ.एम.डी जो इन उप-विधियों के निबन्धनों के अनुसार हटाई गई है या संचित की गई है, ऐसी प्रभार, जो नगरपालिका विनिर्दिष्ट करें, के भुगतान के अध्यक्षीन उसे उसके पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) को निर्मुक्त करेगा।

(8) प्राधिकृत ओ.एम.डी की सम्पूर्ण सूची, व्यापक तौर पर जनसाधारण तथा विभिन्न अभिकरणों जैसे कि कम्पनियों, अभिकरणों द्वारा संवीक्षा के लिए स्वामित्व के प्रदर्शन के बिना प्रदर्शित की जाएगी, ब्रांडों की पहचान तथा सुनिश्चित करने हेतु कि उन द्वारा जारी किए जा रहे विज्ञापन केवल प्राधिकृत ओ.एम.डी पर लगाए जा रहे हैं। उपरोक्त अपेक्षा के अनुपालन में असफलता हरियाणा सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के अधीन दण्डनीय होगी तथा अप्राधिकृत ओ.एम.डी को हटाने की कार्रवाई करने तथा व्यक्ति/स्वामी को दण्डित करेगी।

(9) कोई अप्राधिकृत बाहरी विज्ञापन, नगरपालिका द्वारा शीघ्रता से हटाया जाएगा तथा उसका जैसा है जहां है के आधार पर तुरन्त निपटान किया जाएगा।

(10) नगरपालिका, हरियाणा सम्पति विरूपण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के उपबन्धों के अनुसार अप्राधिकृत ओ.एम.डी स्थापित करने के लिए संबंधित व्यक्ति/स्वामी को नोटिस जारी करेगी तथा अप्राधिकृत ओ.एम.डी को हटाने के लिए तथा व्यक्ति/स्वामी को दण्डित करने के लिए कार्रवाई करेगी।

प्रलेखन।

23 पंजीकृत संस्था तथा सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) की सम्पति जिस पर ओ.एम.डी निर्मित, संलग्न या प्रदर्शित की गई है, इन उप-विधियों के निबन्धनों के अनुसार ऐसे साधन के अनुमोदन के लिए आवेदन से सम्बन्धित सभी प्रलेखन की प्रमाणित प्रतियां जब तक रखेगा तब तक वह साधन निर्मित या प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तथा किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर ऐसे प्रलेखन प्रस्तुत किए जाएंगे।

इच्छुक पक्षकार के अभ्यावेदन पर विचार।

24 (1) यदि किसी भी इच्छुक पार्टी से किसी आवेदन के संबंध में कोई लिखित टिप्पणी, प्रतिवेदन या आक्षेप प्राप्त हुई है, तो नगरपालिका आवेदन पर निर्णय लेने से पहले ऐसी टिप्पणियों, प्रतिवेदन या आक्षेपों पर विचार करेगी।

(2) पंजीकृत संस्था तथा सूचीबद्ध स्वामी ओ.एम.डी पर कोई टिप्पणी, प्रतिवेदन या आक्षेप प्राप्त करने के चौदह दिनों के भीतर, विचारण के लिए नगरपालिका को लिखित उत्तर प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि कोई उत्तर चौदह दिन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो नगरपालिका टिप्पणियों, प्रतिवेदनों या आक्षेपों पर निर्णय टिप्पणी, प्रतिवेदनों या आक्षेपों की प्राप्ति के इक्कीस दिनों के भीतर करेगी।

नोटिस की तामील।

25 (1) कोई नोटिस जो इन उप-विधियों के निबन्धनों के अनुसार या प्रयोजनों के लिए तामील, परिदन्त या दिया जाना अपेक्षित है या दिया जा सकता है, तो निम्नलिखित रीति में से किसी एक में तामील किया जाएगा;—

(i) सम्बन्धित व्यक्ति/पंजीकृत संस्था के अन्तिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक द्वारा या डाक प्रमाण-पत्र के अधीन नोटिस की प्रति भेजते हुए तथा जब तक प्रतिकूल साबित न किया गया हो, यह समझा गया है कि तामील सातवें दिन के आगामी दिन को हो गई है, जिसको दस्तावेज भेजे गए थे;

(ii) व्यक्ति को नोटिस की प्रति फ़ैक्स करते हुए, यदि व्यक्ति ने नगरपालिका को फ़ैक्स नम्बर लिखित में दिए हैं;

(iii) रजिस्टर्ड ई-मेल आई डी पर ई-मेल द्वारा नोटिस अग्रेषण करते हुए; तथा

(iv) रजिस्टर्ड अभिकरण के स्वामी या उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को नोटिस की प्रति दस्ती देते हुए।

अपील।

26 कोई व्यक्ति, जिसके अधिकार इन उप-विधियों के निबन्धनों के अनुसार या के प्रयोजनों के लिये नगरपालिका या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निर्णय द्वारा प्रभावित हुए हैं, तो वह उस निर्णय के विरुद्ध अपील निगम के मामले में मण्डल आयुक्त तथा परिषद्/समिति के मामले में उपायुक्त को कर सकता है।

दंड।

27 (1) इन उपविधियों के अधीन किए गए अपराध, संबंधित अधिनियम के उपबंधों के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई भी इन उप-विधियों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि नगरपालिका द्वारा ऐसी उल्लंघन को हटाने के लिए की जा सकती है तथा ऐसे उल्लंघन की अवधि या त्रैमासिक, जो भी अधिक हो, ऐसे उल्लंघन के प्रारम्भ की तिथि से लागू अनुज्ञा फीस के तीन गुणा की समकक्ष दर पर ऐसे उल्लंघन के लिए अनधिकृत प्रभार का भुगतान करने हेतु दायी होगा।

(3) किसी पंजीकृत संस्था या सम्पति का स्वामी द्वारा अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित करने की दशा में, या सम्पति का स्वामी, जिस पर अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित किया गया है, तथा अभिकरण या सम्पति का स्वामी **उपविधि 27(1)** में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे उल्लंघन के लिए प्रभार के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग रूप से दायी होंगे।

(4) किसी पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) जो अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित करता है नगरपालिका द्वारा अपंजीकृत या असूचीबद्ध किए जाने के लिए भी दायी होगा:

परन्तु अपंजीकृत या असूचीबद्ध करने के लिए कोई कार्रवाई नगरपालिका या नगरपालिका द्वारा निमित्त किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) को केवल सूनवाई का अवसर देने के बाद की जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि पंजीकृत संस्था ऐसे उल्लंघन के लिए शुल्क का भुगतान करती है, ऐसे उल्लंघन की सूचना की तिथि से पांच दिन की अवधि के भीतर अप्राधिकृत मीडिया हटा लेता है और भविष्य में उप-विधियों के उपबंधों का अनुपालन करने का वचन देती है, तो नगरपालिका सद्भावपूर्वक, पंजीकृत संस्था को अवसर प्रदान कर सकती है:

परन्तु यह और कि उपरोक्त अवसर केवल एक उल्लंघन के लिये दिया जाएगा तथा तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी पश्चात्तर्वती उल्लंघन के लिए नहीं दिया जाएगा।

(5) यदि किसी संस्था का स्वामी, प्रोत्साहक या निदेशक, जिसे अपंजीकृत किया गया है, किसी अन्य पंजीकृत संस्था का स्वामी, प्रोत्साहक या निदेशक है, तो ऐसे अन्य पंजीकृत संस्था के विरुद्ध भी विपंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी:

परन्तु विपंजीकरण के लिए कोई कार्रवाई नगरपालिका या नगरपालिका द्वारा इस निमित्त किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पंजीकृत संस्था को केवल सूनवाई का अवसर देने के बाद की जाएगी।

(6) उपरोक्त **उपविधि 27(3) या (4)** के अधीन पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) के विपंजीकरण के निर्णय के परिणामिक ऐसा पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) की किसी ओ.एम.डी के लिए नगरपालिका द्वारा दिया गया कोई अनुमोदन किसी ओर नोटिस के बिना तुरन्त वापस लिया गया समझा जाएगा।

(7) किसी पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन हेतु) उपरोक्त **उपविधि 27(3) या (4)** के अधीन एक बार अपंजीकृत को या असूचीबद्ध किया जाता है, तो विपंजीकरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए रजिस्टर या सूचीबद्ध करने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।

(8) **पन्द्रह दिन** से आगे उल्लंघन जारी रहने के मामले में, सम्पत्ति, जिस पर ऐसा उल्लंघन होता है, एक वर्ष की अवधि कि एक विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए बहिष्कृत कर दी जाएगी।

(9) नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सम्पत्ति, जिस पर या में अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित किया गया है, में प्रवेश करने तथा ऐसे अप्राधिकृत मीडिया को हटाने की शक्ति होगी।

बीमा।

28 (1) ओ.एम.डी के पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु, शारीरिक हानि या सम्पत्ति के आकस्मिक नुकसान के सम्बन्ध में तृतीय पक्षकार के लिए उनके सम्बन्धित अधिकारों, हितों तथा दायित्वों के लिए लोक दायित्व बीमा पालिसी पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) के संयुक्त नाम से मुहैया कराएगा तथा पूर्णयता प्रवृत्त तथा प्रभावशाली रखेगा।

(2) पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) नगरपालिका को बीमा लोक दायित्व बीमा पालिसी के सबूत प्रस्तुत करेगा।

क्षतिपूर्ति।

29 (1) पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) सभी कार्रवाई, कार्यवाहियों, दावों, मांगों, लागतों, हानियों, नुकसानों तथा खर्चों, जो नगरपालिका के विरुद्ध लाये गये हैं, या पर किए गये हैं, जो ओ.एम.डी को लगाने या अस्तित्व के परिणाम के रूप में उत्पन्न हुये हैं, के लिए नगरपालिका को क्षतिपूर्ति करनी अपेक्षित होगी।

(2) पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः-विज्ञापन के लिए) विज्ञापन के प्रदर्शन से उत्पन्न या सम्बन्धित किसी व्यक्ति या सम्पत्ति द्वारा की गई किसी हानि या वहन किए गये नुकसान के लिए हमेशा जिम्मेवार होगा तथा परिणामी दावा स्वामी द्वारा उठाया जायेगा, जो नगरपालिका द्वारा नियोजित/नियुक्त उसके कर्मचारियों या किसी अभिकरण की क्षतिपूर्ति भी करेगी तथा सुरक्षित भी रखेगी।

निरसन और व्यावृत्ति।

30 (1) हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपविधियों, 2018 तथा हरियाणा नगरपालिका उप-विधियां, 2019 इसके द्वारा, निरसित की जाती हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त उपविधियों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इन उप-विधियों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएंगी और इस प्रकार निरस्त की गई उपविधियों के अधीन पहले से दी गई अनुमतियां संविदा अनुबंध अवधि की समाप्ति तक जारी रहेंगी।

अनुबन्ध 1
पंजीकरण प्ररूप
{देखिए उप-विधि 14}

नगरपालिका.....

बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए विज्ञापन अभिकरण का पंजीकरण

1. संस्था का नाम (कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) में पंजीकरण ब्यौरों सहित कम्पनी/ फर्म/ अभिकरण) :
2. अभिकरण की किस्म.....
3. व्यापार कर किस्म.....
4. पैन संख्या.....
5. जी.एस.टी संख्या.....
6. पंजीकृत पता :
7. टैलीफोन सम्पर्क : कारबार : फैक्स :
- ईमेल पता :
8. निदेशकों/स्वत्वधारियों /भागीदारों के ब्योरे :

क्रम संख्या	नाम	डिन संख्या	मोबाईल संख्या	ईमेल पता
(i)				
(ii)				

9. संस्था के संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद;
10. पिछले तीन वर्षों, के लिए विज्ञापन कारबार में संस्था का अनुभव, ब्योरे या ऐसी समय अवधि के लिए संस्था विज्ञापन कारबार में कार्यरत रही हो, जो भी पहले (यदि कोई हो);
11. अभिकरण के प्रत्येक निदेशक या स्वत्वधारियों या भागीदारों के कार्य अनुभव के ब्योरे;
12. पिछले पांच वर्षों में देश में गैर-काली सूची में डालने का शपथ पत्र
13. पिछले तीन वर्षों का तुलन-पत्र, यदि उपलब्ध हों;
14. मुख्तारनामा या बोर्ड संकल्प के माध्यम से प्राधिकरण पत्र (जैसी भी स्थिति हो)
15. वचन देना कि संस्था की तरफ, हरियाणा की किसी नगरपालिका में उसके विरुद्ध कोई भी राशि लम्बित नहीं है, (राशि जैसे विकास शुल्क, संपत्ति कर, कारबार अनुराशि, जल शुल्क, सीवरेज उपकर आदि)
16. पंजीकरण राशि (अप्रतिदेय):
17. आवेदक संस्था को पिछले पांच वर्षों में किसी सरकारी हस्ती द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

हां
 नहीं
18. आवेदक फर्म/कम्पनी या उसका कोई भी देय लम्बित नहीं है
क. यदि हां तो कृप्या कुल लम्बित देय विनिर्दिष्ट करें

हां
 नहीं
19. आवेदक संस्था के पास विज्ञापन अधिकारी के लिए कोई भी न्यायालय मामला लम्बित नहीं है।

हां
 नहीं

मैं/हम, इसके द्वारा, नगरपालिका द्वारा बनाई गई विज्ञापन उप-विधि/ पालिसी के निबन्धनों तथा शर्तों तथा मार्गदर्शनों का पालन करूंगा/करेंगे। उपरोक्त सूचीबद्ध सूचना भी सत्य तथा प्रमाणिक है तथा इसके सम्बन्ध में प्रतिकूल निष्कर्ष के मामले में, पंजीकरण रद्द हो जाएगा।

हां सहमत

प्रस्तुत

(इन उप-नियमों के अधीन सभी प्रकार के भुगतान केवल विज्ञापन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे)

अनुबन्ध 2
संस्था के पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्ररूप
{देखिए खण्ड 15(3)}

विशिष्ट पंजीकरण संख्या

जारी करने की दिनांक

वैधता की दिनांक.....

सेवा में

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

संख्या का नाम

संस्था का पता

कृपया अपने आवेदन संख्या का संदर्भ लें। आउटडोर मीडिया डिस्प्ले के लिए राज्य स्तरीय पंजीकरण के लिए दिनांक। यह पंजीकरण इकाई को हरियाणा राज्य में सभी ई-नीलामी साइटों में भाग लेने में सक्षम बनाता है और पुरस्कार देने पर, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से साइट/अनुबंध विशिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार आउटडोर विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए आउटडोर मीडिया डिवाइस की स्थापना की अनुमति देता है।

प्रिय श्री मान/श्रीमती जी,

यह शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के साथ पंजीकरण के संबंध में आपके आवेदन के संदर्भ में है, जो इकाई को हरियाणा राज्य में सभी ई-नीलामी साइटों में भाग लेने में सक्षम बनाता है और पुरस्कार देने पर, साइट के अनुसार बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए आउटडोर मीडिया डिवाइस की स्थापना की अनुबंध विशिष्ट नियम और शर्तें ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से अनुमति देता है।

यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :

1. पंजीकरण के लिए आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है तथा आपको एकमात्र पहचान संख्या आवंटित की गई है। कृपया इसका उपयोग शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा और राज्य में सभी संबंधित नगरपालिकाओं के साथ भविष्य के सभी पत्राचार के लिए करें क्योंकि समिति यह रजिस्ट्रेशन होगा इस पत्र के जारी होने के तिथि से पांच वर्ष तक राज्य की सभी नगरपालिकाओं के लिए वैध होगा।
2. नए मीडिया/नवीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के कारण अस्वीकृत किया गया है:
 - क. अधूरा आवेदन
 - ख. दी गई गलत सूचना
 - ग. नगर निगम में लम्बित देय
 - घ. काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नहीं है
 - ड. अन्य

स्वीकृत/अस्वीकृत

कृत: शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा

1. टिप्पण : आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आप उपरोक्त वर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।
2. टिप्पण : यह केवल प्ररूपी फार्मेट है तथा यह विभाग द्वारा, समय-समय पर, रूपान्तरण/संशोधन के अधधीन है।

अनुबन्ध 3

स्वतः-विज्ञापन ओ.एम.डी या तृतीय पक्ष विज्ञापन अधिकार सीधे अनुमति के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र {देखिए खण्ड 6(1) 10(3)}

- क. तृतीय पक्ष विज्ञापन अधिकार सीधे अनुमति या केवल छूट की सीमा से परे स्वतः-विज्ञापन उद्देश्य के लिए पहचानी गई साइट का विवरण
 1. कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) में रजिस्ट्रेशन ब्यौरों सहित अभिकरण (व्यक्ति/कंपनी/फर्म/एजसी) का नाम:.....
 2. संख्या का प्रकार :
 3. व्यवसाय का प्रकार :
 4. व्यवसाय का पंजीकृत पता :.....
 5. पत्राचार फोन संख्या :
 6. पत्राचार ईमेल आईडी :
 7. पैन संख्या :.....
 8. जी.एस.टी संख्या :
 9. स्थल की संपत्ति आईडी :
 10. ओ.एम.डी पर प्रस्तावित पाठ :.....
 11. नगरपालिका का नाम जहां स्थल स्थित है:
 12. स्थल का पूरा पता :
 13. प्रस्तावित होर्डिंग का आयाम :.....
 14. ओ.एम.डी के प्रकार का विवरण दें (देखिए अनुबंध 5) :
 15. अनुमति का अनुरोध/आवश्यकता (वर्षों में) :

अपलोड करने का लिए दस्तावेज :

1. साइट के स्वामित्व दस्तावेज
2. पंजीकृत स्वामी या स्वामित्वाधीन किसी सम्पत्ति या सम्पत्ति, जिस पर ओ.एम.डी. प्रदर्शित करनी आशयित है, के लिए भुगतानयोग्य कर के संबंध में सम्पत्ति कर के सबूत के रूप में अंतिम रसीद।
3. इस आशय का एक वचन पत्र देना कि विज्ञापन प्रदर्शित करने का आवेदन किसी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं है।
4. अत्यधिक वायु स्थिति, भुम्प, मृदा सहन क्षमता को सहन करने के योग्य बनाने वाली इसकी नीवों के सुरक्षा पहलु को प्रमाणित करते हुए और समय-समय पर बनाए गए सुसंगत भारतीय संरचनात्मक डिजाईन मानकों, पॉलासी तथा मार्गदर्शनों की अनुपालना करते हुए किसी संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ओ.एम.डी के डिजाईन तथा संरचनात्मक ब्यौरे। संरचनात्मक ब्यौरे में किसी अन्य विधि के अनुपालन के सबूत सहित समर्थित ढांचे, आश्रय तथा डिजाईन परिकलन के सभी घटकों का आकार शामिल होगा, जिस पर उस सीमा तक ऐसी विधि लागू है, किन्तु लागू विधि तथा संहिता/मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है, जिसमें भारतीय सड़क काग्रेस (आई.आर.सी.) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) शामिल है।
5. ओ.एम.डी की प्रस्तावित अवस्थिति (जी.पी.एस. निदेशांक समन्वित) तथा किसी अन्य संरचना, भवन या प्रस्तावित ओ.एम.डी से पच्चीस मीटर के घेरे में स्थित ओ.एम.डी के संबंध में दूरी बताते हुए, अवस्थिति योजना दर्शाते हुए रंगीन ड्राईंग।
6. यदि प्रस्तावित ओ.एम.डी को किसी भवन के अग्रभाग से संलग्न की जाती है, या प्रदर्शित की जाती है, तो 1:1000 या नगरपालिका द्वारा यथा विनिर्दिष्ट स्केल में प्रस्तावित ओ.एम.डी का भवन एलीवेशन तथा मापन और अवस्थिति के विस्तृत मापन तथा किसी भवन पर प्रत्येक वर्तमान ओ.एम.डी कर अवस्थिति दर्शाते हुए वास्तु ड्राईंग।

वचनबद्धता : मैं/हम, नगरपालिका द्वारा बनाई गई नीति के सभी उपबंधों का पालन करेंगे।

टिप्पणः— केवल ऑनलाइन अप्रत्यर्पाणीय संवीक्षा फीस का भुगतान करने पर ही आवेदन जमा किया जाएगा। आवेदन की अस्वीकृति की दशा में, आप उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने पर नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। यह केवल प्ररूपी फारमैट है तथा यह विभाग द्वारा समय-समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अधधीन है। ओ.एम.डी जमा करने पर विशिष्ट आईडी जनरेट होगी।

ख. कार्यालय रिपोर्ट के लिए फार्मेट				
ओ.एम.डी विशिष्ट संख्या :	जिला:	शहर :	वार्ड :	जोन :
.....
सड़क/ गली/पता :				
.....				
स्वामित्व दस्तावेज के आधार पर अनुमोदन पत्र पर नाम :		अनुमति की समयावधि (वर्षों में) :		
.....			
जारी करने की तिथि :		समाप्ति की तिथि :		
.....			
अनुभाग I – लगाए गए /मांग गए प्रभार				
लागू अनुज्ञा प्रभार INR प्रति वर्ग मीटर प्रति/तिमाही :				
त्रैमासिक मांग (दिन/ माह/ वर्ष) तक उठाए जाने की मांग:				
अनुभाग II – प्ररूप – वर्गीकरण				
ओ.एम.डी का आयाम :				
भवन के अग्रभाग का क्षेत्र :				
ओएमडी की विशिष्टता :				
ओएमडी क्षेत्र (वर्ग मीटर में) :				
अनुभाग III – संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन				
कृपया निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें :				
<ul style="list-style-type: none"> • निदेशक सूचना • भवन परमिट/संपत्ति कर • पैन संख्या. • जीएसटी संख्या • संरचनात्मक इंजीनियर सम्पत्ति स्वामित्व का प्रमाण पत्र • विज्ञापन स्थलों के स्थान के सहित शहर योजना • जी.पी.एस अवस्थिति सहित ओ.एम.डी का समकक्ष • स्थल की फोटो (स्व-प्रमाणित) • स्थल की रेखाचित्र (स्व-प्रमाणित) • लंबित देय (यदि कोई हो) • वास्तुशिल्पीय ड्राईंग (उत्पापन, माप मापक्रम 1:1000) 				

अनुबन्ध 4

{दिखिये उप-विधि 6(4),10(8)}

तृतीय पक्ष विज्ञापन अधिकार सीधे अनुमति या छूट की सीमा से परे स्वतः-विज्ञापनों के उद्देश्य से <नगरपालिका का नाम> द्वारा जारी आशय पत्र

संख्या.....
सेवा में

दिनांक.....

<स्वामी का नाम>

<कारबार का नाम>

<कारबार का पता>

तृतीय पक्ष विज्ञापन अधिकार सीधे अनुमति या छूट की सीमा से परे स्वतः विज्ञापन के अधीन नए बाहरी मीडिया यन्त्र की स्थापना/बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए नवीनीकरण हेतु दिनांक को प्रस्तुत की गई आपके ओ.एम.डी विशिष्ट संख्या, के सन्दर्भ में।

प्रिय श्रीमान जी,

नगरपालिका मैं स्वयं/कम्पनी/फर्म/अभिकरण द्वारा बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए नई ओ.एम.डी की स्थापना/नवीनीकरण के बारे में आपके आवेदन के संदर्भ में है।

यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:

1. न्यू मीडिया/नवीनीकरण के लिए आपका आवेदन को दिन/ माह/ वर्ष) से ;डीडी/ओएमडी का क्षेत्रफल; वर्ग मीटर में) नगरपालिका का नाम की सीमा के भीतर।

2. आपको एतद्वारा ओ.एम.डी की विशिष्ट आईडी के आधार पर ओ.एम.डी की स्थापना/ स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है : प्रति तिमाही के रूप में अनुमति शुल्क पर। यह अनुमोदन पत्र प्रथम त्रैमासिक भुगतान आई.एन.आर प्राप्त होने पर जारी किया जाता है।

क. तिमाही 1..... दिन/माह/वर्ष तक वैध: दिन/माह/वर्ष को देय भुगतान:.....

ख. तिमाही 2 दिन/माह/वर्ष तक वैध दिन/माह/वर्ष को देय भुगतान :

ग. तिमाही 3 दिन/माह/वर्ष तक वैध दिन/माह/वर्ष को देय भुगतान :

घ. तिमाही 4 दिन/माह/वर्ष तक वैध दिन/माह/वर्ष को देय भुगतान :

ड. आदि

महत्वपूर्ण नोट: यदि शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो अनुमति समाप्त कर दी जाएगी।

या

1. न्यू मीडिया/नवीनीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार कर दिया गया है:

क. अधूरा आवेदन

ख. गलत सूचना दी गयी

ग. बकाया देय

घ. काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नहीं है

ड. अन्य।

आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/सचिव,
<नगर पालिका का नाम>

टिप्पण: आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को संतुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।

टिप्पण: यह केवल प्ररूपी फारमैट है तथा समय-समय पर नगरपालिका द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

**अनुबन्ध 5
(देखिये उप-विधि 3)**

वर्गीकरण	वर्गीकरण विवरण
क.	प्ररूप वर्गीकरण क : सार्वजनिक परिवहन सेवाओं/गली फर्नीचर तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर ओ.एम.डी
क.1	बस तथा मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आई.पी.टी.) आश्रय
क.2	बस तथा आई.पी.टी मार्ग मार्कर
क.3	फुट ओवर सेतु, संकेत गंत्री, शौचघर ब्लाक तथा मूत्रालय
क.4	साईकल स्टेण्ड/स्टेशन
क.5	पुलिस बूथ, पार्किंग बूथ, टैलीफोन बूथ, पूर्व भुगतान टैक्सी बूथ, बस/रेल बुकिंग सूचना बूथ, पेयजल सुविधा, निर्देशिका/बिलों के भुगतान इत्यादि को सूकर बनाने के लिए कालोनियों के बाहर लोक उपयोगिता कीयोस्क।
क.6	बैठने के बेंच, कूड़ा-करकट धानी।
क.7	मैट्रो/एम.आर.टी.एस
क.8	यातायात रूकावट
क.9	सार्वजनिक परिवहन वाहन
ख.	वर्गीकरण ख : सार्वजनिक भूमि पर वणिज्यिक विज्ञापन संरचना पर ओ.एम.डी
ख.1	सार्वजनिक भूमि पर ओ.एम.डी.
ग.	वर्गीकरण ग : निजी भूमि पर वणिज्यिक विज्ञापन संरचना पर ओ.एम.डी।
ग.1	यूनिपोल, सूचनापट्ट, भवन बोर्ड
ग.2	दीवार आवरण/ दीवार पेंटिंग
ग.3	बहुविध ओ.एम.डी,।
घ.	वर्गीकरण घ. : कार्यक्रम
घ.1	धार्मिक, राजनैतिक तथा सम्मेलन
घ.2	मनोरंजन तथा प्रदर्शन कार्यक्रम
ङ.	वर्गीकरण ङ : भू-दृश्य विज्ञापन
ङ.1	वृक्ष गार्ड
च.	वर्गीकरण च: दुकान संकेत
च.1	स्वतः विज्ञापन
छ.	वर्गीकरण छ : नवाचार विज्ञापन
छ.1	नवाचार विज्ञापन
ज.	वर्गीकरण ज : सिनेमा विज्ञापन
ज.1	स्क्रीन विज्ञापन पर सिनेमा में जिसमें खिसकना (स्लाईड) तथा विज्ञापन फिल्म गतिमान विज्ञापन शामिल हैं
झ.	वर्गीकरण झ : आन्तरिक वणिज्यिक भवन तथा सरकारी भवन
झ.1	आन्तरिक वणिज्यिक भवन तथा सरकारी भवन

समर्थित संरचना चमकीली (चमचमाती) रूकावट के लिए गैर-परावर्तक से परिष्कृत होगी। ओ.एम.डी संरचना को हर सभी समय भली भांति अनुरक्षित किया जाएगा। इसे ऐसे रंग से रंगा जाएगा जो आस-पड़ोस से संगत हो, तथा उसको बढ़ावा दें।

अनुबंध 6

संबंधित नगर पालिका के साथ अनुमति शुल्क साझा करने के साथ नीलामी के लिए निजी स्वामित्व वाली ओएमडी साइटों को जमा करने के लिए आवेदन पत्र

देखिए उप-विधि-10 (2)

क. तीसरे पक्ष के अधिकारों के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने के उद्देश्य से पहचानी गई साइट का विवरण

1. स्वामी का नाम:
2. पत्राचार फोन संख्या:
3. पत्राचार ईमेल आईडी :
4. पैन संख्या :
5. स्थल की संपत्ति आईडी :
6. नगरपालिका का नाम जहां स्थल स्थित है :
7. स्थल का पूरा पता :
8. प्रस्तावित हार्डिंग का आयाम :
9. नीलामी के प्रयोजन के लिए स्वामी द्वारा स्वीकार्य ओ.एम.डी के प्रकार का विवरण दें (देखिए अनुबंध 5) :
10. विज्ञापन प्रदर्शन का कार्यकाल (वर्षों में) :
11. मालिक की साइट (यदि कोई हो) पर ओएमडी आरक्षण/आपत्ति/अनुमति नहीं की सामग्री सूचीबद्ध करें :-

परिवचन :

मैं/हम, एतद्वारा राज्य द्वारा बनाई गई नीति के सभी प्रावधानों का पालन करेंगे। हम समझते हैं कि इस आवेदन के माध्यम से प्रस्तावित साइट को संबंधित/संबंधित नगर पालिका द्वारा आवेदन में निर्दिष्ट अवधि के लिए नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। मैं/हम यह भी समझते हैं, पोर्टल और एमएमएस के माध्यम से आवेदक को अधिसूचित ओएमडी साइट के अनुमोदन पर, उक्त साइट की नीलामी उच्चतम बोली लगाने वाले को तभी की जाएगी जब आवेदक द्वारा आरक्षित मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर ईएमडी राशि जमा की जाएगी। उपनियमों के खंड 10 (5) के अनुसार। मैं/हम चालू वित्तीय वर्ष में नगरपालिका द्वारा निर्दिष्ट और अधिसूचित अनुपात में नीलाम स्थल के अनुमति शुल्क को साझा करने को समझता/समझती हूँ और सहमत हूँ। ई.एम.डी जमा का खाता वही खाता होगा जहां साझा अनुमति शुल्क नगरपालिका द्वारा जमा किया जाएगा।

ख. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज :

1. साइट के स्वामित्व दस्तावेज
2. पंजीकृत स्वामी या स्वामित्वाधीन किसी सम्पत्ति, या सम्पत्ति, जिस पर ओ.एम.डी. प्रदर्शित करनी आशयित है, के लिए भुगतानयोग्य करके संबंध में सम्पत्ति कर के भुगतान सबूत के रूप में अंतिम रसीद।
3. इस आशय का वचन पत्र देना कि विज्ञापन प्रदर्शित करने का आवेदन किसी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं है।
4. अत्यधिक वायु स्थिति, भुम्प, मृदा सहन क्षमता को सहन करने के योग्य बनाने वाले इसके आधारों के सुरक्षा पहलु को प्रमाणित करते हुए किसी सांचनात्मक इंजीनियर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ओ.एम.डी के डिजाईन तथा संरचनात्मक ब्यौरों तथा समय-समय पर बनाए गए संबंधित भारतीय संरचनात्मक डिजाईन मानकों, पोलिसी तथा मार्गदर्शनों की अनुपालना की जाएगी। संरचनात्मक ब्यौरे में किसी अन्य विधि के अनुपालन के सबूत सहित समर्थित ढांचे, आश्रय तथा डिजाईन परिकलन के सभी घटकों का आकार शामिल होगा, जिसमें उस सीमा तक कि ऐसी विधि लागू है शामिल है किन्तु लागू विधि तथा संहिता/मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है जिसमें भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) शामिल है।
5. ओ.एम.डी की प्रस्तावित अवस्थिति (जी.पी.एस. निर्देशांक समन्वित) तथा किसी अन्य संरचना, भवन या प्रस्तावित ओ.एम.डी से पच्चीस मीटर के घेरे के स्थित ओ.एम.डी के संबंध में दूरी बताते हुए अवस्थिति योजना दर्शाते हुए रंगीन डाईग।
6. यदि प्रस्तावित ओ.एम.डी को किसी भवन के अग्रभाग से संलग्न किया जाता है, तथा प्रदर्शित की जाती है तो भवन एलीवेशन तथा मापन और प्रस्तावित ओ.एम.डी के विस्तृत मापन तथा स्थिति और 1:1000 की या परिषद/समिति द्वारा यथाविनिर्दिष्ट स्केल में दर्शाते हुए भवन पर प्रत्येक विद्यमान ओ.एम.डी की स्थिति दर्शाते हुए विस्तृत डाईग।

नोट: केवल ऑनलाइन अप्रतिदेय संवीक्षा फीस का भुगतान करने पर ही आवेदन जमा किया जाएगा। आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आप उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने पर नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। यह केवल एक विशिष्ट प्रारूप है और विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधन/संशोधन के अधीन है। ओ.एम.डी जमा करने पर विशिष्ट आईडी जनरेट होगी।

अनुबंध 7

संबंधित नगर पालिका के साथ अनुमति फीस साझा करने के साथ नीलामी के लिए सरकारी संस्थाओं के स्वामित्व वाली ओ.एम.डी साइटों को प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र

(देखिए खण्ड 12 (1))

क. तीसरे पक्ष के अधिकारों के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने के उद्देश्य से पहचानी गई साइट का विवरण

1. सरकारी अभिकरण का नाम :
2. नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम :
3. नोडल अधिकारी का पत्राचार फोन नंबर :

4. नोडल अधिकारी का पत्राचार ईमेल आईडी:
5. साइट की संपत्ति आईडी (यदि कोई हो) :
6. नगर पालिका का नाम जहां साइट स्थित है :
7. साइट का पूरा पता :
8. प्रस्तावित होर्डिंग का आयाम :
9. विज्ञापन प्रदर्शन का कार्यकाल (वर्षों में) :
10. आवश्यक अनुमति शुल्क शेरर हस्तांतरण के लिए खाता विवरण:

परिचय :

मैं/हम, एतद्वारा राज्य द्वारा बनाई गई नीति के सभी उपबंधों का पालन करेंगे। हम समझते हैं कि इस आवेदन के माध्यम से प्रस्तावित साइट को संबंधित/संबंधित नगर पालिका द्वारा आवेदन में निर्दिष्ट अवधि के लिए नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। मैं/हम यह भी समझते हैं कि नोडल अधिकारी (ईमेल/पोर्टल और एसएमएस के माध्यम से) के माध्यम से सरकारी संस्था को अधिसूचित ओएमडी साइट के अनुमोदन पर, उक्त साइट की नीलामी उच्चतम बोली लगाने वाले को की जाएगी। मैं/हम नीलामी स्थल के अनुमति शुल्क को 40:60 के अनुपात में बांटने को भी समझते हैं और सहमत हैं।

ख. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज:

1. साइट के स्वामित्व दस्तावेज
2. पंजीकृत स्वामी या स्वामित्वाधीन किसी सम्पत्ति, या सम्पत्ति, जिस पर ओ.एम.डी. प्रदर्शित करनी आशयित है, के लिए भुगतानयोग्य कर के संबंध में सम्पत्ति कर भुगतान के सबूत के रूप में अंतिम रसीद।
3. इस आशय का वचन पत्र देना कि विज्ञापन प्रदर्शित करने का आवेदन किसी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं है।
4. अत्यधिक वायु स्थिति, भुम्प, मृदा सहन क्षमता को सहन करने के योग्य बनाने वाले इसके आधारों के सुरक्षा पहलु को प्रमाणित करते हुए किसी सांचनात्मक इंजीनियर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ओ.एम.डी के डिजाईन तथा संरचनात्मक ब्यौरों तथा समय-समय पर बनाए गए संबंधित भारतीय संरचनात्मक डिजाईन मानकों, पोलिसी तथा मार्गदर्शनों की अनुपालना की जाएगी। संरचनात्मक ब्यौरों में किसी अन्य विधि के अनुपालना के सबूत सहित समर्थित ढांचे, आश्रय तथा डिजाईन परिकलन के सभी घटकों का आकार शामिल होगा, जिसमें उस सीमा तक कि ऐसी विधि लागू है शामिल है किन्तु लागू विधि तथा संहिता/मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है जिसमें भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) शामिल है।
5. ओ.एम.डी की प्रस्तावित अवस्थिति (जी.पी.एस. निदेशक समन्वित) तथा किसी अन्य संरचना, भवन या प्रस्तावित ओ.एम.डी से पच्चीस मीटर के घेरे के स्थित ओ.एम.डी के संबंध में दूरी बताते हुए अवस्थिति योजना दर्शाते हुए रंगीन डाईग।
6. यदि प्रस्तावित ओ.एम.डी को किसी भवन के अग्रभाग से संलग्न किया जाता है, तथा प्रदर्शित की जाती है तो भवन एलीवेशन तथा मापन और प्रस्तावित ओ.एम.डी के विस्तृत मापन तथा स्थिति और 1:1000 की या परिषद/समिति द्वारा यथाविनिर्दिष्ट स्केल में दर्शाते हुए भवन पर प्रत्येक विधामन ओ.एम.डी की स्थिति दर्शाते हुए विस्तृत डाईग।

नोट: केवल ऑनलाइन अप्रतिदेय/संवीक्षा फीस का भुगतान करने पर ही आवेदन जमा किया जाएगा। आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आप उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने पर नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। यह केवल एक विशिष्ट प्रारूप है और विभाग द्वारा समय-समय पर रूपांतरण/संशोधन के अधीन है। ओएमडी जमा करने पर विशिष्ट आईडी जनरेट होगी।

अनुसूची-1

सामान्य अनुज्ञा मानदण्ड- बाहरी मीडिया साधन

(देखिए उप-विधि-2 (I),(xxix) 3(4), 4(1), 5(1,2,3), 7(1), 8(1), 11(1), तथा 20)

1. यातायात बाधा सम्भाव्य निर्भरता

(1) ओ.एम.डी यातायात बाधा सम्भाव्य निम्नलिखित पर निर्भर है:-

(i) स्थल अवस्थिति: सड़क से ओ.एम.डी की अवस्थिति जो सड़क के किनारे से पार्श्व तथा देशान्तरीय अपसरण के निबन्धनों के अनुसार मापी गई है। सामान्यतः बाधा को कम करने के लिये साधन सड़क से दूर है;

(ii) ओ.एम.डी का आकार;

(iii) ओ.एम.डी का संदीप्ति स्तर; तथा

(iv) पृष्ठभूमि तथा अन्य ऐसे सम्बन्धित विषय।

(2) विज्ञापन साधन को यातायात बाधा माना जा सकता है:

(i) यदि यह यातायात नियन्त्रण साधन (अर्थात् यातायात प्रकाश, ठहराव या रास्ता संकेत देना) की प्रभावकारिता में बाधा डालता है।

(ii) यदि यह सड़क सुरक्षा या यातायात दक्षता में बाधा डालता है;

(iii) संकटमय समय पर चालक का ध्यान भंग करता है (अर्थात् चौराहे पर निर्णय लेने में)।

(iv) सड़क बाधा में चालक की नजर को धुंधला करता है (अर्थात् सड़क के कोने या मोड़ पर)।

(v) 'रुकने', 'ठहराव' या अन्य में यातायात के लिए हिदायतें देता है (अर्थात् रास्ता देना या विलीन होना)।

(vi) यातायात नियन्त्रण साधन का अनुकरण करना।

(vii) क्या सड़क या अन्य अवसंरचना, यातायात, पैदलयात्रियों, साईकिल चालकों या अन्य सड़क उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक बाधा डालता है।

(viii) क्या ऐसे क्षेत्र में हैं जहां कहीं अनेक साधन हैं तथा उन साधनों का संचयी प्रभाव सामान्य रूप से खतरनाक है।

(ix) यदि ऐसे स्थान पर स्थित है जहां सड़क स्थिति के कारण चालक की एकाग्रता की मांग मुख्य है जैसा कि मुख्य चौराहे या विलीन होने तथा अटकने वाले पथ पर।

(x) यदि यह लागू भवन उप-विधियों संहिता का उल्लंघन करता है।

(3) उपर्युक्त के अतिरिक्त, अतिरिक्त चालक ध्यान तथा निर्णय करना निम्नलिखित में अपेक्षित है:-

- (i) उच्च गति में मोड़ना, विलीन होना या टेढ़े-मेढ़े चलना चौराहे पर जैसे कि "Y" चौराहा या बड़े उच्च गति चक्कर;
- (ii) चौराहे के आस-पड़ोस में, जहां सम्पूर्ण पथ विलीन हो जाता है तथा जहां वाहनों का उच्चतर गति में विलीन होना अपेक्षित है (अर्थात् जहां "जाल पथ" चौराहे से पहुंच मार्ग, या से निकास को सृजित करता है तथा जहां विभाजित मोटर रास्ता दो सड़कों में बन जाता है);
- (iii) सड़क के चौराहे या काट जो पथ की आकृति या ज्यामिति के कारण, चालक एकाग्रता के स्तर में वृद्धि के लिए जरूरी हो सकती है (अर्थात् पांच-रास्ता चौराहे, पीछे से पीछे सपाट मोड़);
- (iv) विभाजित सड़क के बाहरी मोड़ पर जहां विज्ञापन वाहन रास्ते के सामने के यातायात को निर्देशित करता है तथा ज्यामिति, कोण या अन्य घटक इसे आपत्तिजनक बनाते हैं;
- (v) सड़क को विभाजित करने वाले यातायात संकेत, दिशात्मक चिह्न, विनियामक तथा सलाहकारी चिह्न का प्रदर्शन करना जो कि (जब एक मात्र रूप से या संयोजन से माने गये हैं) महत्वपूर्ण रूप से अधिक असदृश या पेचीदा के रूप में मान लिए गये हैं, तो वे सामान्यतः प्रत्याशित होंगे (इन चौराहों पर यह प्रत्याशित होगा कि यातायात नियन्त्रण साधन (साधनों) की अपेक्षित अध्ययनता तथा व्याख्या अवधि सार्थक रूप से लम्बी होगी);
- (vi) सड़क की काट जहां पूर्ववत वाहन टक्कर सामान्य प्रणाली से उच्चतर है;
- (vii) पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग सुविधाएं; तथा
- (viii) विद्यालय, अस्पताल, वृद्धाश्रम ।

2. ओ.एम.डी. अवस्थान चयन मानदण्ड

(1) स्थान चयन के मानदण्ड में निम्नलिखित शामिल है :-

- (i) ओ.एम.डी का पार्श्व स्थापना (जो गुमराह वाहन तथा सरकारी यातायात चिह्नों की वास्तविकता की सम्भाव्य बाधा को प्रभावित करता है), तथा
- (ii) निर्दिष्ट यातायात स्थिति तथा सरकारी यातायात चिह्न, सड़क विशेषता तथा अन्य ओ.एम.डी (जो दृश्य दूरी तथा चालक घबराहट को प्रभावित करता है) से संबंधित ओ.एम.डी का देशान्तरीय स्थापन (चालक घबराहट नियन्त्रण)।

(2) पार्श्व स्थापना

- (i) विज्ञापन मध्यम रेखा में अनुमत नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण यातायात नियन्त्रण साधनों से अलग रखा गया है।
- (ii) ओ.एम.डी यातायात टापू (आईजलैण्ड) पर अनुमत नहीं होगा।
- (iii) जहां वाहन रास्ते इतने अधिक भटकाऊ है कि उस पर आने वाला यातायात स्थलाकृति या सधन पेड़-पौधे के कारण दृश्य (स्पष्ट) नहीं है।

(3) देशान्तरीय स्थापना (चालक घबराहट नियन्त्रण)

- (i) देशान्तरीय स्थापना ओ.एम.डी तथा यातायात प्रतिकूल बिन्दु, सरकारी यातायात चिह्न तथा अन्य ओ.एम.डी (अर्थात् विज्ञापन सधनता को कम करना) के बीच न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करता है।
- (ii) ओ.एम.डी के स्थापन द्वारा यातायात के बहाव को सुकर बनाने तथा द्वारा हुये किसी यातायात बाधा से बचने के लिए किसी साधन के देशान्तरीय स्थापन को अन्तिम रूप देते समय निम्नलिखित का अनुपालन किया जायेगा, ओ.एम.डी ने स्थापना के लिए दूरी मुख्य वाहन रास्ते या जंकशन (संयोजन), चौराहे, गोल चक्कर इत्यादि से मापी जाएगी।

(4) पार्श्वीय तथा देशान्तरीय-स्थल चयन मापदण्ड

(i) पार्श्वीय मापदण्ड

- (क) पार्श्वीय दूरी मानदण्ड **अनुबन्ध-5** में वर्गीकरण "क" में परिभाषित ओ.एम.डी के सिवाए सभी प्रकार की ओ.एम.डी को लागू हैं;
- (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों की दशा में उप-विधि 2 को खण्ड (1) में मद (xxxiv) में परिभाषित अनुसार पार्श्वीय दूरी आर.ओ.डब्ल्यू के किनारे से **10 मीटर मापी** जाएगी; और किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग के आर.ओ.डब्ल्यू के भीतर ओ.एम.डी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ग) पंजाब अनुसूचित सड़क तथा अनियमित विकास अधिनियम, 1963 के नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंध के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित सड़कों की दशा में पार्श्वीय दूरी को आर.ओ.डब्ल्यू के किनारे से मापा जाएगा जैसा कि उप-विधि 2 के खण्ड (1) में मद (xxxiv) परिभाषित किया गया है। अनुज्ञेय पार्श्व दूरी या तो ऊपर मापी गई सड़क की आर.ओ.डब्ल्यू की चौड़ाई का $1/3$ या न्यूनतम दस मीटर, जो भी अधिक हो, होगी।
- (घ) सैक्टर सड़कों, नगरपालिका सड़कों और अनुसूचित सड़कों के अतिरिक्त अन्य सड़कों की दशा में, पार्श्व दूरी को आर.ओ.डब्ल्यू के किनारे से मापा जाएगा जैसा कि उप-विधि 2 के खण्ड (1) में मद (xxxiv) में परिभाषित किया गया है। दूरी आर.ओ.डब्ल्यू की $1/3$ या दस मीटर जो भी कम हो, होगी।
- (ङ) पार्श्व दूरी मानदंड इन उप-विधियों के अनुसार नगरपालिका के अनुमोदन के अधीन, टोल प्लाजा के पास स्थित सार्वजनिक शौचालयों, बस स्टॉप, टोल प्लाजा संरचनाओं पर ओ.एम.डी लागू नहीं होगी।
- (च) किसी भी स्थिति में, ओ.एम.डी को आर.ओ.डब्ल्यू के भीतर स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (छ) यदि नगरपालिका सड़क का आर.ओ.डब्ल्यू बीस मीटर से कम हो तो ओ.एम.डी परिवहन मार्ग के समानतर आर.ओ.डब्ल्यू के किनारे पर स्थापित किया जाएगा और इस आकार 4.6 x 3.05 मीटर तक सीमित है।

(ii) देशान्तरीय मानदण्ड

ओ.एम.डी के देशान्तरीय स्थापना के लिए स्थल चयन मानदण्ड

50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की अधिसूचित गति के लिए सड़क के साथ दो ओ.एम.डी के बीच	गति कारक (सड़क की अधिसूचित गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है)	सड़क के साथ दो ओ.एम.डी के बीच न्यूनतम देशान्तरीय सीधी स्पष्ट दूरी (यदि अधिसूचित गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से
--	---	---

	न्यूनतम देशान्तरीय सीधी स्पष्ट दूरी		अधिक है)
	1	2	3
(i)	100 मीटर	(i). 60 किलोमीटर प्रति घंटा = 1.2 (ii). 80 किलोमीटर प्रति घंटा = 1.5 (iii). 100 किलोमीटर प्रति घंटा = 2.0	(i). 100 x 1.2 = 120 मीटर (ii). 100 x 1.5 = 150 मीटर (iii). 100 x 2.0 = 200 मीटर

उपरोक्त दूरी को, वाहन द्वारा तीन सैंकड के विचलन समय में गति से पूरी की गई दूरी (विज्ञापन के कारण विचलन), ब्रेक लागू करने के लिए एक सैंकड का प्रतिक्रिया समय, दूसरी प्रतिक्रिया समय, गति वाहन की ब्रेकिंग दूरी और अतिरिक्त सुरक्षा कारक के आधार पर गणना की गई है।

टिप्पण: देशान्तरीय दूरी मानदण्ड अनुबन्ध 5 में वर्गीकरण "क" में परिभाषित ओ.एम.डी के सिवाए किसी सड़क के साथ ओ.एम.डी या सार्वजनिक भूमि पर ओ.एम.डी को लागू होगी।

- (iii) किसी सड़क संयोजन (जंक्शन), यातायात चौराहे या अन्य कासिंग (चौराहे) के पच्चेतर मीटर के भीतर ओ.एम.डी अनुमत नहीं है। किसी सड़क संयोजन (जंक्शन), यातायात चौराहे या अन्य कासिंग (चौराहे) से निकलने वाले यातायात की दिशा में किसी अन्य सड़क कासिंग के पचास मीटर के भीतर ओ.एम.डी की अनुमति नहीं होगी। दूरी यातायात चौराहे के किनारे से मापी जाएगी न कि सड़क जंक्शन या कांसिंग से।
- (iv) ओ.एम.डी यातायात के विनियमन के लिए निर्मित किसी यातायात संकेत या यातायात चिह्न या किसी अन्य संरचना को बन्द नहीं करेगी।
- (v) गोलचक्कर (राउंडअबाउट) (परिवहन मार्ग सहित) के बाहरी विस्तार (चौड़ाई) से मापे गए 100 मीटर से कम के व्यास के गोल चक्कर पर ओ.एम.डी अनुमत नहीं है।
- (vi) गोलचक्कर (परिवहन मार्ग सहित) के बाहरी विस्तार (चौड़ाई) से मापे गए 100 मीटर तथा से अधिक व्यास के गोल चक्कर पर ओ.एम.डी परिवहन मार्ग के किनारे से **10 मीटर** की स्पष्ट दूरी पर अनुमत हैं।
- (vii) जहां पार्श्व स्थापन अपेक्षाएं तथा चालक घबराहट अपेक्षाएं किसी विशेष निर्बन्धन दूरी, द्वारा मुहैया कराई गई है, तो वृहतर मान्यताओं का प्रयोग किया जाएगा।
- (viii) जब दो (2) ओ.एम.डी इकट्ठे स्थित है, अपने साधारण रूप में भिन्न है, तो चालक ध्यान-भंग सम्भाव्यता दोनों यन्त्रों को साथ-साथ विचारते हुए अवधारित की जाएगी।
- (ix) किसी यूनियोपल ओ.एम.डी या किसी अन्य यूनियोपल ओ.एम.डी से दीवार आवरण ओ.एम.डी के किनारे के बीच अनुज्ञेय दूरी सामने के अग्रभाग से कम से कम 50 मीटर होगी।
- टिप्पण:** प्रत्येक परिसर में एक ओ.एम.डी को स्थापित करने की अनुमति है, भले ही सामने का अग्रभाग पच्चास मीटर से कम हो, लेकिन एकल आधार पर एक से अधिक ओ.एम.डी के मामले में, प्रत्येक अन्य ओ.एम.डी केवल तभी अनुमति देता है जब सामने का अग्रभाग कम से कम पच्चास मीटर हो। एक ही परिसर के भीतर प्रत्येक ओ.एम.डी के बीच की दूरी पच्चास मीटर होगी।
- (x) यदि कोई ओ.एम.डी एक सड़क या सड़क की किस्म से अधिक दृश्य है (जैसे कि मोटर मार्ग या मोटर मार्ग मानक सड़क तथा रैम्प या अन्य सड़क), तो प्रतिबन्ध प्रत्येक सड़क या सड़क से दृश्य ओ.एम.डी को लागू होगा।
- (5) ओ.एम.डी की भौतिक विशेषता
- (i) भौतिक विशेषता पर नियन्त्रण का उपयोग, चालक घबराहट के स्तर को कम करना आशयित है। बाहरी विज्ञापन साधन की भौतिक विशेषताओं का नियन्त्रण निम्नलिखित से सम्बन्धित है:
- (क) आकार तथा आकृति
(ख) रंग
(ग) चित्रावली तथा संदीप्ति
(घ) संचलन तथा चकानुकम
(ङ) ओ.एम.डी विषय-वस्तु
- (ii) आकार तथा आकृति
(क) ओ.एम.डी ऐसी आकृति का प्रयोग नहीं करेगा जो संभवतः किसी ओ.एम.डी से सरकारी यातायात चिह्न की वास्तविकता के लिए भ्रान्तिपूर्ण होने का परिणाम हो सकता हो।
(ख) भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा आई आर सी: 67-200/सड़क चिह्न के लिए प्रक्रिया की संहिता सरकारी यातायात चिह्न के मूल डिजाईन पैरामीटरों को विहित करती है तथा इसमें मानक संकेत वाक्य/ पृष्ठभूमि रंग संयोजन शामिल है।
- (iii) रंग
(क) ओ.एम.डी ऐसे रंग संयोजन (सम्मिश्रण) का प्रयोग नहीं करेंगे जो संभवतः सरकारी यातायात चिह्न के भ्रान्तिपूर्ण होने का परिणाम हो।
(ख) भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा आई आर सी: 67-2001, सड़क चिह्न की प्रक्रिया की संहिता सरकारी यातायात चिह्न के मूल डिजाईन पैरामीटरों को विहित करती है तथा इसमें मानक संकेत: वाक्य/ अप्रकाश्यता रंग संयोजन शामिल है।
- (iv) चित्रावली तथा संदीप्ति
(क) ओ.एम.डी भड़कीले लाल, नीले या अम्बर बिन्दु प्रकाश स्रोत के बराबर नहीं होगा जो, जब सड़क से देखने पर, आपातकालीन सेवा या वाहन चेतावनी प्रकाश के अन्य विशेष प्रयोजन का आभास दे सकता है।
(ख) ओ.एम.डी से सम्बद्ध सभी प्रकाश केवल ओ.एम.डी तथा इसके ठीक आस-पास को निर्देशित करेंगे।
(ग) बाहरी चित्रावली स्रोतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कवच किया जाएगा कि बाहरी "स्थान" प्रकाश स्रोत पास आने वाले मोटरचालक पर निर्दिष्ट न हो।
(घ) ओ.एम.डी की चित्रावली या उसके सम्पूर्ण भाग को छिपाया जाना है।

- (ड) साधन के ऊपरी प्रकाश/ निर्देश को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, किसी बाहरी प्रकाश निर्देश को नीचे का ओर किया जाना है तथा ओ.एम.डी से बाहर प्रकाश को रोकने या प्रकाश को कम करने के लिए ओ.एम.डी पर सीधे रूप से फोकस किया जाना है।
- (च) किसी प्रकाश स्रोत को कवच किया जाएगा ताकि चकाचौंध ओ.एम.डी से बाहर न फैले।
- (छ) गैर-स्थैतिक प्रदीप्त ओ.एम.डी (कोंधवती) अनुमत नहीं हैं।
- (ज) सामान्य अनुरक्षित संदीप्ति को 0.5 दीपाधार तक कम किया जाएगा या **0000 बजे (12 बजे सुबह)** के बाद तथा स्वतः समय यन्त्र द्वारा सूर्योदय के बाद या समय-समय पर नगर निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समय के बाद बन्द किया जाएगा।
- (झ) पूर्व परावर्तक सामग्री वाले ओ.एम.डी के चमकीले परावर्तन को कम करने के उद्देश्य से वाहन हैडलाइट बीम की साधारण रेखा से लगभग 5 डिग्री दूर से घुमाया जाएगा।
- (v) संचलन तथा चक्रानुक्रम
- (क) गतिमान प्रदर्शन जो बाहरी उद्दीपन, प्रवर्तक आवर्ती या परिवर्तनशील संदेश ओ.एम.डी पर मोटर चालक प्रतिक्रिया समयों पर सांख्यिकीय रूप से सार्थक विभ्रान्तीय प्रभाव डालते है। केवल मार्किट स्थल, पार्किंग स्थानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में अनुज्ञेय है जहां कहीं केवल पैदल चलने वालों का आवागमन है। किसी भी मामले में ऐसे विज्ञापन यातायात (केवल सरकारी परिवहन वाहनों (अर्थात् राज्य सरकार बसों) पर चिपकाए गए विज्ञापनों के सिवाए) के लिए अनुमत नहीं किए जाएंगे।
- (ख) ट्रेलर आधारित विज्ञापन की अनुमति इस शर्त के अधीन है कि ट्रेलर चयनित स्थानों/स्थानों पर और निर्धारित समय अवधि में विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त, ट्रेलर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय, विज्ञापन को ठीक से कवर किया जाना चाहिए।
- (ग) यात्री वाहनों पर ओ.एम.डी की अनुमति नहीं होगी।
- (घ) यह अनुमति मानदण्ड यातायात प्रबन्धन/सूचना के लिए सड़क प्राधिकरणों द्वारा प्रयुक्त परिवर्तनशील संदेश प्रदर्शन को लागू करने के लिए आशयित नहीं है। बस अड्डे या समरूप स्थानों पर स्थित परिवर्तनशील संदेश प्रदर्शन जहां संदेश पैदल यात्रियों (मोटरचालकों के लिए नहीं) पर निर्दिष्ट है, तथा के लिए आशयित शामिल नहीं है।
- (vi) विज्ञापन साधन विषय-वस्तु
नगरपालिका सामान्यतः न्यूनतम विज्ञापन मानक लागू करने के लिए विज्ञापन उद्योग में स्वतः विनियामक नियन्त्रण पर विश्वास रखेगा। इस प्रस्ताव के होते हुए भी, नगरपालिका ओ.एम.डी के किसी विज्ञापन को संशोधित करने या हटाने के लिए कार्यवाई कर सकता है जो विज्ञापन उद्योग की नीति शास्त्र संहिता के उल्लंघन में हो उपबध्दों 4(3) में उपबन्धित नकारात्मक विज्ञापनों की सूची या जो यातायात बाधा का अन्यथा कारण बनता हो संदर्भित करें।
- (vii) सुवाच्यता
- (क) ओ.एम.डी (ओ.एम.डी से भिन्न जो पैदलयात्रियों पर निर्दिष्ट हैं) के सभी प्रवर्गों के लिए, ओ.एम.डी के मुख पर अवतरण घटक यात्रा करने वाले मोटरचालकों के लिए आसानी से इन्द्रियगोचर होने चाहिए। यह चालक की घबराहट को कम करेगा। इसके अतिरिक्त चिह्न शीघ्र तथा आसानी से समझे जाने वाले होंगे ताकि दर्शक को अपेक्षित विज्ञापन संदेश सूचित किए जा सकें तथा घबराहट के समय को कम कर सकें।
- (ख) ओ.एम.डी पैनल पर प्रदर्शित विषय-वस्तु या लेखा चित्र-कला, अभिन्यास पढने में कठिनाई से बचाएगी तथा अधिचित्र जटिल नमूना आकृति से बचाएगा तथा अक्षर शैली उचित होगी। किन्ही भी परिस्थितियों में सूचना वाले साधन अवतरण आकारों में नहीं होने चाहिए, जो चालक या गतिमान वाहन के यात्री को रोकने, पढने तथा/ या नोट करने आवश्यक होंगे, जो यातायात के निर्बाध बहाव तथा चालक को विभ्रान्त करने में हानिकारक हो।
- (ग) सभी ओ.एम.डी इस प्रकार से डिजाईन किए जाएंगे कि उन्हें सादृश्य रखा जा सके, जहां, साधारण नियम के अनुसार, अक्षर जब तक नगरपालिका द्वारा अन्यथा अनुमत न हो, तब तक अक्षर ओ.एम.डी क्षेत्र के 20 प्रतिशत से अधिक के क्षेत्र में दिखाई नहीं देना चाहिए।

3. स्थापना, संचालन तथा अनुरक्षण विकास मानदण्ड

- (1) निम्नलिखित मानदण्ड भी लागू होंगे :-
- (i) संनिर्माण, अनुरक्षण तथा परिवर्तन गतिविधियों के लिए ओ.एम.डी को सुरक्षित पहुंच उपलब्ध होगी।
- (ii) ओ.एम.डी तथा आस-पड़ोस के क्षेत्रों को स्वच्छ तथा साफ-सुथरी अवस्था में रखा जाएगा।
- (iii) अप्राधिकृत वृक्षहीन क्षेत्र, पेड़-पौधों की छंटाई करना, कटाई तथा जलाना या वनस्पती का अन्यथा हटाना या विनाश करना अनुमत नहीं है।
- (iv) यानीय तथा पैदल यातायात को अनुग्राही बनाने के अलावा, सड़क आरक्षण उपयोग सेवाओं के लिए कोरीडोर हैं जैसे कि बिजली, दूरसंचार, गैस, वर्षा पानी, जल आपूर्ति तथा सिवरेज (मलजल)। इन सेवाओं के स्थान सड़क आरक्षण के भीतर इन सेवाओं को स्थापित करने के लिए उनके अपने विधायी अधिकार सहित अन्य अभिकरणों द्वारा ज्ञात है।
- (v) नगरपालिका सभी भूमिगत सेवाओं के सही स्थान को नहीं जानता। स्वामी किए जाने वाले स्थल कार्यों पर कोई उत्खनन या निर्माण करने से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकरणों से समन्वय करने, सूचना देने तथा संसूचित करने के लिए जिम्मेवार है। कोई दायित्व, विलम्ब या दुर्घटना जो घटती है, की सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वामी की है तथा किसी भी रूप में नगरपालिका करार या इस उप-विधियों में नियत सहायता, समर्थन, बातचीत करने या किसी शर्त को हटाने के लिए दायी नहीं होगा।
- (vi) ओ.एम.डी के स्वामी यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र जिम्मेवार हैं कि किसी ओ.एम.डी के संनिर्माण, अनुरक्षण, परिवर्तन तथा कार्यवाही के दौरान, साधन सड़क आरक्षण के भीतर सेवाओं या अन्य बातों के प्रतिकूल नहीं होगा।
- (vii) नगरपालिका उपयोगिता सेवाओं जैसे कि बिजली, दूरसंचार, गैस, वर्षा पानी, जल आपूर्ति तथा मलजल (सीवरेज) द्वारा किए गए कार्य को सूकर बनाने के लिए या सड़क को चौड़ा करने के लिए किसी ओ.एम.डी को या तो बदलने या पूर्णतया हटाने के लिए स्वामी को कह सकता है।

4. संरचना

- (1) ओ.एम.डी संरचना यन्त्र संरचनात्मक इंजीनियरी के क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले किसी संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित होंगे। यह अपेक्षा विशिष्ट दृष्टान्तों को लागू नहीं है जहां ओ.एम.डी संरचना के बाहरी हिस्से से सीधे रूप से चिपकाए गए विज्ञापन के रूप में है अर्थात् वाहन, दीवार आवरण पर चिपकाया गया स्टीकर।
- (2) यह प्रमाणन सम्बन्धित भारतीय संरचनात्मक डिजाईन मानक, व्यवसाय संहिता तथा इस मार्गदर्शक की शर्तों सहित डिजाईन का अनुपालन प्रदान करता है। नीचे अत्यधिक हवा अवस्था, भूकम्प, क्षमता वाली मिट्टी इत्यादि के अनुसार डिजाईन की जाएगी तथा जांच की जाएगी।
- (3) सहायता संरचना चकाचौंध रोकने के लिए अपरावर्तक परिष्कार की होगी।
- (4) ओ.एम.डी संरचना भली-भांति अनुरक्षित होगी। ऐसे रंग से रंगी जाएगी जो आस-पड़ोस क्षेत्र से संगत हो, तथा उसको बढ़ाता हो।
- (5) सरकारी सड़क फर्नीचर जैसे कि सरकारी चिह्नों तथा चित्रक मार्गदर्शन स्तम्भों को ओ.एम.डी की सहायता संरचना के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।
- (6) ओ.एम.डी अनुज्ञप्ति धारक का नाम, अनुज्ञप्ति की संख्या/मीडिया साधन पहचान संख्या इत्यादि ओ.एम.डी पर सहजदृश्य स्थिति में रखी जाएगी जो नगरपालिका द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जा सकेगी।

5. विद्युत कनेक्शन

- (1) ओ.एम.डी के विद्युत कनेक्शन सम्बन्धित भारतीय मानकों को पूरा करेंगे।
- (2) ओ.एम.डी के विद्युत कनेक्शन यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाईन किए जाएंगे कि यहां कोई भी सुरक्षा या यातायात जोखिम नहीं है।
- (3) ओ.एम.डी के विद्युत कनेक्शन आकस्मिक पछाड़ की घटना में सुरक्षित के रूप में डिजाईन किए जाएंगे।
- (4) रजिस्टर्ड एजेंसी बिजली उपभोक्ता है तथा वह उसके अपने नाम से प्रदीप्त प्रदर्शन करने के लिए सम्बन्धित विद्युत वितरण कम्पनी से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन करेगी, जिसके लिए नगरपालिका सम्बन्धित भूमि स्वामित्व वाले कम्पनी स्वामी के अनुरोध पर अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र मुहैया करेगी।
- (5) विद्युत कनेक्शन तथा आपूर्ति के लिए कोई प्रभार प्रत्यक्ष रूप से रजिस्टर्ड एजेंसी द्वारा उपगत किए जाएंगे। स्वीकृति/बिल व्यवस्था के लिए बिजली प्रदायक के पत्र की एक प्रति नगरपालिका को प्रस्तुत की जाएगी।
- (6) विद्युत संस्थापना कार्य सम्बन्धित विद्युत विनियम तथा लिखित नियमों तथा सम्बन्धित विद्युत प्रदायक की अपेक्षाओं के अनुसार अनुज्ञप्त इलैक्ट्रीकल कर्मकार द्वारा किया जाएगा।
- (7) उपयुक्त रोधन तथा संरक्षण उपकरण तथा प्रक्रिया या तो ओ.एम.डी या सड़क प्रकाश सर्किट संरक्षण अनुरक्षण तथा कार्यरत सेवा कार्मिक के संगत होगी। भूयोजन (अरथिंग) के लिए एक पृथक मिट्टी इलैक्ट्रोड का प्रयोग किया जाएगा, तथा सक्रिय तथा निशंवेशित चालक केवल आपूर्ति बिन्दु से आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।
- (8) खाका योजना स्थान जहां से बिजली विभिन्न अन्य आनुषंगिक अपेक्षाओं की स्थिति सहित प्राप्त की जा रही है, दर्शाते हुए सरकारी प्राधिकरण को उसी क्षेत्र में पेशा करने वाले अर्हक विद्युत इंजीनियर द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित, प्रस्तुत की जाएगी।
- (9) विद्युत ठेकेदार के जांच प्रमाण-पत्र की प्रति नगरपालिका को मुहैया कराई जाएगी। स्वीचिंग यन्त्र विद्युत प्रदायक द्वारा अनुमोदित किस्म का होगा। बिजली घटक सम्बन्धित भारतीय मानकों के अनुसार होगा।

6. विविध

- (1) आवाज, गन्ध इत्यादि द्वारा संचारण करने वाले ओ.एम.डी अनुमत नहीं हैं।
- (2) किसी बाहरी विज्ञापन साधन की चित्रावली के लिए बिजली मुहैया कराने हेतु शोर, वायु या जल प्रदूषण करने वाला डीजल/पेट्रोल/मिट्टी तेल या किसी बायो ईंधन से चलने वाला कोई भी जरनेटर अनुज्ञात नहीं होगा।

7. गैर-अनुज्ञेय बाहरी विज्ञापन की सूची

- (1) लोक सम्पत्ति पर विज्ञापन चिपका कर लगाया जाना।
- (2) बैनर।
- (3) स्तम्भ/तोरण पर चिपकाने के रूप में विज्ञापन।

8. लोक परिवहन सेवा/गली फर्नीचर पर ओ.एम.डी (वर्गीकरण 'क')

- (1) बस तथा मध्यमवर्ती लोक परिवहन विद्युत (आई पी टी) आश्रय।

क्रम संख्या	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	आश्रय की छत पर ओ.एम.डी	i. एक अग्र पैनल 9 x 0.3 ii. दोनों तरफ पैनल 3 x 0.3
2.	आश्रय के ढांचे पर ओ.एम.डी	i. सड़क के समानान्तर एक पिछला पैनल - 9 x 1.2 ii. एक खम्बे पर चिपकाया हुआ पिछला लिट पैनल - 1.8 x 1.2

- (i) यात्री परिवहन आश्रय का अभिगम सिरा पहुंचने वाले यात्री परिवहन वाहन की अधिकतम दृश्यता सहित प्रतिक्षित यात्रियों को मुहैया कराने के लिए खुला रहेगा।

- (2) बस तथा मध्यमवर्ती लोक परिवहन (आई पी टी) मार्ग निशान।

क्रम संख्या	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	मार्ग निशान के दोनों तरफ की ओ.एम.डी स्थान	i. 1.2 x 2.0 (उंचाई) 0.2 x 2.0 दोनों तरफ बस सम्बन्धित सूचना के लिए आरक्षित होगी।

- (3) बस और मध्यमवर्ती लोक परिवहन (आईपीटी) वाहन

क्रम संख्या	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	सार्वजनिक परिवहन बसें i. ड्राइवर साइड पैनल पर ii. दूसरी तरफ पैनल	i. 4.0 x 0.6 ii. 3.5 x 0.6

iii. पीछे की ओर वाहन के शीशे वाले क्षेत्र पर किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं है	iii. 1.2 x 0.9
--	----------------

(4) फुट ओवर सेतु के लिए विज्ञापन विनियमन मानदंड:

- सिर्फ पारदर्शी स्वरूप के विज्ञापन मार्ग की भीतरी दीवार पर तथा मार्ग की उपरी सतह से 0.75 मीटर की उच्चतम उचाई तक ही अनुमत किए जाएंगे। सभी परिस्थितियों में, मार्ग पर होने वाली गतिविधियां हर दिशा से स्पष्ट रूप से जनता को दिखनी चाहिए।
- सड़क से दृश्य विज्ञापन, यातायात की दिशा से विपरीत दिशा में फुट ओवर सेतु की तरफ पर अनुमत होगा।

(5) सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक तथा साईकिल स्टेशन

क्रम संख्या	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	सतह पर ओ.एम.डी के लिए अधिकतम स्थान	<ul style="list-style-type: none"> ब्लॉक के कुल सतह क्षेत्र का सत्तर प्रतिशत शहर नक्शे/प्रतिवेश नक्शे/मार्ग नक्शे सहित कम से कम 1.8 x 1.2 का अतिरिक्त पीछे का लिट पैनेल भी मुहैया कराया जाएगा
2.		<ul style="list-style-type: none"> किसी भी मामले में ओ.एम.डी की उंचाई संरचना की मुंडेर (रेलिंग) से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक शौचालय के मामले में जल भण्डारण टैंक उचित रूप से छिपाया जाएगा तथा जनता को दृश्य नहीं होगा।

(6) सार्वजनिक उपयोगिता फर्नीचर-बूथ (अर्थात् पुलिस बूथ, टेलीफोन बूथ इत्यादि)

क्रम संख्या	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	सतह पर ओ.एम.डी के लिए अधिकतम स्थान	<ul style="list-style-type: none"> बूथ के तीनों तरफ के कुल सतह क्षेत्र का 70 प्रतिशत। बूथ के पिछली तरफ ओ.एम.डी अनुमत नहीं है। बूथ के शीशे के सतह पर (प्रकाश तथा संवातन के लिए) ओ.एम.डी अनुमत नहीं है।

(7) सार्वजनिक उपयोगिता फर्नीचर - बैठने के बेंच तथा कुड़ा कचरा धानी (बिन)

क्रम संख्या	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	ओ.एम.डी के लिए अधिकतम स्थान	<ul style="list-style-type: none"> नगरपालिका द्वारा विनिश्चित कुल सतह क्षेत्र का प्रतिशत। ओ.एम.डी केवल पैदल मार्ग के सामने होगा।

साधारण टिप्पण :-

- ओ.एम.डी पैनेल अतिरिक्त प्रक्षेपित ब्रेकेट (बैठने के बेंच तथा कुड़ा कचरा धानी के सिवाए) के बिना बैकलिट होगा।
- अनिश्चित चित्र, निआन, परिवर्तनशील एल.ई.डी, चित्र कोलोर का बदलना, चमकीली लाईटें अनुमत नहीं है।
- अधिमानत: बी.ओ.टी आधार पर विकसित किया जाना है, जहां विद्यमान अवसंरचना के लिए बी.ओ.टी सम्भव नहीं है, वहां सुख-सुविधा के रखरखाव के लिए विज्ञापन स्थल बोली से निकाल दिया जाएगा जोकि बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।
- ओ.एम.डी की स्थापना के लिए संरचना के संवातन तथा प्राकृतिक प्रकाश के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
- बस तथा आई.पी.टी आश्रय, शौचालय ब्लॉक, साईकिल स्टेशन, उपयोगिता बूथ तथा सार्वजनिक उपयोगिता बैठने के बेंचों के स्थानों को नगरपालिका द्वारा पहचाना जाएगा।
- ओ.एम.डी वाहन तथा पैदल यातायात के बहाव में कोई बाधा नहीं करेगा।

9. लोक परिवहन प्रणाली पर ओ.एम.डी (वर्गीकरण व्याख्या 'क')

(1) लोक परिवहन प्रणाली में, ओ.एम.डी रोलिंग स्टॉकस, स्टेशनों आश्रयों, फुटओवर पुलों तथा अन्य सम्पत्तियों (मेट्रो संरचनात्मक खम्बों/स्तम्भों समेत) पर अनुमत है।

क्रम सं०	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	मेट्रो संरचनात्मक स्तंभों/स्तंभों पर ओ.एम.डी के लिए अधिकतम स्थान	<ul style="list-style-type: none"> जमीनी स्तर से 3.0 मीटर ऊपर (अर्थात् वाहन चालक के सामान्य नेत्र स्तर से ऊपर) स्थापित किया जाना है। अधिकतम ऊंचाई - 3 मीटर अधिकतम चौड़ाई - स्तंभ के व्यास तक सीमित (ओ.एम.डी का कोई भी भाग स्तंभ की चौड़ाई से अधिक नहीं लटका होगा/प्रक्षेपित नहीं होगा)

(2) मेट्रो स्टेशन, आश्रयों, फुट ओवर सेतु तथा अन्य सम्पत्तियों पर ओ.एम.डी इस प्रकार लगाई जाएंगी कि वे सार्वजनिक सड़क पर यातायात की दिशा का सामना नहीं करती हो (अर्थात् ओ.एम.डी सड़क के दूसरे हिस्से पर स्थापित किया जा सकता है)।

(3) ओ.एम.डी के अवस्थान को नगरपालिका के अनुमोदन से लोक परिवहन प्रणाली चलाने वाले व्यक्ति, कम्पनी, बोर्ड या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पहचान की जाएगी। इनकी पहचान मामले से मामले के आधार पर की जाएगी।

(4) अनुज्ञात ओ.एम.डी, प्रतीकात्मक व्याख्या के अनुसार उप-विधियों में कथित विशिष्टियों का पालन करेगी तथा सड़क सुरक्षा परामर्श में आशक्त तीसरे पक्षकार द्वारा लेखा परीक्षित कराई जाएगी। किसी भी मामले में तीसरा पक्ष (या इसकी सिस्टर कम्पनी) विज्ञापन प्रदर्शन कारबार में आशक्त नहीं होगा।

(5) यातायात रोक

ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
-----------------	--------------------------------

रोक के दोनो तरफ पर ओ.एम.डी के लिए अधिकतम स्थान।	<ul style="list-style-type: none"> अधिकतम लम्बाई – 0.6 अधिकतम ऊँचाई – 0.3
---	---

10. वर्गीकरण 'ख' तथा 'ग' ओ.एम.डी के लिए प्ररूपी विज्ञापन यन्त्र परिमाण (दीवार आवरण के सिवाए)।

किस्म	प्रतिमाप (मीटरों में)	टिप्पणी
मानक ओएमडी	4.6 x 3.05	चालकों की दृष्टि ऊँचाई पर रखी जा सकती है जो किसी पैदल संचलन को भंग नहीं करेगी।
	6.1 x 3.05	चालक दृष्टि के प्रत्यक्ष क्षैतिज दृष्टि में नहीं आएगी। विज्ञापन पैनल का निचला भाग निकटवर्ती सड़क किनारे से कम से कम तीन मीटर से अधिक होना चाहिए तथा आधार पोल सड़क किनारे से कम से कम दस मीटर दूर होगा।
यूनिपोल तथा बड़े आकार का सूचना पट्ट	4.5 x 2.25	खड्गजा सड़क किनारे से कम से कम आफसैट सहित कम से कम पैंतालीस मीटर आर ओ डब्ल्यू सहित सड़क से दस मीटर।
	5.0 x 2.5	
	7.6 x 3.8	सड़क अन्तिम खड्गजा सड़क किनारे बिना संकेत के चौराहों या गोलचक्करों के मोड़ से कम से कम साठ मीटर आर ओ डब्ल्यू से कम न हों। अग्रभाग (मुंह) तेज गति से चलाने वाली यातायात सड़क की ओर था पहुंच नियन्त्रित सड़क/उच्च मार्ग के साथ न हों।
	10.0 x 5.0	पूर्ण रूप से केवल पैदल तथा पार्किंग/बाजार क्षेत्रों में

- (1) नगरपालिका सुनिश्चित करेगा की पूर्वोक्त आकार, शहर में अधिक सौन्दर्य लाने के लिए, बढाते हुए प्रयुक्त किए जाते है। रजिस्टर्ड हस्ती पूर्वोक्त एक मानक परिमाण का प्रयोग करेगा।
- (2) ऐसे मामलों में जहां कोई निर्माण नहीं किया गया है या थोड़ा निर्माण किया गया है, तो केवल उपरोक्त विनिर्दिष्ट आकार के यूनिपोल तथा सूचना-पट्ट अनुमत किए जाएंगे।
- (3) नगरपालिका द्वारा स्वागत संकेत तथा सामाजिक संदेश देने के लिए ढांचे केवल विभक्त परिवहन मार्ग सहित नगरपालिका सड़क पर ही अनुमत होंगे। प्रवर्तक ओ.एम.डी ढांचे के दूसरी तरफ पर अर्थात् आने वाले यातायात की विपरित दिशा पर प्रदर्शित किए जाएंगे। सड़क तथा ढांचे की निम्नतम सतह के बीच स्पष्ट दूरी आठ मीटर से कम नहीं होगी। गैट्री पर अधिकतम ओ.एम.डी की अनुमति एक मीटर तक सीमित है।
- (4) रिक्त ओ.एम.डी पर, सम्पूर्ण स्थान को कवर करने के लिए मोबाईल नम्बर अनुमन नहीं होंगे। मोबाईल नम्बर ओ.एम.डी के कुल स्थान के 1/10 वें भाग में दिए जाएंगे।

11. विज्ञापन परिसरों पर अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र।

- (1) भवन के प्रत्येक अग्रभाग पर विज्ञापन परिसरों (भवन तथा भूमि सहित) पर उपलब्ध अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र, सार्वजनिक गली/सड़क से दृश्य क्षेत्र नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा:-

क्रम संख्या	भवन की किस्म	कुल क्षेत्र का अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र (भवन के प्रत्येक अग्रभाग पर)
1.	शापिंग माल, कारपोरेट आफिस, दुकान/शापिंग काम्प्लेक्स	20 प्रतिशत
2.	नियोजित कार्यालय अर्थात् स्वयं विज्ञापक (कार्यालय/दुकान संकेतक)	2 प्रतिशत

- (i) दीवार आवरण, पचहतर प्रतिशत की पारदर्शिता सहित सामग्री वाले भवन में प्राकृतिक रोशनी (प्रकाश) अनुज्ञात करेंगे।
- (ii) ओ.एम.डी की ऊँचाई, भवन की ऊँचाई के अनुसार प्रतिबन्धित है, जो निम्न अनुसार है:-

क्रम संख्या	भवन की ऊँचाई	ओ.एम.डी की अधिकतम ऊँचाई
1.	तीन मंजिलों तक (15 मीटर तक)	8 मीटर
2.	चार से आठ मंजिल (15 से 36 मीटर)	12 मीटर
3.	आठ मंजिल से अधिक (36 मीटर से अधिक)	15 मीटर

परन्तु कोई खुलने वाला दरवाजा/खिड़की कवर नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विज्ञापन ईमारत के बुनियादी वास्तु खास, विशेषताएं (जैसे मेहराब, कॉलम, आलो, प्रक्षेप, आदि), मानक अगवाड़ा (प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) और आकार को खराब नहीं करेगा।

12. कार्यक्रमों के लिए ओ.एम.डी (वर्गीकरण 'घ')

- (1) ये ओ.एम.डी केवल घटनाओं के लिए लगाई जाएगी, जैसे कि सम्मेलन, मनोरंजन घटनाएं, प्रदर्शनी इत्यादि तथा नगरपालिका द्वारा केवल अस्थायी संरचना पर अनुमत होगी।
- (2) ये ओ.एम.डी इस उप-विधि के किन्ही उप बन्धों का उल्लंघन नहीं करेगी।
- (3) ये ओ.एम.डी घटना के तीस दिन पहले लगाई जानी अनुमत होगी तथा कार्यक्रम समाप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर हटानी होगी।
- (4) वर्गीकरण-घ.1 में वर्णित ओ.एम.डी से रजिस्ट्रेशन तथा फीस/प्रभावों के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।
- (5) वर्गीकरण-घ.2 में वर्णित ओ.एम.डी नगरपालिका द्वारा यथा विनिश्चित फीस का भुगतान करेगी, किन्तु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से छूट प्राप्त नहीं है।
- (6) उप-विधि के उप बन्ध के उल्लंघन तथा कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ओ.एम.डी न हटाने के लिए दण्ड प्रभार वर्गीकरण-घ में वर्णित सभी ओ.एम.डी पर लागू होंगे तथा नगर निगम द्वारा यथा विनिश्चित दैनिक आधार पर प्रभारित किए जाएंगे।

13. परिदृश्य विज्ञापन के लिए ओ.एम.डी (वर्गीकरण 'ङ')

- (1) परिदृश्य ओ.एम.डी केवल तीन वर्ष से कम आयु तथा/या चार मीटर से कम ऊँचाई के वृक्षों को कवर करने के लिए वृक्ष रक्षक पर अनुमत है।
- (2) वृक्ष रक्षक 1.2 से 1.5 मीटर सिरे तथा 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित वर्गाकार का होगा।

क्रम संख्या	ओ.एम.डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)

1.	ओ.एम.डी के लिए अधिकतम स्थान रक्षक के प्रत्येक सिरे पर वर्गाकार प्लेट होगी।	<ul style="list-style-type: none"> • अधिकतम लम्बाई— रक्षक की चौड़ाई के बराबर • अधिकतम ऊँचाई—0.9 • ओ.एम.डी का निचला भाग भूमि से 0.3 मीटर ऊंचा होगा।
----	--	---

14. स्वयं विज्ञापन (वर्गीकरण 'च')

- (1) स्वतः विज्ञापन की विषय-वस्तु कार्यालय/ दुकान के स्वामी द्वारा केवल कार्यालय/दुकान संकेतक की सीमा तक अनुमत है। कोई भी तीसरा पक्ष विज्ञापन स्वतः विज्ञापन पर/के साथ अनुमत नहीं होगा।
- (2) स्वतः विज्ञापन भवन बोर्ड, दीवार आवरण के रूप में भवन के मुख/अग्रभाग के कुल क्षेत्र के केवल दो प्रतिशत पर अनुमत है। यदि संपत्ति स्वामी कुल क्षेत्र के दो प्रतिशत से ज्यादा स्वयं विज्ञापन लगाता है, तो यह अनुबंध 5 में बताये गये वर्गीकरण के अन्तर्गत माने जायेंगे तथा उसके अनुसार ही लागू फीस/प्रभार लिये जाएंगे।
- (3) दुकानों के मामले में, स्वतः विज्ञापन बोर्ड की ऊँचाई एक मीटर तक सीमित है तथा चौड़ाई भवन की चौड़ाई तक सीमित होगी, दुकान की सरदल ऊँचाई से ऊपर लगाई जाएगी। शापिंग काम्प्लेक्स में, सभी दुकाने स्वतः विज्ञापन बोर्ड की स्पष्ट उंचाई में एकरूपता रखेंगी।
- (4) स्वतः विज्ञापन बोर्ड भवन के अग्रभाग से 150 एम.एम. से बाहर निकला हुआ नहीं होगा।
- (5) स्थिर छतरी (कियोस्क) या ठेले पर फेरीवाले द्वारा स्वतः विज्ञापन 3 मीटर x 1 मीटर के परिमाण सहित 3 वर्गमीटर तक सीमित है।
- (6) रिक्षा के लिए स्वतः विज्ञापन रिक्षा के पीछे तथा दोनों तरफ के 1 मीटर x 0.5 मीटर पैनल सहित 1.5 वर्गमीटर तक सीमित है।
- (7) भू-ओ.एम.डी., आर.ओ.डब्ल्यू तथा पैदलमार्ग पर अनुमत नहीं होगा।
- (8) भू-ओ.एम.डी का आकार 2 मीटर x 1 मीटर आकार सहित 2 वर्गमीटर तक सीमित अधिकतम आकार सहित आर.ओ.डब्ल्यू से दूर प्रत्येक मीटर की दूरी के लिए 0.3 वर्गमीटर होगा।
- (9) पेट्रोल पंपों पर, तेल कंपनियों और वितरकों के बीच अनुबंध समझौते के अनुसार, तेल कंपनियों के उत्पाद या सार्वजनिक संदेश के केवल स्वतः विज्ञापन की अनुमति है। तृतीय पक्षकार वाणिज्यिक विज्ञापन की अनुमति नहीं है।

15. नवाचार ओ.एम.डी (वर्गीकरण 'छ')

- (1) नवीनतम ओ.एम.डी जैसे कि एल.ई.डी, एल सी डी, फुलाने योग्य या गैस गुब्बारे तथा अन्य ऐसे मीडिया के लिए विशेष अनुमति प्राप्त की जानी अपेक्षित होगी।
- (2) यह अनुमोदन विनिदिष्ट अवधि के लिए होगा, तथा उप-विधि 6 के अनुसार होगा।
- (3) चालन करते समय चालक पहली दृष्टि में सड़क से चिह्न की विषय-वस्तु को पढ़ेगा, तथा फिर वापस सड़क पर देखेगा। एल ई डी चिह्न (रंग परिवर्तन के बिना) भवन आकृति (अग्रभाग) पर विज्ञापन के स्वीकार्य फारमैट में है चूंकि ये विशिष्ट ब्राण्ड नामों का निरूपण करने के लिए अनुमानित है तथा उच्च दृश्य सूचना वाले नहीं होते हैं।
- (4) एल.सी.डी/एल.ई.डी स्क्रीन जो विशिष्ट रूप से लेखा-चित्रकला तथा दृश्य प्रतिकृति की हैं, वे मार्केट क्षेत्रों, पार्किंग स्थानों, पार्कों, भ्रमण मार्ग, मुख्यतः यातायात के यानीय संचलन के सामने न हों, में प्रतिबन्धित होंगी।
- (5) इसके अतिरिक्त, वाई-फाई होटस्पोट, मोबाईल टैलीफोनी ऐनटिना/ टावरों के वितरण के लिए ओ.एम.डी का प्रयोग विशेष परियोजना रिपोर्ट के आधार पर अनुमत होगा।
- (6) पूर्वोक्त के अतिरिक्त, अन्य मानदण्ड निम्नलिखित होंगे:-
 - (i) प्रदर्शन के भीतर संचलन की प्रायिकता तथा प्रसार तथा रंग परिवर्तन।
 - (ii) ओ.एम.डी केवल वहां लगाए जाएंगे जहां अपेक्षित चिह्न दृश्यता समय विशेष परिसर के लिए सुरक्षा समस्या का परिणाम न हो।
 - (iii) चिह्न पढ़ने के लिए पर्याप्त अग्रिम दृश्यता हो।
 - (iv) परिसर चालक निर्णय बिन्दुओं से मुक्त हो तथा वहां सरकारी यातायात चिह्न में कोई होड़ न हो।
 - (v) साधन कोई गतिमान ओ.एम.डी न हो।
 - (vi) लम्बी अवधि प्रदर्शन मीयाद चालक घबराहट को कम करने तथा गतिविधि को समझने की मात्रा को कम करने का उद्देश्य अधिमत है। प्रत्येक स्क्रीन, कम से कम 8 सैकेण्ड की प्रदर्शन अवधि की होगी। परिवर्तन करने के लिए क्रमिक प्रदर्शन हेतु लिया गया समय 0.1 सैकेण्ड में होना चाहिए।
 - (vii) सम्पूर्ण स्क्रीन प्रदर्शन तत्काल प्रतिवर्तित होगा। प्रदर्शन परिवर्तन का ढंग जैसे कि "फ्लाई इन" या "स्क्रीन", या सन्देश परिवर्तन की कोई अन्य किस्म अनुशासित नहीं की गई हैं।
 - (viii) क्रमिक संदेश सेट अनुज्ञात नहीं है :
 - (ix) समय सीमा समय-समय पर पुनरीक्षित की जाएगी।
- (7) गैस गुब्बारे या फुलाने योग्य ओ.एम.डी के लिए अनुमति निम्नलिखित मानदण्डों पर दी जाएगी, अर्थात्:
 - (i) गैस गुब्बारे ओ.एम.डी खुले क्षेत्रों में तथा स्थिर स्थिरक सहित भूमि के साथ लगाए तथा लटकाए जाएंगे।
 - (ii) इनकी अग्नि सुरक्षा के बारे में अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्निशमन अधिकारी से ली जाएगी।
 - (iii) गैस गुब्बारे ओ.एम.डी बहुत उंचे उठे हुए भवन/ उच्च वोल्टेज लाईनों/ विद्युत टावरों के निकट तथा निकटतम भवन/ उच्च वोल्टेज लाईनों/ विद्युत टावरों से इनकी दूरी गैस गुब्बारे की कुल उंचाई से डेढ गुणा (1.5 गुणा) होगी।
 - (iv) फुलाने योग्य ओ.एम.डी हवा से ही फुलाए जाएंगे (किसी प्रकार की गैस की अनुमति नहीं है)
- (8) पॉलिसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए खुली होगी बशर्ते कि वे किसी सामान्य अनुमति मानदण्ड के उल्लंघन में न हों, तथा नगर निगम द्वारा भी अनुमोदित होंगी। किसी ऐसे माध्यम को लागू करने से पूर्व नगर निगम से अनुमति ली जाएगी।

16. वाणिज्यिक और सार्वजनिक भवनों के अंदर ओ.एम.डी (वर्गीकरण "झ")

- (1) परिसर में लगाये गये सभी ओ.एम.डी को (किसी भी सार्वजनिक गली/सड़क का सामना नहीं करने वाले), भवन उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शित करने के लिए, आवश्यक शुल्क के भुगतान पर, नगरपालिका से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
- (2) परिसर में स्थापित ओ.एम.डी, किसी भी सार्वजनिक गली/सड़क का सामना नहीं करती, यातायात में किसी भी तरह का विचलन नहीं करती है और इसलिए ऐसे ओ.एम.डी के आकार और स्थान के संबंध में कोई मापदंड परिभाषित नहीं किया गया है।

(3) किसी भी स्थिति में, ऐसे ओ.एम.डी सार्वजनिक गली/ सड़क और किसी भी आसन्न इमारत से सार्वजनिक दृश्य, यातायात/पैदल यात्री का सामना नहीं करेंगे।

(4) केवल द्वारा लटकाई गई या लगाई सभी ऐसी ओ.एम.डी जो स्तम्भ, बीम, छत इत्यादि पर स्थापित की गई है, जनसाधारण के लिए संरचनात्मक सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षा मानदंडों की अनुपालना करेंगे।

टिप्पण:— यदि एक ओ.एम.डी एक परिसर के भीतर और परिसर के भीतर की इमारत की ओर स्थापित है लेकिन आसन्न भूखंडों पर इमारतों से भी दिखाई देता है, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में वर्गीकरण "झ" के तहत विचार किया जाएगा।

i. ओएमडी सतह का कोण (क्षेतिज या लम्बवत) आसन्न भूखंड पर इमारत की दिशा में 45 डिग्री पर होगी (5 प्रतिशत भिन्नता अनुमत);

ii. आसन्न भूखंड पर की इमारत से ओएमडी की दूरी पचास मीटर से कम न हो।

17. अनुमति मानदण्ड

(1) सभी परिसरों में ओ.एम.डी/कारबार/व्यापार चिह्न वाणिज्यिक क्षेत्रों में तथा संस्थागत क्षेत्रों के भीतर प्राधिकृत कारबार/व्यापार स्थापनाओं में प्रतिबन्धित होंगे।

(2) अनुमति के लिए शर्तों की पूर्ति के अधीन और उपविधि में निर्दिष्ट दूरी पैरामीटर का पालन करने पर, रिक्त प्लॉट पर ओ.एम.डी को स्थापित करने की अनुमति है।

(3) ओ.एम.डी-आवासीय क्षेत्रों में अनुमत नहीं है तथापि, आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक घटक (अर्थात् आस-पड़ोस का बाजार स्थान) में ओ.एम.डी अनुमत हैं। ओ.एम.डी पूर्ण रूप से केवल बाजार के अग्रभाग में होगी तथा किसी भी परिस्थिति में आवासीय क्षेत्र के अग्रभाग में नहीं होगी।

(4) परिसर में प्रदीप्त ओ.एम.डी कम से कम 12 मीटर चौड़ाई सहित गली में आवासीय क्षेत्रों के सामने दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अनुमत नहीं हैं।

(5) ओ.एम.डी किसी भी रूप में वृक्षों या झाड़ियों में नहीं लगाई जाएगी।

(6) कोई भी व्यापार तथा कारबार चिह्न, संदेश, पोस्टर या किसी स्वरूप की मुद्रित सामग्री किसी समर्थित कालम, स्तम्भ या खम्भे पर नहीं चिपकाई जाएगी।

(7) परिसर में ओ.एम.डी किसी भी रूप में किसी पैदल संचलन (अनुलम्ब रूप से तथा पार्श्व रूप से), अग्नि बचाव, दरवाजा तथा खिड़की खोलने में बाधा नहीं डालेगा।

(8) परिसर में ओ.एम.डी किसी भी रूप या रीति में प्रकाश तथा संवातन के लिए अपेक्षित द्वार में बाधा नहीं डालेगा।

(9) किन्हीं भी परिस्थितियों में परिसर में ओ.एम.डी बाधा डालने या किसी पारदर्शी/पारभासी सतहों/द्वार के सामने की रूपरेखा बदलने के लिए स्थान निर्धारित अवस्थित नहीं किया जाएगा।

(10) **अनुसूची-1 के खण्ड 11** में परिभाषित ऊंचाई के अध्वधीन गैर-प्रदीप्त पारदर्शी/पारभासी चिह्न किसी भी स्तर पर पारदर्शी/पारभासी बाहरी सतहों पर अनुमत किया जाएगा।

(11) कोई भी व्यापार तथा कारबार चिह्न किसी भी रूप या रीति में अपेक्षित अग्नि सुरक्षा परिवहन/निकास स्थान तथा विहित मानकों में बाधा नहीं डालेगा।

(12) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी किसी भी परिस्थिति में परिसरों के भीतर की गई गतिविधि/गतिविधियों से भिन्न उनको प्रतिबिम्बित नहीं होगी।

(13) कोई भी ओ.एम.डी अतिरिक्त विज्ञापन-स्थल पर उपबन्धित, बेची गई या उपलब्ध उत्पादों या सेवाओं को ध्यान में रखे बिना परिसरों या स्थल के उपयोग के अनुमोदन से भिन्न उत्पाद या सेवा को उन्नत करने वाला नहीं होगा।

(14) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी में निम्न अनुसार अपेक्षित अनिवार्य सूचना होनी चाहिए:

(i). व्यापार तथा कारबार का नाम

(ii). दुकान/परिसर संख्या

(15) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी औचित्य, मर्यादा, सामाजिक मैत्री इत्यादि के बारे में प्रचलित विधियों के अनुरूप होगा।

(16) सभी ओ.एम.डी दृश्य रूप से रुचिकर होगा तथा डिजाईन विशेषता के उच्च स्तर को प्रदर्शित करेगा।

(17) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी सतह/इमारत/भवन/खुले क्षेत्रों के संरचनात्मक/वास्तुशिल्पीय अनुशासन के सदृश होगा।

(18) किसी चिह्न का माप तथा अवस्थिति न केवल भवन जिसमें यह चिपकाया गया है, के अनुकूल होगा बल्कि निकटतम भवनों, गलियों तथा विद्यमान चिह्नों को भी विचार में लिया जाएगा।

(19) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी में प्रयुक्त सामग्री गैर-प्रदूषण, अग्नि विरोधी तथा हानि प्रूफ होनी चाहिए।

(20) कोई नया चिह्न मीडिया साधन यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भवन, स्थल या संलग्न गली स्केप पर विद्यमान चिह्न का विचार करेगा कि चिह्न दृश्य तथा/या भौतिक घाल-मेल को बढ़ने नहीं देता है।

(21) केबिल तथा नाली को चिह्न के दर्शन से तथा सभी कोणों से किसी सहायता संरचना को छिपाना होगा जिसमें गली स्तर तथा निकटतम उच्चतर भवन से तथा रूपरेखा (क्षेतिज) के विरुद्ध दृश्यता शामिल है।

(22) किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन कोई भी चिह्न किसी अन्य चिह्न से समर्थित, लटका हुआ नहीं होगा या रखा नहीं जाएगा। प्रत्येक चिह्न स्वतः समर्थित या वास्तुशिल्पीय संरचना से सुरक्षित रूप से आबद्ध (फिक्सड) होगा।

(23) भवन की छत पर रंगे हुए या लगाए गए चिह्न अनुमत नहीं है। छत पर छत से निर्मित तथा/या लटकते हुए चिह्न भी अनुमत नहीं है।

(24) भवन की उपरी छत पर ओ.एम.डी अनुमत नहीं है।

(25) किसी भी परिस्थिति में भवन सतर पर ओ.एम.डी भवन की चौड़ाई से बाहर नहीं निकाला जाएगा।

(26) यातायात संकेत के उपरी सिरे, भूमि पर तैयार यातायात संकेत, उपरी यातायात संकेत, तथा भूमि पर तैयार यातायात संकेतों पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।

(27) ओ.एम.डी टैलीफोन/बिजली खम्बों/ट्रांसफार्मरों/उच्च संचारण लाईन टावरों पर अनुमत नहीं है।

(28) ओ.एम.डी सड़क कार्यस्थल के निर्माणजोन के 100 मीटर के भीतर लगाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां निर्माण चल रहा है।

(29) चिह्न सूचना कम से कम सौन्दर्य तथा यातायात सुरक्षा दोनों के हित में रखी जाएगी।

(i) जहां अधीनस्थ सूचना अनुज्ञात की गई है, वहां कारबार का नाम या उपयोग चिह्न पर प्रमुख संदेश होगा

— कोई भी अनुपूरक (जैसा कि बाईलाइन, उत्पाद विशिष्टियों, विक्रय प्रस्तावों में) तथा अधीनस्थ सूचना

(पते, टैलीफोन नम्बर तथा अन्य ऐसे ब्योरे) जिस पर यानीय खिंचाव के साथ चालकों का ध्यान जाता है, अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे जैसा कि वे यातायात खतरा पेश करते हैं।

- (ii) चिह्न अपरावर्तक होंगे जैसे कि वे मार्ग में चालकों पर चौंध न डालते तथा चकाचौंध न करते हों। चिह्नों में शीशा पर्ण इत्यादि के रूप में परावर्तक सतह का प्रयोग नहीं किया जाएगा जैसा कि ऐसी सामग्री का प्रयोग यातायात में दृष्टि रूप से विघटनकारी है तथा आने वाले चालकों के लिए खतरनाक हो सकती है।
- (iii) सभी अनुमत चिह्न भुगतानयोग्य उद्ग्रहण को आर्कषित करेंगे जो नगर निगम द्वारा रेखाचित्रित हैं।
- (iv) किसी भी मामले में, ओ.एम.डी., आर.ओ.डब्ल्यू तथा पैदल मार्ग पर नहीं डाला जाएगा।

(30) जहां ये उप-विधियां मौन (निष्क्रिय) हैं, वहां आई.आर.सी-46-1972 में बताए गए उपबन्ध "सड़क किनारे विज्ञापन पर पॉलिसी" निर्दिष्ट की जाएगी।

18. अभिस्वीकृति ओ.एम.डी

(1) अभिस्वीकृति ओ.एम.डी में सम्पर्क सूचना, निदेशन, नारे, टैलीफोन नम्बर या इन्टरनेट पते नहीं होंगे। इसमें अभिस्वीकृति ओ.एम.डी पर रखे गए उनके स्वीकृति लोगो (शब्द) होंगे। स्वीकृति लोगो (शब्द) नीचे विनिर्दिष्ट कुल ओ.एम.डी सतह क्षेत्र के एक तिहाई से कम होगी।

(2) हरितलान, भू-दृश्य द्वीप, पैदल/ साइकलिस्ट मार्ग तथा केन्द्रीय मध्यम पर स्वीकृति ओ.एम.डी 0.2 वर्गमीटर क्षेत्र प्लेट तक प्रतिबन्धित होंगे तथा उनका स्थान सड़क पर पन्द्रह मीटर से कम नहीं होगा।

(3) 50 कि.मी. घंटा से कम गति के साथ यदि यह गोलचक्कर पर है तो स्थापित परिधि लम्बाई के साथ 20 मीटर अंतरालन लिया जाएगा तथा 800 एम.एम. तथा 250 एम.एम का मानक परिमाण बोर्ड लगाया जाएगा/लगाया गया संकेत किसी दिशा स्तम्भ/विशाखन/चेतावनी संकेत को देखने में बाधा नहीं डालेगा। ऐसे संकेतक अभिस्वीकृति संकेतों के रूप में अर्हक हैं तथा केवल प्रवर्तक की स्वीकृति वाले होंगे तथा कोई भी तीसरा पक्ष विज्ञापन अनुमतन ही होगा।

(4) स्वीकृति संकेत यातायात संकेतों सहित किसी अन्य यातायात नियंत्रण यन्त्र के सामने या पीछे, के निकटवर्ती या निकट सामीप्य में नहीं लगाए जाएंगे। संकेत निर्णय बिन्दुओं पर जहां सड़क उपयोग करने वालों का ध्यान अन्य यातायात नियंत्रण यन्त्रों, सड़क मार्ग ज्यामिति, या यातायात स्थिति जिसमें निकास तथा प्रवेश रैम्प, चौराहे, राजमार्ग-रेल ग्रेड क्रॉसिंग, टोल प्लाजा, अस्थाई यातायात नियंत्रण जोन तथा सीमित दृष्टि दूरी के क्षेत्र शामिल है, अधिक उचित रूप से संकेन्द्रित करता है। स्वीकृति संकेतों के बीच न्यूनतम अंतरालन 50 किलोमीटर/घण्टा से कम गति सहित किसी सड़क पर 25 एम से कम नहीं होगी।

19. शामियाना ओ.एम.डी (भवन से प्रक्षेपित छतरी से लटका) उंचाई में दो मीटर से अधिक नहीं होगा तथा इसका निचला भाग फुटपाथ से 2.5 मीटर ऊपर होगा।

अरुण कुमार गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 15th July of 2022

No.9/24/2022-4C-II -In exercise of the powers conferred by clause (xv) of sub-section (1) of section 70 read with clause (p) of section 200 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), clause (16) of section 392 G of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. 9/24/2022/4C-II., dated the 04th April, 2022, the Governor of Haryana hereby makes the following bye-laws, namely:-

Bye-laws

Short title,
commencement
and
application.
Definitions.

- 1** (1) These bye-laws may be called the Haryana Municipal Advertisement Bye-Laws, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
(3) They shall be applicable to municipality in the State of Haryana.
- 2** (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires,-
- (i) **“Act”** means the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), as the case may be;
 - (ii) **“acknowledgement OMD”** means an outdoor media device that acknowledges an entity displaying an advertisement on road medians or roundabouts in lieu of provisions or maintenance of such structures;
 - (iii) **“advertisement”** means any representation by a word or abbreviation thereof, letter, logo, symbol, sign, figure, painting, drawing or other pictorial representation, or light or sound, displayed on media device and visible to public from any place on land, building, airspace, water in the regulated area and/ or visible from public place or public street subject to excluded media;
 - (iv) **“advertising”** means the act or process of displaying an advertisement;
 - (v) **“billboard/ hoarding”** means an outdoor media device with space for advertising in the form of an advertisement panel and where such panel is mounted with its foundation on any structure either on ground or building;
 - (vi) **“building line”** means the line up to which the plinth of a building may lawfully extend on the side, which abuts the street or an extension of a street or a strip of land ear-marked or reserved for future construction of street and such line is mentioned in the approved plan or co-ordination plan or the scheme by the Government authority having jurisdiction or power;
 - (vii) **“carriageway”** means the width of the road under the metalled portion;
 - (viii) **“commercial building”** means a building used or constructed or adopted to be used or intended to be used wholly or partially for business, trade or commerce;
 - (ix) **“display”** means an advertisement being visible to public, irrespective of the space on which the advertisement is installed;
 - (x) **“electronic hoarding”** means an outdoor media device, with display made from LED (Light Emitting Diode) or LCD (Liquid Crystal Display) or any other electronic source, to display running text, displays and informational messages from computer programs and software or any other means;
 - (xi) **“entity”** means an applicant who may be a registered organization, firm, limited liability partnership, partnership or a company incorporated under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013), intending to display an advertisement within the Municipal area;
 - (xii) **“facade”** means front/ exterior of a building;
 - (xiii) **“gantry ”** means a structure erected across a road and usually fabricated of metal section pillars fixed on either side of a road with a beam shaped section connecting the top of the pillars across the road;
 - (xiv) **“gantry advertisement”** means a gantry displaying an advertisement on the face opposite to the direction of traffic;
 - (xv) **“ground OMD”** shall mean an outdoor media device detached from a building, erected or painted on temporary structure, screen and fence placed/ fixed on land and visible to public;
 - (xvi) **“Indian Road Congress (I.R.C)”** means the applicable codes, regulations made and directions issued thereunder by the Indian Road Congress, from time to time;
 - (xvii) **“interested party”** means any person or a registered organization, firm, partnership or a company, who has, in terms of these bye-laws, submitted comments or an objection or a grievance or made representation in respect of any application for display of OMD;
 - (xviii) **“intersection”** means the same level junction where two or more roads either meet or cross;
 - (xix) **“marquee OMD”** shall means an outdoor media device attached to or hung from a marquee canopy or other covered structure projecting from and supported by the building and extending beyond the building wall or building line;
 - (xx) **“multiple OMD”** includes OMD having more than one advertisement displayed on single OMD structure or on multiple OMD structures in a single premise;
 - (xxi) **“National Building Code of India (NBC)”** means the National Building Code of India as amended from time to time and regulations made thereunder;
 - (xxii) **“Online Advertisement Portal”** means an online portal developed by the Department of Urban Local Bodies for municipality in the State for the purposes of these bye-laws;
 - (xxiii) **“OMD”** means an Outdoor Media Device as set out in **bye-law 3**;
 - (xxiv) **“owner”** means owner of the property and includes an association of owners under the Haryana Apartment Ownership Act, 1983 (10 of 1983);
 - (xxv) **“permission charges”** means charges specified by the Government from time to time which are to be

levied by the municipality for granting permission under section 122 of the Haryana Municipal Corporation Act of 1994 (16 of 1994) and under section 70 of the Haryana Municipal Act of 1973 (24 of 1973), as the case may be;

- (xxvi) **“property”** means any land or building or part thereof in the limits of the municipality;
- (xxvii) **“public space”** means a place as defined in section 122 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994);
- (xxviii) **“public view”** means an area wherefrom a person/ object/ display within such an area can be distinguished by vision when viewed from a public place;
- (xxix) **“reserve price”** means minimum price of an OMD for the purpose of auction of each site, which shall be specified by the municipality as per the guidelines issued by the Government from time to time;
- (xxx) **“registration charges”** means charges to be specified by the Government from time to time, which is to be paid by from an entity for its registration on the Online Advertisement Portal, which shall be non-refundable;
- (xxxi) **“registered entity”** means any entity registered on Online Advertisement Portal under **bye-law 15**;
- (xxxii) **“listed owner”** means an owner of the property listed on the Online Advertisement Portal under self-advertisement beyond the permissible limits specified in Schedule-I or/ and offering his property to municipality for listing it on the portal for 3rd party advertisement under auction;
- (xxxiii) **“regulated area”** means the geographic area including airspace in the jurisdiction of the municipality;
- (xxxiv) **“Right of Way (RoW)”** shall mean,-
 - (a) in case of a National Highway, the extent of land owned by the authority maintaining the National Highway;
 - (b) in case of a road other than a National Highway and having service lanes immediately abutting the main carriageway, the carriageway limit of the service lanes and the main carriageway;
 - (c) in case of a road other than a National Highway and not having any service lane immediately abutting the main carriageway, the carriageway limit of the main carriageway;
- (xxxv) **“road traffic sign”** means any sign for public information for users of the road and includes a traffic signal as contemplated in law or by the Indian Road Congress (IRC);
- (xxxvi) **“scrutiny fee”** means such a fee, as may be to be specified by the Government from time to time to, to be levied alongwith an application for scrutiny, which shall be non-refundable;
- (xxxvii) **“self-advertisement”** means advertisement displayed by the listed owner, related to his profession and displayed in terms of **bye-law 5**;
- (xxxviii) **“service lane”** means a road along the main carriageway and used for movement of vehicles;
- (xxxix) **“street furniture advertisement”** means an advertisement displayed on any public facility or structure which is not primarily intended for advertising and includes a seating bench, plant box, footpath litter bin, pole-mounted litter bin, public transport shelter, sidewalk clock, suburban name device and a street name, drinking fountain etc. of appropriate size and shape serving the functional requirement of such street furniture with advertisement either directly pasted/ affixed or in the form of a panel;
- (xl) **“Structural Engineer”** means a person who is a graduate in Civil Engineering from a recognized University or corporate member of Civil Engineering Division of the Institute of Engineers of India with a minimum of ten years of experience in structural design structures and related field work, or person who is a post-graduate in Civil Engineering from a recognized University or corporate member of Civil Engineering Division of the Institute of Engineers of India with a minimum of three years of experience in structural design structures and related field work;
 - (xli) **“structural stability certificate”** means a certificate issued by a Structural Engineer;
 - (xlii) **“third party advertising sign”** means any OMD other than self-advertisement;
 - (xliii) **“temporary advertisement”** means an OMD, other than self-advertisement, displayed immediately before and for the duration of any forthcoming event including entertainment events, festivals, mela, trade fair, conferences, road shows which shall not exceed a maximum period of thirty days;
 - (xliv) **“trailer advertising”** means an OMD mounted on a trailer, bicycle or vehicle, which is stationary or moving with the sole purpose of advertising;
 - (xlv) **“unauthorized charges”** means charges levied by municipality for the unauthorized display of OMD and in violation of any of the provision of these bye-laws;
 - (xlvi) **“unipole”** means an OMD with large space for advertising in the form of an advertisement panel and where such panel is mounted on a single column with its foundation on the ground;
 - (xlvii) **“urban design”** means the actions of conceiving and managing the special and aesthetic characteristics of urban space between and around buildings, road including physical elements that make up the streetscape and the combined visual effect of building facades and other structures;
 - (xlviii) **“wall wraps”** means advertisement pasted on the outer surface of a building or the wall painted colour or the wall covered with any other material including aluminum composite panels which has been used as architectural feature to form the façade or used as wall of a building.

(2) The words and expressions used but not defined in these bye-laws but defined in the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) shall have the same meaning as assigned to them in the said Acts, respectively.

General
details
of
OMD

3 (1) The bye-laws shall permit different types of OMDs to be displayed within municipal limits. The typologies of OMDs are defined in **Annexure 5**.

(2) The following shall be the criteria for period of validity for which permission to display OMD shall be allowed, namely:

- (i) Type A: three years; between the concerned Government entity and the registered entity or upto five years, in case the Government entity requests so;
- (ii) Type B and Type C: three years (with advance quarterly payments);
- (iii) Type D: As specified in **Clause 12 of Schedule-I**;
- (iv) Type E: As specified on case to case basis;

- (v) Type F: self-advertisement: no restriction for advertisements if within the permissible limits set out in Schedule I;
- (vi) Type G: As specified on case to case basis, three years (with advance quarterly payments);
- (vii) Type H: three years (with advance quarterly payments);
- (viii) Type I: three years (with advance quarterly payments);

(3) All approvals for OMDs of the type and time period as specified shall be reckoned from the 1st day of the month succeeding the month in which approval is granted up to the last day of the month in which the period limit ends.

(4) All existing permitted OMDs shall have to comply with these bye-laws within **fourteen** days from the date of notification and no grace period shall be given. All OMDs not in compliance shall be treated as illegal and Municipality shall take appropriate action as per **bye-law 22**.

Prohibitions and restrictions **4** (1) In addition to any other prohibition, expressed or implied, no person shall erect, maintain or display any OMD or advertisements on or within,

- (i) national parks, district forests and natural water bodies;
- (ii) residential sector, subject to fulfillment of conditions specified in **Schedule-I**;
- (iii) National Highways or State Highways, subject to fulfillment of conditions specified in **Schedule-I**;
- (iv) any wall posters and wall paintings;
- (v) building or structures of archaeological, architectural, aesthetical, historical or heritage importance;
- (vi) places of worship or religious significance;
- (vii) hospitals and nursing homes;
- (viii) educational institutions, libraries;
- (ix) cremation grounds, graveyards;
- (x) areas classified as endangered regional ecosystems;
- (xi) "no advertisement area" notified by the municipality from time to time; and
- (xii) traffic signals and road signage(s).

(2) No person shall deface or cause to be defaced any display, device or structure that may have been put up by the Municipality and any contravention thereto shall be punishable under the Haryana Prevention of Defacement of Property Act, 1989 (11 of 1990);

(3) In addition to any other prohibition, expressed or implied, the Municipality shall take necessary action to modify or remove the following advertisements or OMDs showing or expressing,-

- (i) nudity;
- (ii) propagating caste, community, race or ethnic differences;
- (iii) promoting drugs, alcohol, cigarette or tobacco items;
- (iv) propagating exploitation of women or child;
- (v) depicting cruelty to animals;
- (vi) depicting any nation or institution in poor light;
- (vii) casting aspersion on any brand or person;
- (viii) banned by any law;
- (ix) glorifying violence;
- (x) promoting lottery tickets, sweepstakes entries and slot machines;
- (xi) any psychedelic, laser or moving displays;
- (xii) displaying destructive devices and explosives depicting items;
- (xiii) promoting weapons covered under the Arms Act, 1959 (Central Act 54 of 1959);
- (xiv) defamatory, trade libelous, unlawfully threatening or unlawfully harassing;
- (xv) obscene or pornography or indecent representation of women within the meaning of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 (Central Act 60 of 1986);
- (xvi) linked directly or indirectly to or include description of items, goods or services that are prohibited under any law applicable for the time being in force, including but not limited to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act 23 of 1940), the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 (Central Act 21 of 1954), the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860); and
- (xvii) any other items considered inappropriate and notified by the municipality, from time to time.

General instructions for self-advertisement **5** (1) Self-advertisement is allowed only to owner of the property, as per specification of self-advertisement stated in **Schedule-I**.

(2) The owner of the property shall be exempted from the requirement of registration and permission from the municipality for display of self-advertisement on its property only if the advertisement is within exempted permissible limit specified in **Schedule-I**.

(3) The owner of the property has to apply on Online Advertisement Portal selecting concerned municipality for permission to display self-advertisement on its property if he intends to display the advertisement beyond the exempted permissible limit specified in **Schedule-I**.

Procedure to apply for self-advertisement (beyond the exempted limit) and evaluation by municipality **6** (1) The owner of the property intends to display self-advertisement (beyond the exempted limit) on his property, shall submit an application as per **Annexure 3**, on Online Advertisement Portal; to the concerned municipality, containing the following information and documents, namely:

- (i) ownership proof of the property;
- (ii) scrutiny fees;
- (iii) latest receipt as proof of payment of property tax in respect of the tax payable on the property owned by the registered owner or the property on or over which the OMD is intended to be displayed;
- (iv) a drawing, in colour, showing the locality plan, indicating the proposed position (including GPS coordinates) of the OMDs and the distances in relation to any other structure, building, or OMD situated within a radius of twenty-five meters from the proposed OMD;
- (v) complete specifications showing the dimensions of the OMDs and locations;
- (vi) design and the structural details of the OMDs by a Structural Engineer, certifying the safety aspect of its foundations capable of bearing extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with relevant Indian Structural Design Standards, policy and guidelines framed from time to time.

The structural details shall include size of all members of supporting frameworks, anchorages and design calculations including proof of compliance with any other law, including but not limited to, the applicable law and codes/guidelines including Indian Road Congress (IRC), the National Building Code of India and the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986);

- (vii) if a proposed OMD is to be attached to or displayed on the facade of a building, an architectural drawing showing elevation and measurements of the building and the detailed measurements and position of the proposed OMD and the position of every existing OMD on the building drawn to a scale of 1:1000 or as specified by the municipality;
 - (viii) an undertaking to the effect that the application for display of advertisement is not in contravention of the order of any Court;
- (2) The municipality shall evaluate the application received and ensure,-
- (i) that the application is in compliance with the parameters stated in these bye-laws;
 - (ii) that the application is not in contravention of any order of any Court;
 - (iii) that the written representations, objections and comments, if any received from any interested party on the application have been duly considered.
- (3) The municipality in its sole discretion and for reasons to be recorded in writing, reserves its right to accept or reject any application.
- (4) The municipality on scrutiny and after following the due process shall decide the application within thirty days of its submission. In case of approval, the municipality shall raise the demand for permission charges (amounting to advance quarterly payment) from the owner. The owner shall be liable to pay the permission charges and requisite documents stated as raised by the municipality on the Online Advertisement Portal. Upon receiving of payment, an approval letter shall be issued. In case of rejection, a rejection letter shall be issued to the owner. The format for approval and rejection letter shall be as per **Annexure 4**.

Permission charges for self-advertisement beyond exemption limit

- 7 (1) No permission charges are applicable on self-advertisement within permissible limit specified in Schedule-I.
- (2) The permission charges in terms of section 70 Haryana Municipal Act 1973 (24 of 1973) and section 122 of the Haryana Municipal Corporation Act 1994 (16 of 1994), shall be payable by the listed owner for self-advertisement in advance, at such rates, as the State Government may, by an order, specify from time to time. The requisite permission charges shall be made quarterly in advance at the time of approval and subsequently prior to the beginning to each quarter.
- (3) In case of removal of advertisement by municipality on account of reasons attributable to them, pro-rata amount shall be refunded to the owner on the advance quarterly payment already made under self-advertisement beyond exempted limit.
- (4) No refund on the permission charge paid shall be made on the advance payment by the municipality, if the listed owner seeks withdrawal of the permission granted.
- (5) In addition to the permission charges, the listed owner shall deposit bank guarantee of an amount equivalent to the quarterly permission charge payable to the municipality in advance, valid for approved tenure.
- (6) The permission charges shall also be applicable to existing OMDs under these bye-laws.
- (7) Other than applicable scrutiny fee and charges, the listed owner shall be liable to pay other taxes, charges, etc. as are required to be paid to other authorities.

Exempted Self-advertisements

- 8 (1) OMDs for the purposes set out in **sub-clauses (i) to (xiii)** below shall follow the provisions of these bye-laws in respect of all conditions as per **Schedule I**; but such OMDs shall be exempted from payment of any permission charges or application in the following cases, namely:-
- (i) relating to a public meeting, to an election to Parliament, Legislative Assembly, municipality or to candidature in respect of such election; (may be installed on only authorized spaces identified/ earmarked by the municipality);
 - (ii) if exhibited within the window of any building, the advertisement relates to the trade, profession or business carried in that building (to the extent of only 2% of total Façade area of building);
 - (iii) relating to the trade, profession or business carried on within the land or building upon or over which such advertisement is exhibited or to any sale or letting of such land or building or any effects therein or to analyze, entertainment or meeting to be held on or upon or in the same (to the extent of only 2% of total Façade area of building);
 - (iv) relating to the name of the land or building upon or over which the advertisement is exhibited, or to the name of the registered entity or occupier of such land or building;
 - (v) relating to the business of a railway administration and is exhibited within any railway station or upon any wall or other property of the railway administration;
 - (vi) relating to any activity of any department of the State Government or Union of India or the municipality but excluding Board/other Corporations;
 - (vii) on a property where a building, swimming pool, tennis court, paving, fencing or garden landscaping or any other structure is in the course of being constructed, erected, carried out or altered and on which the activity concerned is described and the name of any architect, contractor or consultant concerned in such activity is displayed and the branch of the industry or the profession involved is specified;
 - (viii) media device for hawkers on stationary kiosk or handcars;
 - (ix) exhibits within the doors/ windows of any building, if the advertisement relates to the trades, profession or business carried on in that building and does not include public space within shopping malls and other similar building exhibiting 3rd party advertisement;
 - (x) relating to the name of the land or building upon or which the advertisement is exhibited or to the name of the owner or occupier of such land or building;
 - (xi) newspaper advertisements;
 - (xii) radio and television broadcasts;
 - (xiii) public arts.
- (2) In case of an unauthorized OMD(s) found installed or in violation to any provisions of the bye-laws, in

reference to purposes set out in sub-clauses (i) to (xiii), then the violator shall be liable to pay penalty as provided in bye-law 27(2).

General instructions for third party advertisement

- 9 (1) Third party advertisement within municipal limits is permitted either by E-auction for Government/ Municipal/ private properties or by paying permission fees specified by the Government from time to time, in case of the private property.
- (2) Only a registered entity is permitted to participate in the bidding process on E-auction portal for displaying third party advertisements on listed sites.
- (3) Types of properties that can be listed on the portal shall include,-
- (i) properties owned by private/ individual owners;
 - (ii) properties owned by Municipalities;
 - (iii) properties owned by other Government entities like Department/ Authority/ Board/ Corporation/etc. (including OMD sites identified under any project on Build Operate Transfer (BOT)/ Design Build Finance Operate Transfer (DBFOT)/ Public Private Partnership (PPP) by other Government entities like Department/ Authority/ Board/ Corporation/ etc.)
- (4) All bidding shall be carried out on the basis of the reserved price and the highest bidder shall be awarded the site. All payments shall be made online by the awarded registered entity shall make only payment based on the winning price (INR/ square meter/ month), cumulative to a quarterly (3 months) advance payments before the start of each quarter till termination of the contract.

Application for listing private properties for E-auction or permission for Third Party Advertisement

- 10 (1) The private property owner has options to either get its property listed on the Online Advertisement Portal for E-auction or directly take permission for advertisement rights on its property on payment of permission fees specified by the Government from time to time.
- (2) The private property owner, who intends to display advertisement on its property other than self-advertisements by way of E-auction, shall get its property listed on the portal by submitting an application as specified at **Annexure 6**, along with scrutiny fees as specified by the Government to the respective municipality. The permission fee collected from such sites shall be shared between respective municipality and owner in a ratio of **40:60**.
- (3) The private property owner, who intends to display advertisement on its property by way of seeking advertisement rights, shall submit an application as specified at **Annexure 3**, to the respective municipality on the portal, along with scrutiny fees.
- (4) The owner shall submit the application for the purpose specified as above to the municipality, along with the following documents, namely:-
- (i) ownership proof of the property;
 - (ii) scrutiny fees;
 - (iii) latest receipt as proof of payment of property tax in respect of the tax payable on the property owned by the owner or the property on or over which the OMD is intended to be displayed;
 - (iv) a drawing, in colour, showing the locality plan, indicating the proposed position (including GPS coordinates) of the OMDs and the distances in relation to any other structure, building, or OMD situated within a radius of twenty-five hundred meters from the proposed OMD;
 - (v) complete specifications showing the dimensions of the OMDs and locations;
 - (vi) design and the structural details of the OMDs by a Structural Engineer, certifying the safety aspect of its foundations capable of bearing extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and complying with relevant Indian Structural Design Standards, policy and guidelines framed from time to time. The structural details shall include size of all members of supporting frameworks, anchorages and design calculations including proof of compliance with any other law, including but not limited to, the applicable law and codes/guidelines including Indian Road Congress (IRC), the National Building Code of India and the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986), to the extent that such law is applicable. (only if the OMD structures are already existing or else the awarded registered entity has to erect/ place OMD structure and remove at end of tenure);
 - (vii) if a proposed OMD is to be attached to or displayed on the facade of a building, an architectural drawing showing elevation and measurements of the building and the detailed measurements and position of the proposed OMD and the position of every existing OMD on the building drawn to a scale of 1:1000 or as specified by the municipality;
 - (viii) an undertaking agreeing the terms and conditions of e-auction (as per specified format) via portal, reserve price defined by the municipality, time tenure and permission fee sharing between the municipality and the owner, as defined by the respective municipality or an undertaking agreeing to the terms and conditions for exercising advertisement rights on its property via portal, payment of applicable permission fees, liability of any mis-use/ illegal use of advertisement site/ size, allowing advertisement to only registered entity, indemnity to the municipality from any dispute between him and registered entity, bound to order of the municipality in case of default on payment or any other terms and conditions;
 - (ix) an undertaking to the effect that the application for display of advertisement is not in contravention of the order of any Court;
 - (x) Owner shall inform the list of the type/ category of advertisement and content reservation (if any) as an annexure to the application, which the owner doesn't want to display of its property.
- (5) The respective municipality shall evaluate the application and ensure-
- (i) that the application is in compliance with the parameters stated in these bye-laws;
 - (ii) that the application shall not in contravention of any order of any Court;
 - (iii) that the written representations, objections and comments received from any interested party on the application have been duly considered.
- (6) The municipality in its sole discretion and for reasons to be recorded in writing, reserves its right to accept or reject any application.
- (7) The municipality on scrutiny and after following due process, shall within **thirty days** from date of application, shall submit its decision of approval and simultaneously raise demand of an Earnest Money Deposit (EMD) amount equivalent to Ten Percent of the reserve price. Upon the submission of Earnest Money Deposit, the site shall be put

on auction immediately. Only after the successful bidding process, selection of winning entity and transferring of advertisement rights for the decided tenure to the winning entity, the Earnest Money Deposit amount shall be returned. In case, upon successful bidding, the rights are not transferred to the winning entity by the owner due to its reservations, this Earnest Money Deposit amount shall be forfeited and shall not be returned.

(8) In case where the owner is seeking advertisement right on its property on payment of permission fees specified by the Government from time to time, the municipality on scrutiny and after following due process, shall within thirty days from date of application, shall inform its decision of approval and simultaneously issue Letter of Intent to the owner. The owner shall within 30 days comply with Letter of Intent by submitting all fees/ charges, other documents/ information sought, failing which the Letter of Intent shall be deemed to be withdrawn with scrutiny fees for the application stands forfeited and the owner is required to apply fresh. Upon compliance, the municipality shall issue an approval letter. In case of rejection, a rejection letter shall be issued to the owner. The format for approval and rejection letter shall be as per **Annexure 4**.

(9) The municipality shall grant advertisement right(s) to the private property owner on its property, subject to the followings:

- (i) the owner shall submit the applicable permission fees;
- (ii) the owner shall allow only the registered entity to display advertisement on its permitted site;
- (iii) the owner shall be liable to pay permission fees, as per the manner given by the municipality;
- (iv) the owner shall be held liable for any mis-use/ illegal use of advertisement site/ size, any default of payment or any other penalty levied towards any terms and conditions under the byelaws, will be recovered by way of land arrears;
- (v) the owner shall enter into an agreement with the registered entity for utilization of the site by the registered entity for the purpose of display of advertisement;
- (vi) the owner shall submit indemnity bond, indemnifying the municipality from any liability caused due to dispute between the owner and the registered entity.

(10) In case, the municipality receives multiple applications from different owners to list their properties under same typology of OMD in the same time duration where, all applications may not be listed due to parameters stated in the bye-laws, then the property auctioned at higher prices shall be selected by the municipality and the other properties which will be in contravention of selected property shall be rejected and removed from the portal.

(11) In case, the municipality receives multiple applications from different owners for seeking advertisement rights on their properties under same typology of OMD in the same time duration where, all applications may not be listed due to parameters stated in the bye-laws, then the municipality shall grant permission on "first come first serve" basis and the other applications which will be in contravention of selected property shall be rejected.

Identification of municipal properties for E-auction

11 (1) The municipality shall, from time to time identify locations and properties within its jurisdiction to allow OMDs permissible as per the **Schedule-I** and locate/ earmark all such OMDs on the online city map available on the Online Advertisement Portal vide which the same shall be auctioned timely.

(2) The municipality properties shall include RoW of any type of roads (including roads under ownership of any Authority, Board, Corporation, Department and any Government Entity) and public places as defined in these bye-laws.

(3) The municipality shall identify and list any public space or public utility (green spaces, parks, water bodies etc.) on the portal, which can be maintained in lieu of acknowledgment OMDs where companies can use its Corporate Social Responsibility funds under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013). Since, the acknowledgment OMDs doesn't include financial transaction and its scope is limited to maintenance of public space/ utility, hence this shall be allotted to the entity interested on the basis of an agreement only and shall not be included in auction process.

Application for other Government entities (including OMD sites identified under any Government entity PPP project) for putting up their properties for E-auction

12 (1) In case the other Government Department/ Authority/ Board/ Corporation/ etc. (hereinafter referred as "State Government entity"), intends to display 3rd party advertisement on their properties or any OMD sites identified under any public infrastructure project on Build Operate Transfer (BOT)/ Design Build Finance Operate Transfer (DBFOT)/ Public Private Partnership (PPP) modes, shall get their properties listed on the portal by submitting an application as specified at **Annexure 7** to the respective municipality.

(2) The permission charges collected from such sites shall be shared between respective municipality and State Government entity in a ratio of **40:60** respectively. The State Government entity shall appoint a Nodal Officer for making the application on the portal and for any co-ordination as necessary for ensuring smooth implementation.

(3) The Nodal Officer shall submit the application for such OMD sites (including OMD sites identified under any Build Operate Transfer (BOT)/ Design Build Finance Operate Transfer (DBFOT)/ Public Private Partnership (PPP) project like street light, public toilets, tree guards, street furniture, water dispensers, Public Transport Projects, Public Infrastructure projects, public information kiosks, etc.) with the following list of documents to get its property(s) listed on Online Advertisement Portal, namely:-

- (i) ownership proof of the property;
- (ii) a drawing, in color, showing the locality plan, indicating the proposed position (including GPS coordinates) of the OMDs and the distances in relation to any other structure, building, or OMD situated within a radius of twenty-five hundred meters from the proposed OMD;
- (iii) complete specifications showing the dimensions of the OMDs and locations;
- (iv) design and the structural details of the OMDs by a Structural Engineer, certifying the safety aspect of its foundations capable of bearing extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with relevant Indian Structural Design Standards, policy and guidelines framed from time to time. The structural details shall include size of all members of supporting frameworks, anchorages and design calculations including proof of compliance with any other law, including but not limited to, the applicable law and codes/guidelines including Indian Road Congress (IRC), the National Building Code of India and the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986), to the extent that such law is applicable. (only if the OMD structures are already existing or else the awarded registered entity has to erect/ place OMD structure and remove at end of tenure);
- (v) if a proposed OMD is to be attached to or displayed on the facade of a building, an architectural drawing

showing elevation and measurements of the building and the detailed measurements and position of the proposed OMD and the position of every existing OMD on the building drawn to a scale of 1:1000 or as specified by the municipality;

- (vi) an undertaking agreeing the terms and conditions of E-auction (as per specified format) via portal, reserve price defined by the Municipality, time tenure and permission charges sharing model of **40:60** between the Municipality and the State Government entity, respectively;
 - (vii) an undertaking to the effect that the application for display of advertisement is not in contravention of the order of any Court.
- (4) The respective municipality shall evaluate the application received and ensure,-
- (i) that the application is in compliance with the parameters stated in these bye-laws;
 - (ii) that the application shall not be in any contravention to order of any Court;
 - (iii) that the written representations, objections and comments received from any interested party on the application have been duly considered.
- (5) The municipality in its sole discretion and for reasons to be recorded, reserves its right to accept or reject any application.
- (6) The municipality on scrutiny and after following due process, shall within **thirty days** from date of application, shall ~~will~~ notify its decision of approval online, or rejection and accordingly, within three following days, the municipality shall list the property on the Online Advertisement Portal for auctioning.
- (7) In case, the municipality receives multiple applications from different state agencies for listing of their property to display OMD of same typology within the same duration and not all applications can be listed due to parameters stated in the bye-laws, then the property auctioned at higher prices shall be selected by the municipality and the other property which shall ~~will~~ be in contravention of the selected property shall be rejected and removed from the portal.
- 13** (1) The approved listed OMD sites shall be auctioned only to the registered entity with the valid registration. The awarded registered entity shall have a valid registration throughout the advertisement tenure. All registered entity can only participate in an auction with minimum six months of validity before the expiration date.
- (2) All such listed properties or such auctioned properties shall be managed/ monitored on the Online Advertisement Portal. The maintenance of the properties shall be the responsibility of the respective owner of the property where the site is not yet auctioned and where the sites have been auctioned, the responsibility of the maintenance shall be of the awarded registered entity.
- (3) The dates of each OMD auction shall be circulated electronically to all registered entities regularly for their active participation on each auction.
- (4) The minimum reserve price for such shall be specified by the municipality as per the guidelines issued by the Government from time to time.
- (5) The period for display of advertisements shall be in accordance with **bye-law 3(4)** and may be terminated at any time after giving notice of seven days in the event of default of terms and conditions of the contract agreement.
- (6) The municipality shall have the complete and unhindered right to display, or permit the display and at any time, hoardings/ advertisements of the State Government or any statutory authority, Board, municipality or other entity owned and controlled by the State Government for social messaging or promotion of the policies, schemes or programs of the State Government. The awarded registered entity shall reserve fifteen percent of the total advertising space social/ Government messages under this clause and no charges shall be payable by the municipality for these Government advertisements. The location of such advertisement shall be mutually agreed between the awarded entity and the Government.
- (7) The awarded registered entity shall have to erect the structure for awarded OMDs as per its specification, at its own cost, until and unless the structure is provided by the owner of the property. The awarded entity shall be liable for maintaining the structure for the tenure of OMD and shall also be liable for removal of structure (unless the structure is provided by the owner of the property) after completion of the tenure or termination of the contract. Before erecting the OMD structure, the registered entity shall have to submit design and the structural details of the OMDs by a Structural Engineer, certifying the safety aspect of its foundations capable of bearing extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with relevant Indian Structural Design Standards, policy and guidelines framed from time to time. The structural details shall include size of all members of supporting frameworks, anchorages and design calculations including proof of compliance with any other law, including but not limited to, the applicable law and codes/guidelines including Indian Road Congress (IRC), the National Building Code of India and the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986), to the extent that such law is applicable.
- (8) The payment schedule for awarded registered entity shall be advance quarterly payment based on the awarded price of INR/ square meters/ per month for the tenure of the contract. Further, awarded entity shall be liable to submit the Bank Guarantee equivalent to a quarterly amount valid for the awarded tenure.
- (9) In case no bids received towards an OMD site during the scheduled auction, the e-auction portal shall reduce the reserve price by ten percent and re-auction of the said site after thirty days. If the second time there is no bid received, the reserve price shall further be reduced to ten percent and the site shall be re-auctioned after thirty days. This process shall be followed repeatedly till the site is finally auctioned.
- (10) In case of removal of advertisement by municipality on account of reasons attributable to municipality, pro-rata amount of the advance quarterly payment shall be refunded to the awarded registered entity.
- (11) No refund on payment shall be made by the municipality, if the registered entity seeks withdrawal of the awarded contract.
- (12) In case the awarded entity has erected the advertisement structure on the awarded site for tenure of its permission, then he shall also remove the structure on completion of its tenure. In case, the said entity doesn't want to remove the structure after completion of the tenure and the said structure is in useable condition, then the advertisement structure shall be evaluated at the rate of its scrap value by the respective municipality. This valuated price shall be transferred to the account of the respective awarded entity within thirty days after the date of expiration of contract.

General
conditions for
properties on
E-auction

Application **14** (1) An entity intending to bid on e-auction portal for display an OMD in any municipality(s) shall register on the

for registration of entity

Online Advertisement Portal through the online process as per **Annexure 1**.

(2) All registered entity shall be eligible to participate in OMD e-auction in the State i.e. all municipalities. The validity of each registered entity shall be five years from the date of registration. Renewal of registration shall have to be completed on the portal before the expiration date, failing which the registration shall be terminated and entity shall have to apply for a new registration afresh.

(3) The registered entity shall deposit the registration charges with the Chief Administrator, Haryana Urban Infrastructural Development Board.

Process for registration.

15 (1) The entity intending to apply for third party advertisement or e-auction under the bye-laws shall register on the Online Advertisement portal. All approved registered entity shall be eligible to apply for advertisement sites in municipality. The entity shall submit the following information and documents, namely:-

- (i) name of entity with registration details in Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013), or Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009);
- (ii) Memorandum of Association and Articles of Association of company;
- ~~(iii)~~ Type of Business of the company;
- (iv) experience, details of entity in advertisement business for last three years or for such period of time that the entity has been in the advertisement business, whichever is earlier (if any);
- (v) name of Directors alongwith Director Identification Number (DIN) of entity;
- (vi) details of work experience of each Director of the entity;
- (vii) details of any Director who was in arrears of payment of any dues in any municipality while earlier being Director in any other entity;
- (viii) authorization letter by the Board of Directors (by passing resolution), for authorized signatory of entity;
- (ix) details of advertisement rights/ permission secured in last five years, or for such period of time that the entity has been in the advertisement business, whichever is earlier, in any municipality;
- (x) an undertaking that the entity, its directors, owners or promoters are not in arrears of payment of any dues in any municipality;

Note: Only a registered entity is permitted to participate in auction of advertisement sites in all Municipalities;

- (xi) any other information or document, as the Municipality may require.

(2) The municipality shall refuse to register any entity where-

- (i) the entity, any of its directors, owners or promoters has been debarred by any municipality or the State Government or any entity owned and controlled by the State Government;
- (ii) the entity, its directors, owners or promoters are in arrears of payment of any dues to any of Municipality;
- (iii) the Director of the entity or the Director of any company has been debarred by municipality or the State Government or any entity owned and controlled by the State Government;
- (iv) the authorized signatory of the entity has earlier been the authorized signatory of any company in arrears of payment of any dues to any of municipality.

(3) On scrutiny of the application along with information/ documents, the municipality shall, within thirty days from the date of submission of complete application, register the entity or company for the purpose of this bye-law and issue a unique identity number and the registration letter as per **Annexure 2**.

(4) In case the application is rejected, the registration fees shall not be refunded to the entity whose request is rejected.

Effects of other laws

16 (1) Nothing shall be construed to the effect that any approval granted in terms of these bye-laws, means that;

- (i) any person is exempted from any provision of any other law for the time being in force;
- (ii) any person is exempted from the provision, requirements and applicability of the Haryana Prevention of Defacement of Property Act, 1989 (11 of 1990); the registered entity or **owner** of an OMD is exempted from its obligations to ensure that such sign is designed, erected, completed, displayed and maintained in accordance with any other applicable law for the safety, security of public at large or to protect public decency and morality.

Withdrawal and amendment of approvals.

17 (1) The municipality may withdraw an approval granted, or amend any condition, or impose any further condition in respect of such approval if, in the opinion of the municipality, or any officer so authorized, by a general order, the OMD for which the approval has been granted-

- (i) is, or has, as a result of a change to the road, provision of any public utility, the nature of the environment or the amenity of the neighborhood, streetscape or urban design existing at the time of such approval, become detrimental to the area in which it is located for any reason whatsoever;
- (ii) constitutes, or has become, a threat to any person or property;
- (iii) is obscuring a critical and aesthetically important natural feature, architectural feature or visual line of civic, architectural, historical or heritage significance;
- (iv) is, or has become, prohibited in terms of these bye-laws or any other law for the time being in force;
- (v) falls, completely or a part thereof, either through an accident or any other cause;
- (vi) have any change made to it except under the direction of the municipality;
- (vii) upon the building or structure or property proposed to be demolished or destroyed; and
- (viii) requires to be removed, as may be decided, for reasons to be recorded in writing, by the municipality, in public interest, safety, aesthetics etc.

(2) Before taking any decision, the municipality shall issue notice to the registered entity or owner, informing it of the intent of the municipality and the registered entity or owner shall have the right to make a written representation in response to the notice within **seven days** of the date of notice.

(3) In case of withdrawal of approval in whole or in part by the Municipality, the registered entity or owner shall have to remove or make such change of the OMD at its risk and cost, as may be directed by the municipality within seven days. In case any refund of permission charges is due on account of withdrawal of approval, the pro-rata amount of permission charges shall be refunded to the entity or owner within thirty days of such withdrawal.

(4) The municipality, or any officer so authorized, by a general or special order by the municipality, shall give reasons in writing for its decision on receipt of a representation from a registered entity.

Online Advertisement Portal

- 18** (1) The State shall adopt a transparent system for municipality to register entity/ owners and grant approval for display of OMDs and monitoring.
- (2) The State shall develop an Online Advertisement Portal for grant of advertisement rights by way of approval to owner for self-advertisement and by way of auction for third party advertisement. A Geographical-Information-System (GIS) based City Map showing all the properties listed on the portal for purpose of auction or self-advertisement shall be prepared.
- (3) All OMDs with their Geographical Positioning System (GPS) coordinates shall be marked on the Online Advertisement Portal for the information of the public.
- (4) The features of the Online Advertisement Portal shall be as follows, namely:-
- (i) the bye-laws and notifications related to advertisements shall be made available for information on the portal.
 - (ii) online registration of entities shall be enabled and the registered entity or owner (for self-advertisement only) shall be assigned a Unique Identity number which shall be password protected for all future correspondence with the municipality;
 - (iii) all OMDs shall be Geographical Positioning System (GPS) tagged on a Geographical-Information-System (GIS) map of the City and shall be available on the portal;
 - (iv) an application for the installation of outdoor media for self-advertisement shall be submitted to the municipality through the portal;
 - (v) an application to getting the property listed for auction for 3rd party advertisement shall be submitted to the municipality through the portal;
 - (vi) each OMD site shall have unique code assigned to it which shall convey its ownership, location (Geographical Positioning System (GPS) coordinates), type of media, size (area of display), advertisement/ permission charges payable, validity of agreement for display of advertisement and any other information which in the opinion of the municipality is required to be coded;
 - (vii) approvals of all OMDs shall also be given electronically to the registered entity or owner (for self-advertising only).

General requirements for OMD

- 19** (1) After approval, the OMD structure shall not be altered, removed, re-erected or upgraded (except in respect of the content of the advertisement), without prior written approval of the Municipality.
- (2) Every power cable and conduit containing an electrical conductor for the operation of an OMD shall be so positioned and attached considering it shall not be aesthetically eye sore to the public.
- (3) No OMD shall be connected to any electricity supply with sub-meter without the prior written permission of the licensed electricity distribution company concerned in the name of the registered entity and such permission shall, on request by an authorized official of the licensed electricity distribution company, be presented to them by the registered entity of the OMD concerned.
- (4) The electrical connections and components in all the OMDs shall be in accordance with relevant Bureau of Indian Standards (BIS), Indian Electricity Rules and designed such as to ensure there is no risk to personal or public safety or to movement of motorised or non-motorised traffic.
- (5) Generators which are running on petroleum fuels or any bio-fuel or causing noise, air or water pollution shall not be allowed for providing power for illumination of any OMD. However, the entity may illuminate OMDs under its jurisdiction by installing solar photovoltaic panels.
- (6) The registered entity or owner (for self-advertisement only) of the OMD shall ensure that disposal of any type of material including media for display is disposed as per the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) or rules made there under, and any other applicable laws/ rules/ bye-laws.

Formats of Outdoor Media Devices (OMD). Inspections.

- 20** OMDs shall be classified as per **Annexure 5** and with permissible specifications and conditions specified in **Schedule 1**.

- 21** The municipality or any officer authorized, by a general or special order, shall have the power to carry out an inspection of any OMD at any time, under intimation to the registered entity or listed owner.

Maintenance of OMDs and removal of unauthorized advertisements.

- 22** (1) Subject to provisions in these bye-laws,-
- (i) the registered entity or listed owner (for self-advertisement only) shall be responsible for maintaining the device and the surrounding area, so that it does not become unsightly or deteriorate to such a degree that it is in conflict with any provision of these bye-laws;
 - (ii) a registered entity or listed owner (for self-advertisement only) shall carry out at least once in three months inspection of an OMD with a view to satisfy himself that it has been properly maintained and forthwith carry out any necessary maintenance resultant upon such inspection; and
 - (iii) a registered entity or listed owner (for self-advertisement only) shall keep a written record of any inspection made, maintenance carried out and shall retain record of it and make the same available for perusal on demand by an authorized officer of the municipality.
- (2) The registered entity or listed owner (for self-advertisement only) shall ensure that a metallic plate (minimum size of one feet by one feet) with the embossed logo of municipality providing details of approval of municipality and details of the OMD, as required by municipality, are displayed and maintained in good condition at all times. Failure to do so shall result in the levy of a non-compliance charge, as the municipality may specify.
- (3) If in the opinion of municipality, any OMD is dangerous or unsafe or is likely fall into a state of disrepair or is in conflict with any requirement of these bye-laws, the municipality shall serve a notice on the registered entity or listed owner (for self-advertisement only) to remove/ maintain the OMD, within the specified period and registered entity or listed owner (for self-advertisement only) shall be required to comply thereof or take suitable action.
- (4) If the municipality is of the opinion that an OMD constitutes an imminent danger to any person or property, it shall without serving, or if such a notice has been served but not complied with within the period specified therein, remove/ maintain the OMD.
- (5) The cost incurred for the removal and storage of an OMD, and any other costs incurred by the municipality as contemplated in **bye-law 22(4)**, shall be recovered from the registered entity or listed owner (for self-advertisement

only). The OMD shall be removed at the risk of the registered entity or listed owner (for self-advertisement only) by the municipality.

(6) If an OMD has been removed in terms of **bye-law 22(4)**, the municipality shall promptly inform the registered entity or listed owner (for self-advertisement only), about such removal of OMD.

(7) Any OMD which has been removed and stored in terms of these bye-laws, shall be released to its registered entity or listed owner (for self-advertisement only) subject to payment of charges as the municipality may, specify.

(8) The entire list of authorized OMDs shall be displayed, without ownership display, for scrutiny by public at large and various entities like companies, agencies, brands to identify and ensure that the advertisement being released by them is being mounted only on authorized OMDs. Failure to comply with above requirement shall be punishable under the Haryana Prevention of Defacement of the Property Act, 1989 (11 of 1990).

(9) Any unauthorized outdoor advertisement shall be removed promptly by the municipality and shall be immediately disposed-off on as-is where-is basis.

(10) The municipality shall issue notice to concern individual/ owner for installing unauthorized OMDs as per provisions of the Haryana Prevention of Defacement of the Property Act, 1989 (11 of 1990) and take action of removing the unauthorized OMD and penalizing the individual/ owner.

Documentation

23 The registered entity or listed owner of a property upon which an OMD is erected, attached or displayed, shall retain certified copies of all documents relating to the application for approval of such device in terms of these bye-laws, for as long as that device is erected or displayed, and shall on demand by an authorized officer, present such documentation.

Consideration of representations from interested parties.

24 (1) If any written comments, representations or objections have been received in respect of an application from any interested party contemplated, the municipality shall consider such comments, representations and objections before taking a decision on the application.

(2) The registered entity or listed owner shall within **fourteen days** after receiving any comments, representations or objections to an OMD, submit a written response to the municipality for consideration.

(3) If a response is not received within a period of **fourteen days**, the municipality shall take a decision on the comments, representations or objections within a period of **twenty-one days** from the date of receipt of comments, representation or objections.

Serving of notices.

25 (1) Any notice that is required to, or may be served, delivered or given in terms of, or for the purposes of these bye-laws, shall be served in any one of the following ways:-

(i) by sending a copy of the notice by registered or under postal certificate to the last-known address of the person concerned/ registered entity, and, unless the contrary is proved, it is deemed that service was effected on the seventh day following the day on which the document was posted;

(ii) by faxing a copy of the notice to the person, if the person has in writing furnished a fax number to the municipality;

(iii) by forwarding the notice through e-mail at the registered E-mail ID; and

(iv) by handing over a copy of the notice to the owner or any of the authorized representative of registered entity.

Appeal.

26 Any person, whose rights are affected by a decision of municipality or an officer authorized by him in terms of or for the purposes of these bye-laws, may appeal against that decision to the Divisional Commissioner in case of Corporation and Deputy Commissioner in case of Council/ Committee.

Penalty

27 (1) The offences under these bye-laws shall be punishable as per the provisions of the relevant Act, as the case may be.

(2) Whosoever contravenes any provision of these bye-laws, shall also be liable, without prejudice to any other action that may be taken by the municipality to remove such contravention and to pay unauthorized charges for such contravention at a rate equal to three times the applicable fee/ charges (as quarterly rates of the concerned OMD) on the date of commencement of such contravention for the period of such contravention or a quarter, whichever is more.

(3) In case of unauthorized media displayed by a registered entity or the owner of the property over which the unauthorized media has been displayed and the entity and the owner of the property shall be, jointly and severally, liable for the payment of charge for such contravention as specified in **bye-law 27(1)**

(4) The registered entity or listed owner (for self-advertisement only) which has displayed the unauthorized media shall also be liable to be deregistered or delisted by the municipality:

Provided that any action for deregistration or delisting shall be taken by the Municipality or an officer authorized by the municipality in this behalf, only after an opportunity of being heard has been provided to the registered entity or listed owner (for self-advertisement only):

Provided further that if the registered entity pays the charge for such contravention, removes the unauthorized media within a period of **five days** from the date of notice of such contravention and gives a commitment to comply with the provisions of the bye-laws in future, then the municipality may, in good faith, provide an opportunity to the registered entity or listed owner (for self-advertisement only):

Provided further that the aforesaid opportunity shall be provided only on one occasion of contravention and shall not be provided for any subsequent contravention within a period of **three years**.

(5) If the owner, promoter or Director of any entity that has been deregistered, is the owner, promoter or Director of any other registered entity, then action for deregistration shall be taken against such other registered entity:

Provided that any action for deregistration shall be taken by the Municipality or an officer authorized by the municipality in this behalf, only after an opportunity of being heard has been provided to the registered entity.

(6) Consequent to the decision for deregistration of a registered entity or listed owner (for self-advertisement only) under **bye-law 27 (3) or (4)** above, any approval granted by the municipality to any OMD of such registered entity or listed owner (for self-advertisement only) shall be deemed to have been withdrawn forthwith without any further notice.

(7) A registered entity or listed owner (for self-advertisement only), once deregistered or delisted under **bye-law 27 (3) or (4)** above, shall not be permitted to register or listed for a period of three years from the date of deregistration.

(8) In case of continuing contravention beyond **fifteen days**, the property over which such contravention exists

shall be debarred for display of advertisement for a period of **one year**.

(9) An officer authorized by the municipality, shall have the power to enter upon the property on or over which the unauthorized media has been displayed and remove such unauthorized media.

Insurance. **28** (1) The registered entity or listed owner (for self-advertisement only) of the OMDs shall provide and keep in full force and effect in the joint names of the registered entity or listed owner (for self-advertisement only), a public liability insurance policy for their respective rights, interests and liabilities to the third parties in respect of accidental death, bodily injury to persons or accidental damage to the property.

(2) The registered entity or listed owner (for self-advertisement only) shall produce evidence of the insurance public liability insurance policy to the municipality.

Indemnity **29** (1) The registered entity or listed owner (for self-advertisement only) shall be required to indemnify the municipality against all actions, proceedings, claims, demands, costs, losses, damages and expenses which may be brought against, or made upon the municipality which arise as a result of the installation or existence of OMDs.

(2) The registered entity or listed owner (for self-advertisement only) shall always be responsible for any injury or damage caused or suffered by any person or property arising out of or relating to the display of advertisement and the consequential claim shall be borne by the owner who shall also indemnify and safeguard the municipality, its employees or any entity employed/ appointed by municipality.

Repeal and savings **30** (1) The Haryana Municipal Corporation Advertisement Bye-laws, 2018 and the Haryana Municipal Advertisement Bye-laws, 2019 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said bye-laws shall be deemed to have been done or taken under these bye-laws and the permissions already granted under the bye-laws so repealed shall continue as such till the expiry of the contract period.

Annexure 1

Registration Form (see bye-law 14)

.....Municipality

Registration of advertising agency for display of Outdoor Advertisement

1. Name of Entity (Individual/ Company/ Firm/ Agency/ with registration details in Companies Act or Limited Liability Partnership Act, 2009):
2. Type of entity:
3. Type of Business:
4. PAN Number:
5. GST Number:
6. Registered Address:
7. Telephone Contacts:..... Business:
- Fax:..... E-Mail
- Address:.....

8. Details of the Directors/ Proprietors/ Partners:

Serial number.	Name	DIN No.	Mobile No.	E mail Address
(i)				
(ii)				

9. Memorandum of Association and Articles of Association of **entity**:
10. Experience, details of entity in advertisement business for last three years or for such period of time that the entity has been in the advertisement business, whichever is earlier (if any);
11. Work experience details of each Directors or Proprietors or Partners of the entity:
12. Undertaking of non-Blacklisting in the country in the last 5 years
13. Balance sheet of last three years, if available :
14. Authorization letter via Power of Attorney or Board resolution (as the case may be)
15. An undertaking that no amount is pending against **the entity** in any of the municipality of Haryana (amount like development charges/ property tax/ Trade License/ water charges/ sewerage cess/ etc)
16. Registration Amount (*non-refundable*) :

17. The applicant entity has not been blacklisted by any Government entity in the last 5 years. Yes No
18. The applicant firm/company or has no pending dues. Yes No
- a. If yes please specify the total pending dues
20. The applicant entity has no court case pending to advertisement rights Yes No

I/we shall hereby abide the terms and conditions and guidelines of advertisement bye-law/policy framed by the municipality. Also the information listed above is true and genuine and incase of adverse findings related to this, the registration shall stand cancelled.

Agree AGRFF

(All types of payments under these Bye-Laws shall be shall be made online only via Advertisement Portal)

Annexure 2 Registration approval form for the entity (see bye-law 15(3))

Unique Registration No.
Date of Issuance:.....
Valid Upto:

To,

<Name of Authorized Signatory>
<Name of Entity>
<Address of Entity>

Please refer to your application no., dated for State Level registration towards Outdoor Media Display. This registration enables the entity to participate in all e-auction sites in the State of Haryana and upon awarding, permits installation of Outdoor Media Device for Display of Outdoor Advertisement as per site /contract specific terms and conditions via online portal.

Dear Sir/Mam,

This is with reference to your application regarding registration with the Directorate of Urban Local Bodies enabling the entity to participate in all e-auction sites in the State of Haryana and upon awarding, permits installation of Outdoor Media Device for Display of Outdoor Advertisement as per site /contract specific terms and conditions via online portal.

It is to inform that the following decision has been taken in consideration of your application:

1. **Approval:** Your application for registration is approved and unique identification number allotted to you is

..... please use the same for all future correspondence with Directorate of Urban Local Bodies, Haryana and all concerned municipality in the State as this Registration shall be valid for all the Municipalities in the State for five years from the date of issuance of this letter.

OR

2. **Rejection case:** Your application for new Media/ renewal is rejected on account of the following:
- Incomplete application
 - Incorrect information provided
 - Pending dues with Department or any municipality
 - Blacklisted status not verified.....
 - Others.....

Approved/ Rejected
On behalf of Directorate of Urban Local Bodies, Haryana

Note¹: In case of rejection of application you may apply fresh on satisfying the above mentioned conditions.
Note²: This is a typical format only and is subject to modification/ amendment by the Department from time to time.

Annexure 3
Application form for approval of self-advertisement OMD or 3rd party advertisement rights permission directly
(see bye-law 6(1), 10(3))

A. Details of site identified for self-advertisement purpose only beyond the exemptible limit or 3rd party advertisement rights

- Name of Entity (Individual/ Company/ Firm/ Agency/ with registration details in Companies Act or Limited Liability Partnership Act, 2009):
- Type of entity:
- Type of Business:
- Registered Address of the Business:
- Correspondence Phone no:
- Correspondence email ID:
- PAN Number:
- GST Number:
- Property ID of the site:
- Text proposed on OMD :
- Name of Municipality where the site is located:
- Complete Address of site:
- Dimension of proposed Hoarding:
- Give specification of the type of OMD (Refer **Annexure 5**):
- Permission requested /required for (in years):

Documents to be upload:

- Ownership documents of the site
- Latest receipt as proof of payment of property tax in respect of the tax payable on the property owned by the registered owner or the property on or over which the OMD is intended to be displayed.
- an undertaking to the effect that the application for display of advertisement is not in contravention of the order of any Court.
- Design and the structural details of the OMDs by a Structural Engineer, certifying the safety aspect of its foundations capable of bearing extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with relevant Indian Structural Design Standards, policy and guidelines framed from time to time. The structural details shall include size of all members of supporting frameworks, anchorages and design calculations including proof of compliance with any other law, including but not limited to, the applicable law and codes/guidelines including Indian Road Congress (IRC), the National Building Code of India and the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986), to the extent that such law is applicable.
- A drawing, in colour, showing the locality plan, indicating the proposed position (including GPS coordinates) of the OMDs and the distances in relation to any other structure, building, or OMD situated within a radius of twenty-five meters from the proposed OMD.
- if a proposed OMD is to be attached to or displayed on the facade of a building, an architectural drawing showing elevation and measurements of the building and the detailed measurements and position of the proposed OMD and the position of every existing OMD on the building drawn to a scale of 1:1000 or as specified by the municipality.

Undertaking: I/We, shall hereby abide by all provisions of policy framed by the municipality

Note: Only Upon the payment online non-refundable scrutiny fee the application shall be submitted. In case of rejection of application, you may apply fresh on satisfying the above mentioned conditions. This is a typical format only and is subject to modification/ amendment by the Department from time to time. Upon submission OMD unique ID shall be generated.

B. Format for Office Report:

OMD Unique No:	District: ..	City: ..	Ward:	Zone:
---------------------	--------------	----------	-------------	-------------

.....
Road/ Street/ Address:			
Name on approval letter based on ownership document:		Time period of permission (in years):	
Issue Date:		Validity Upto:	
Section I – Charges / Demand to be Raised			
Permission Fees applicable INR per sq. meter/ quarter:			
Quarterly Demand to be raised till (DD/MM/YYYY):			
Section II – Typology of OMD :			
Dimension of OMD: Area of Building Façade: Specification of OMD: Area of OMD (in sq. meter):			
Section III – Verification of attached documents			
<ul style="list-style-type: none"> ● Please upload the following documents: ● Director's information ● Building Permit/Property Tax ● Pan No. ● GST No. ● Certificate of Structural Engineer Ownership Details ● City plan with location of advertisement sites ● Coordinates of OMD With GPS Location ● Photograph of the Site (self-certified) ● Sketch plan of the site (self-certified) ● Pending Dues (if any) ● Architectural Drawings (elevation, measurement scale 1:1000) 			

Annexure 4
(see bye-law 6(4), 10(8))
Letter of Intent issued by the <Name of Municipality> for the purpose of self-advertisements beyond the exempted limit or 3rd party advertisement rights permission directly

OMD Unique No.

Date of Issuance :

Valid Upto:

To,

<Name of Owner>
<Name of Business>
<Address of Business>

Please refer to your OMD unique no....., submitted dated for installation of New Outdoor Media Device/ renewal for Display of Outdoor Advertisement under self-advertisement beyond exemptible limit or 3rd party advertisement rights

Dear Sir/Mam,

This is with reference to your application regarding installation of New Outdoor Media device/ renewal for display of Outdoor Advertisement by yourself/ Company/ Firm/ Agency with the <Name of Municipality>

It is to inform that following decision has been taken in consideration of your application:

1. Your application for New media/ renewal is approved for erection/ display of Outdoor Media Device from(dd/mm/yyyy) to(dd/mm/yyyy) having an area of OMD as(in sq. mtrs.) with Typology of OMD..... at(complete site location), within limits of <Name of Municipality>.
2. You are hereby granted the permission of setting/installing OMD based on the specification of OMD unique ID: at the permission charges as INR.....per quarter. This approval letter is issued upon the receipt of first quarterly payment INR.....The payment schedule for permission charges is as under:-
 - a. Quarter 1 valid till dd/mm/yyyy: payment due on dd/mm/yyyy:
 - b. Quarter 2 valid till dd/mm/yyyy: payment due on dd/mm/yyyy:
 - c. Quarter 3 valid till dd/mm/yyyy: payment due on dd/mm/yyyy:
 - d. Quarter 4 valid till dd/mm/yyyy: payment due on dd/mm/yyyy:
 - e.etc

Important Note: in case the charges are not deposited, the permission shall be terminated.

OR

1. Your application for new Media/ renewal is rejected on account of the following reasons:
 - a. Incomplete application
 - b. Incorrect information provided
 - c. Pending dues
 - d. Blacklisted status not verified
 - e. Others.

Commissioner/ Executive Officer/ Secretary,
<Name of Municipality>

Note: In case of rejection of application you may apply fresh on satisfying the above mentioned conditions.

Note: This is a typical format only and is subject to modification/ amendment by the municipality from time to time.

Annexure 5
(see bye-law 3)

Typology	Typology Description
A.	Typology A: OMDs on public transport services/ street furniture and public transport system
A1	Bus and Intermediate Public Transport (IPT) shelters
A2	Bus and IPT route markers
A3	Foot Over Bridges, Signage gantries, toilet blocks and urinals
A4	Cycle Stand/Station
A5	Police booth, parking booth, telephone booth, pre- paid taxi booth, bus/rail booking information booth, drinking water facility, public utility kiosks, outside colonies to facilitate directory / payment of bills etc.
A6	Sitting bench, garbage bins
A7	Metro/MRTS
A8	Traffic barricading
A9	Public transport vehicle
B.	Typology B : OMDs on commercial advertising structures on public land
B1	OMD on public land
C.	Typology C: OMDs on commercial advertising structures on private land
C1	Unipoles, billboards, building boards.
C2	Wall wraps/ wall painting
C3	Multiple OMDs.
D.	Typology D: events
D1	Religious, Political and Conferences
D2	Entertainment and Exhibitions events
E.	Typology E: landscape advertising
E1	Tree guards
F.	Typology F: shop signage
F1	Self-Advertising
G.	Typology G: innovative advertising
G1	Innovative advertising
H.	Typology H: cinema advertising
H1	In-cinema on screen advertising including slides and advertisement films (moving advertisements).
I.	Typology I: Inside commercial buildings and public buildings
I1	Inside commercial buildings and public buildings

The supporting structure shall have a non-reflective finish to prevent glare. The Outdoor Media Devices structure shall be well maintained at all times. It shall be painted in colors that are consistent with, and enhance the surroundings.

Annexure 6
Application form submitting privately owned OMD sites for auctioning with permission fee sharing with respective municipality
(see bye-law 10(2))

A. Details of Site identified for the purpose of Display of advertisement through third party rights

1. Name of Owner
2. Correspondence Phone no:
3. Correspondence email ID:
4. PAN Number:
5. Property ID of the site:
6. Name of Municipality where the site is located:
7. Complete Address of site:
8. Dimension of proposed Hoarding:
9. Give specification of the type of OMD acceptable by the owner for auction purpose (Refer Annexure 5):
.....
10. Tenure of the advertisement display (in years):
11. List the content of OMD reservations/objection/not permitted on the owner's site (if any):

Undertaking:

I /We, shall hereby abide by all provisions of policy framed by the State. We understand the site offered vide this application shall be listed for auction by the concerned/respective Municipality for the tenure as specified in the application. I/We also understand, upon approval of OMD site as notified to the applicant via portal and SMS, the said site shall be auctioned to the highest bidder only when an EMD amount

equivalent to ten percent of the reserve price shall be deposited by the applicant as per bye laws clause 10(5). I/We also understand and agree with the sharing of permission charges of the auctioned site in the ratio as specified and notified by the municipality in the current financial year. The account of EMD deposit shall be the same account where the shared permission fee shall be deposited by the Municipality.

B. Documents to be upload:

1. Ownership documents of the site
2. Latest receipt as proof of payment of property tax in respect of the tax payable on the property owned by the registered owner or the property on or over which the OMD is intended to be displayed.
3. an undertaking to the effect that the application for display of advertisement is not in contravention of the order of any Court.
4. Design and the structural details of the OMDs by a Structural Engineer, certifying the safety aspect of its foundations capable of bearing extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with relevant Indian Structural Design Standards, policy and guidelines framed from time to time. The structural details shall include size of all members of supporting frameworks, anchorages and design calculations including proof of compliance with any other law, including but not limited to, the applicable law and codes/guidelines including Indian Road Congress (IRC), the National Building Code of India and the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986), to the extent that such law is applicable.
5. A drawing, in colour, showing the locality plan, indicating the proposed position (including GPS coordinates) of the OMDs and the distances in relation to any other structure, building, or OMD situated within a radius of twenty-five meters from the proposed OMD.
6. if a proposed OMD is to be attached to or displayed on the facade of a building, an architectural drawing showing elevation and measurements of the building and the detailed measurements and position of the proposed OMD and the position of every existing OMD on the building drawn to a scale of 1:1000 or as specified by the Council/ Committee.

Note: Only Upon the payment online non-refundable scrutiny fee the application shall be submitted. In case of rejection of application, you may apply fresh on satisfying the above mentioned conditions. This is a typical format only and is subject to modification/ amendment by the Department from time to time. Upon submission OMD unique ID shall be generated.

Annexure 7

Application form for submitting Government entities owned OMD sites for auctioning with permission fee sharing with respective municipality (see bye-law 12(1))

A. Details of Site identified for the purpose of Display of advertisement through third party rights

1. Name of Government entity:
2. Name of Nodal Officer and Designation:
3. Correspondence Phone no of Nodal Officer:
4. Correspondence email ID of Nodal Officer:
5. Property ID of the site (if any):
6. Name of Municipality where the site is located:
7. Complete Address of site:
8. Dimension of proposed Hoarding:
9. Tenure of the advertisement display (in years):
10. Account Details for necessary permission fee share transfer:

Undertaking:

I /We, shall hereby abide by all provisions of policy framed by the State. We understand the site offered vide this application shall be listed for auction by the concerned/respective Municipality for the tenure as specified in the application. I/We also understand, upon approval of OMD site as notified to the Government entity via nodal officer (via email/ portal and SMS), the said site shall be auctioned to the highest bidder. I/We also understand and agree with the sharing of permission charges of the auctioned site in the ratio of 50:50.

B. Documents to be upload:

1. Ownership Proof/ Undertaking of the OMD site(s)
2. Latest receipt as proof of payment of property tax in respect of the tax payable on the property owned by the registered owner or the property on or over which the OMD is intended to be displayed.
3. an undertaking to the effect that the application for display of advertisement is not in contravention of the order of any Court.
4. Design and the structural details of the OMDs by a Structural Engineer, certifying the safety aspect of its foundations capable of bearing extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with relevant Indian Structural Design Standards, policy and guidelines framed from time to time. The structural details shall include size of all members of supporting frameworks, anchorages and design calculations including proof of compliance with any other law, including but not limited to, the applicable law and codes/guidelines including Indian Road Congress (IRC), the National Building Code of India and the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986), to the extent that such law is applicable.
5. A drawing, in colour, showing the locality plan, indicating the proposed position (including GPS coordinates) of the OMDs and the distances in relation to any other structure, building, or OMD situated within a radius of twenty-five meters from the proposed OMD.

6. if a proposed OMD is to be attached to or displayed on the facade of a building, an architectural drawing showing elevation and measurements of the building and the detailed measurements and position of the proposed OMD and the position of every existing OMD on the building drawn to a scale of 1:1000 or as specified by the Council/ Committee.

Note: In case of rejection of application, you may apply fresh on satisfying the above mentioned conditions. This is a typical format only and is subject to modification/ amendment by the Department from time to time. Upon submission OMD unique ID shall be generated.

Schedule 1

General Permission Criteria - Outdoor Media Devices

(See bye-law,- 2(1)(xxix), 3(4), 4(1), 5(1, 2, 3), 7(1), 8(1), 11(1) and 20)

1. Traffic Hazard Potential Dependencies

- (1) The traffic hazard potential of an OMD depends on its:
 - (i) Site Location: OMD's location from the road which is measured in terms of lateral and longitudinal displacements from the edge of the road. The hazard generally diminishes the further the device is away from the road.
 - (ii) size of the OMD,
 - (iii) luminance level of the OMD, and
 - (iv) background and other such related issues.
- (2) An advertising device may be considered a traffic hazard:
 - (i) if it interferes with the effectiveness of a traffic control device (e.g. traffic light, stop or give way sign).
 - (ii) if it interferes with road safety or traffic efficiency.
 - (iii) distracts a driver at a critical time (e.g. making a decision at an intersection).
 - (iv) obscures a driver's view of a road hazard (e.g. at corners or bends in the road).
 - (v) gives instructions to traffic to "stop", "halt" or other (e.g. give way or merge).
 - (vi) imitates a traffic control device.
 - (vii) is a dangerous obstruction to road or other infrastructure, traffic, pedestrians, cyclists or other road users.
 - (viii) is in an area where there are several devices and the cumulative effect of those devices may be potentially hazardous.
 - (ix) if situated at locations where the demands on drivers' concentration due to road conditions are high such as at major intersections or merging and diverging lanes.
 - (x) if it violates the applicable building bye-laws/ Code.
- (3) Besides aforesaid, additional driver attention and decision making are required at the following:
 - (i) high speed diverging, merging or weaving at an intersection such as at a "Y" intersection or large high-speed roundabouts;
 - (ii) in the vicinity of intersections where through lanes merge and where vehicles are required to merge at higher speeds (e.g. where "trap lanes" are created on the approaches to, or exit from, intersections and where a divided motorway becomes a two-way road);
 - (iii) intersections or sections of road which, because of lane configuration or geometry, may require an increased level of driver concentration (e.g. five-way intersections, back to back horizontal curves);
 - (iv) on the outside curve of a divided road where advertising is directed at traffic on the opposite carriageway and the geometry, angle or other factors make this undesirable;
 - (v) sections of road displaying traffic signals, directional signage, regulatory or advisory signage that (when considered singularly or in combination) are believed to be significantly more different or complex than would normally be expected (at these intersections, it would be expected that the required reading and interpretation period of the traffic control device(s) would be significantly longer);
 - (vi) sections of road that have a vehicle crash history higher than the system average;
 - (vii) pedestrian crossing facilities; and
 - (viii) schools, hospitals, old age homes.

2. OMD Location Selection Criteria

- (1) The site selection criteria comprise of:
 - (i) the lateral placement of OMDs (which influences the hazard potential for an errant vehicle and the effectiveness of official traffic signs); and
 - (ii) the longitudinal placement of OMDs (driver distraction control) relative to designated traffic situations and official traffic signs, road features and other OMDs (which influences sight distances and driver distraction).
- (2) Lateral Placement
 - (i) Advertising is not permitted in medians because these areas are set aside for important traffic control devices.
 - (ii) OMDs shall not be permitted on traffic islands.
 - (iii) Where carriageways diverge so much that oncoming traffic is not visible because of topography or dense vegetation.
- (3) Longitudinal Placement (Driver Distraction Controls)
 - (i) Longitudinal placement set out minimum distances between the OMDs and traffic conflict points, official traffic signs and other OMDs (i.e. reduce advertising density).
 - (ii) To facilitate the smooth flow of the traffic and to avoid any traffic hazard caused by the placement of

OMDs following shall be followed while finalizing longitudinal placement of any device, the distance for placement of OMD shall be measured from main carriageway or the edge of the junction, intersection, roundabouts etc.

(4) Lateral and Longitudinal – Site Selection Criteria

(i) **Lateral Criteria**

- (a). The lateral distance criteria are applicable to all type of OMDs, except OMDs defined under Typology “A” in **Annexure-5**.
- (b). In case of National Highways and State Highways the lateral distance shall be **ten metres** measured from the edge of the ROW as defined in item (xxxiv) of clause (1) of bye-law 2; and in no case OMDs, shall be permitted within ROW of the National Highway.
- (c). In case of scheduled roads declared by the State Government under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, the lateral distance shall be measured from the edge of the ROW as defined in item (xxxiv) of clause (1) of bye-law 2. The permissible lateral distance shall be either 1/3rd of the width of the ROW of the road as measured above or minimum ten meters, whichever is greater.
- (d). In case of sector roads, municipal roads and roads other than scheduled roads, the lateral distance shall be measured from the edge of the ROW as defined in item (xxxiv) of clause (1) of bye-law 2. The distance shall be 1/3rd of the ROW or ten meters, whichever is lesser.
- (e). The lateral distance criteria shall not apply to OMDs on public toilets, Bus stops, toll plaza structures located near toll plaza, subject to approval of the Municipal Corporation in accordance with these bye-laws.
- (f). In no case, the OMD shall be allowed to install within the ROW.
- (g). In case the ROW of municipal road is less than twenty meters, OMD shall be installed at edge of ROW parallel to carriageway and its size is restricted to 4.6 x 3.05 meters”.

(ii) **Longitudinal Criteria**

Site Selection Criteria for Longitudinal Placement of OMDs			
	Minimum Longitudinal Straight Clear Distance between two OMDs along the road for notified speed upto 50 Km/ hr	Speed Factor (In case notified speed of road is higher than 50Km/ hr)	Minimum Longitudinal Straight Clear Distance between two OMDs along the road (In case notified speed is higher than 50Km/ hr)
	1	2	3
	100 meters	i. 60 Km/ hr = 1.2 ii. 80 Km/ hr = 1.5 iii. 100 Km/ hr = 2.0	i. 100 X 1.2 = 120 meters ii. 100 X 1.5= 150 meters iii. 150 x 1.8 = 200 meters

The above distance has been calculated considering, distance covered by vehicle at given speed within three seconds distraction time (distraction caused by advertisement), one second reaction time to apply brakes, braking distance of vehicle at given speed and additional safety factor.

Note: The longitudinal distance criteria shall be applicable to OMDs along any road or OMDs on public land, except OMDs defined in **Typology “A”** in **Annexure-5**.

- (iii) OMDs are not permitted within **seventy five** meters of any road junction, traffic intersection or another road crossing in the direction of traffic entering the crossing. OMDs shall not be permitted within **fifty** meters of any road junction, traffic intersection or another road crossing in the direction of traffic exiting the crossing .The distance shall be measured from the edge of traffic inter-section not road junction or road crossing.
- (iv) OMDs shall not block any traffic signage or traffic signal or any other structure erected for the regulation of traffic.
- (v) OMDs are not permitted on a roundabout of diameter less than hundred meters measured from the outer width of the round-about (including the carriageway).
- (vi) OMDs on roundabout of diameter hundred meters and above measured from the outer width of the round-about (including the carriageway) are permitted at clear distance of **ten metres** from the edge of carriageway.
- (vii) Where lateral placement requirements and driver distraction requirements are provided for by a particular restriction distance, the greater value shall be used.
- (viii) When two (2) OMDs, located together, are different in their general form, the driver distraction potential shall be determined considering both devices, simultaneously.
- (ix) The permissible distance between the edges of any Unipole OMD or Wall wrap OMD to any other Unipole OMD or Wallwrap OMD on private property shall be at least fifty metres of frontal façade.
Note: one OMD is permitted to install on each premises even if it frontal façade is less than fifty metres, but in case of more than one OMDs are to be installed at single premise, then for every additional OMD frontal façade of at least fifty metres is required. The distance between each OMD within same premises shall be fifty metres.
- (x) If an OMD is visible from more than one road or type of road (such as a motorway or motorway standard road and a ramp or other road) the restrictions shall be applied to each road or type of road the OMD is visible.

(5) Physical characteristics of OMDs

- (i) The application of control on physical characteristics is intended to minimize the level of driver distraction. Control of the physical characteristics of Outdoor Advertising Devices shall relate to the:
 - (a). Size and shape

- (b). Colour
- (c). Illumination and Luminance
- (d). Movement and Rotation
- (e). OMD Content
- (ii) Size and Shape
 - (a). OMDs shall not use shapes that could potentially result in an OMD being mistaken for the effectiveness of official traffic signs.
 - (b). The Code of Practice for Road Signs **IRC: 67-2001**, by Indian Roads Congress prescribes the basic design parameters of official traffic signs and includes standard legend/background colour combinations.
- (iii) Colour
 - (a). OMDs shall not use colour combinations that could potentially result in being mistaken for an official traffic sign.
 - (b). The Code of Practice for Road Signs **IRC: 67-2001**, by Indian Roads Congress prescribes the basic design parameters of official traffic signs and includes standard legend/background colour combinations.
- (iv) Illumination and Luminance
 - (a). OMD shall not contain flashing red, blue or amber point light sources which, when viewed from the road, could give the appearance of an emergency service or other special purpose vehicle warning light's,
 - (b). All lighting associated with the OMD shall be directed solely on the OMD and its immediate surrounds.
 - (c). External illumination sources shall be shielded to ensure that external 'spot' light sources are not directed at approaching motorists.
 - (d). Illumination of OMD is to be concealed or be integral part of it.
 - (e). Up-lighting/upward pointing of the device shall not be allowed, any external lighting is to be downward pointing and focused directly on the OMD to prevent or minimize the escape of light beyond OMD.
 - (f). Any light source shall be shielded so that glare does not extend beyond the OMD.
 - (g). Non-static illuminated OMDs (flashing lights) are not permitted.
 - (h). The average maintained luminance shall be reduced to 0.5 candelas or all together shut, after 0000 hours (12 A.M) and sunrise by automatic timing devices or as specified by municipality from time to time.
 - (i). OMDs containing retro-reflective material shall be rotated approximately five degrees away from the normal line of vehicle headlight beams in order to minimize specular reflection.
- (v) Movement and Rotation
 - (a). Moving displays causes a statistically significant distractive influence on motorist's response times to external stimuli. Moving, rotating or variable message OMDs are permitted only in market place, parking spaces and other public spaces, where there is only pedestrian movement. In no case such advertisements shall be permitted towards vehicular traffic. (Except advertisements affixed on public transport vehicles e.g. State Government Buses).
 - (b). Trailer based advertising is permitted subject to the condition that the trailer shall display advertisement at selected places/ locations and at defined time periods. Further, while transporting the trailer from one place to another, the advertisement shall be properly covered.
 - (c). OMDs on passenger vehicles shall not be permitted.
 - (d). This permission criterion is not intended to apply to variable message displays used by road authorities for traffic management/ information. Variable message displays located at bus stops or similar places where messages are directed at, and intended for, pedestrians (not motorists) are excluded.
- (vi) Advertising Device Content

The municipality shall generally rely upon self- regulatory controls within the Advertising industry to enforce minimum Advertising standards. Notwithstanding this approach, the municipality may take action to modify or remove any advertisement on the OMD that contravene the Advertising Industry's Code of Ethics, (refer List of Negative Advertisements provided in byelaw 4(3) or that otherwise causes a traffic hazard.
- (vii) Legibility
 - (a). For all categories of OMDs (other than OMDs which are directed at pedestrians), text elements on an OMD face should be easily discernible to traveling motorists. This shall minimize driver distraction. Additionally, a sign shall be quickly and easily interpreted so as to convey the required advertising message to the viewer and reduce the period of distraction.
 - (b). The content or graphic layout exhibited on OMD panel shall avoid hard-to-read and overlay intricate typefaces and have letters styles that are appropriate. Under no circumstances should device contain information in text sizes, which would necessitate the driver or passenger in a moving vehicle to stop, read and/or note down, which is detrimental to the smooth flow of traffic and distracting for the driver.
 - (c). All OMDs shall be so designed as to maintain a proportion where, as a general rule, letters should not appear to occupy more than 20% of the OMD area, unless otherwise permitted by the municipality.

3. Installation, Operations and Maintenance Development Criteria

- (1) The following criteria shall also apply:
 - (i) Safe access shall be available to the OMD for erection, maintenance and alteration activities.

- (ii) The OMD and surrounding areas shall be kept in a clean and tidy condition.
- (iii) Unauthorized clearing, trimming, slashing and burning off or otherwise removal or destruction of vegetation is not permitted.
- (iv) Apart from accommodating vehicular and pedestrian traffic, road reserves are corridors for utility services such as power, telecommunications, gas, storm water, water supply and sewerage. The location of these services is known by other agencies with their own legislative right to install these services within the road reserve.
- (v) Municipality may not know the accurate location of all underground services. The owner is responsible to co-ordinate, inform and communicate to relevant authorities before any excavation or fabrication on site work is to be undertaken. Any liability, delay or accident that happens, is complete responsibility of the owner and in no way municipality would be liable to help, support, negotiate or waive off any of the conditions set in the agreement or these bye-laws.
- (vi) OMD owners are solely responsible for ensuring that during erection, maintenance, alteration and operation of an OMD, the device does not conflict with services or other things within the road reserve.
- (vii) Municipality may ask the owner to either replace or altogether remove any OMD to facilitate the work undertaken by utility services such as power, telecommunications, gas, storm water, water supply and sewerage, or for road widening.

4. Structure

- (1) OMD structures devices shall be certified by a Structural Engineer practicing in the field of structural engineering. This requirement is not applicable to specific instances where the OMD is in the form of Advertisement pasted directly to the surface of a structure e.g. pasted sticker on a vehicle, wall wrap.
- (2) This certification confers compliance of the design with relevant Indian Structural Design Standards, Codes of practice and conditions of this guide. The foundations shall be designed and checked for extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity etc.
- (3) The supporting structure shall have a non-reflective finish to prevent glare.
- (4) The OMD structure shall be well maintained. It shall be painted in colours that are consistent with, and enhance, the surrounding area.
- (5) Official road furniture such as official signs and delineator guide posts shall not be used as the supporting structure of an OMD.
- (6) The name of the OMD permission holder, Number of permission/ media device identification number etc. shall be placed in a conspicuous position on the OMD as may be notified by municipality from time to time.

5. Electrical Connections

- (1) Electrical connections to OMDs shall meet relevant Indian Standards.
- (2) Electrical connections to OMDs shall be designed to ensure there is no safety or traffic risk.
- (3) Electrical connections to OMDs shall be designed to be safe in the event of accidental knock down.
- (4) The registered agency is the power consumer and shall make application for power connection to obtain electricity connection from the respective electricity distribution company for illuminated display in his own name, for which municipality concerned land owning agency would provide necessary no objection certificate on the owner's request.
- (5) Any charges for power connection and supply shall be incurred directly by the registered agency. A copy of the electricity supplier's letter of acceptance/ billing arrangement shall be submitted to municipality.
- (6) The electrical installation work shall be performed by a licensed electrical worker in accordance with the relevant Electricity Regulation and, the Wiring Rules and the relevant electricity supplier's requirements.
- (7) Adequate insulation and protection equipment and procedures shall be in place to protect maintenance and service personnel working on either the OMD or the road lighting circuit. For earthing, a separate earth electrode shall be used, and active and neutral conductors shall be used only for supply from the supply point.
- (8) A sketch plan shall be submitted to Government Authority showing the location from where the electricity is being drawn along with position of various other ancillary requirements, duly signed by a qualified electrical engineer practicing in same field.
- (9) A copy of the electrical contractor's test certificate shall be provided to municipality. The switching device shall be of a type approved by the electricity supplier. Electrical components shall accord with relevant Indian Standards.

6. Miscellaneous

- (1) OMDs involving communication through sound, smell, etc. are not permitted.
- (2) No generator running on diesel/ petrol/ kerosene or any bio fuel, causing noise, air or water pollution would be allowed for providing power for illumination of any OMD.

7. List of Non Permissible Outdoor Advertisement

- (1) Advertisements affixed on public property by pasting.
- (2) Banners.
- (3) Advertisement by way of pasting on Pillars/ Pylon.

8. OMDs on Public Transport Services/ Street Furniture (Typology 'A')

- (1) Bus and Intermediate Public Transport (IPT) Shelters

Serial No.	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
1.	OMDs at the roof of shelter	i. One front panel - 9 x 0.3 ii. 2 side panels - 3 x 0.3
2.	OMDs at structure of shelter	i. One back panel parallel to road - 9 x 1.2 ii. One pole mounted back lit panel - 1.8 x 1.2

- (i) The approach end of passenger transport shelter shall be open to provide waiting passengers with maximum visibility of the approaching passenger transport vehicle.

(2) Bus and Intermediate Public Transport (IPT) Route Marker.

Serial No.	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
1.	OMD space on both side of Route Marker	i. 1.2 x 2.0 (height) 0.2 x 2.0 shall be reserved for bus related information on both side

(3) Bus and Intermediate Public Transport (IPT) vehicles

Serial No.	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
1.	Public Transport buses i. On driver side panel ii. On other side panel iii. Back side No advertisement is permitted on glass area of the vehicle	i. 4.0 x 0.6 metres ii. 3.5 x 0.6 metres iii. 1.2 x 0.9 metres

(4) Advertisement regulation criteria for Foot Over Bridges.

- (i) The advertisement shall be permitted only of transparent nature, on inside wall of pathway and with maximum height of 0.75meter from the top surface of pathway. In all circumstances, the activities happening on pathway shall be clearly visible to public from all sides.
- (ii) The advertisement visible from road shall be permitted on the side of the Foot Over Bridge in the opposite direction to the direction of traffic.

(5) Public Toilet block and cycle station.

Serial no.	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
1.	Maximum space for OMD on surface.	<ul style="list-style-type: none"> ● Seventy percent of total surface area of block. ● Additional back lit panel of at least 1.8 x 1.2 with city map/ neighborhood map/ route map shall also be provided.
2.	<ul style="list-style-type: none"> ● In no case the height of OMD shall be above the parapet of structure. ● In case of public toilets water storage tanks shall be properly concealed and shall not be visible to public. 	

(6) Public Utility Furniture- Booths (e.g police booth, telephone booth, etc.)

Serial no.	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
1.	Maximum space for OMD on surface.	<ul style="list-style-type: none"> ● Seventy percent of total surface area of three sides of Booth. ● OMD on back side of booth is not permitted. ● OMD on glass surface (For light and ventilation) of booth is not permitted.

(7) Public Utility Furniture- Sitting Benches and Garbage Bins

Serial no.	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
1.	Maximum space for OMD.	<ul style="list-style-type: none"> ● Percentage of total surface area decided by municipality. ● OMD shall be facing pedestrian pathway only.

General Note:

- (i) The OMD panels shall be backlit without additional projected brackets (except sitting benches and Garbage bins).
- (ii) Non static illumination, neon, changing LEDs, changing of illumination color, flashing lights are not permitted.
- (iii) To be developed preferably on BOT basis, where BOT is not possible or for existing infrastructure, the advertisement space to be bid out with maintenance of amenity as an obligation on the bidder.
- (iv) Ventilation and natural lightning of structure shall not be compromised for installation of OMD.
- (v) Locations of Bus and IPT Shelter, toilet block, cycle station, utility booths and public utility sitting bench shall be identified by municipality.
- (vi) The OMD shall not cause any hindrance to the flow of vehicular and pedestrian traffic.

9. OMDs on Public Transport System (Typology ‘A’)

(1) In public transport system, OMDs are permitted on rolling stocks, stations, shelters, Foot-Over-Bridges and other properties (including Metro structural pillars/ columns).

Serial No.	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
1.	Maximum space for OMD on Metro structural pillars/ columns	<ul style="list-style-type: none"> ● To be installed 3.0 metres above the ground level (i.e. above the general eye level of vehicle driver) ● Maximum height – 3 metres ● Maximum width – restricted to diameter of the column (no part of OMD shall overhang/ projected beyond the width of column)

(2) OMDs on metro stations, shelters, foot-over-Bridges and other properties shall be installed as such that it does not face the direction of incoming traffic (i.e. OMD be installed on other half side of road) on the public road.

(3) The location of OMDs shall be identified by the person, Company, Board or statutory Authority operating

the public transport system with the approval of the municipality. These shall be identified on case to case basis.
 (4) The OMDs permitted shall follow the specification stated in the bye-law, as per typology and shall get audited by 3rd party only indulged in consultancy over road safety. In no case the 3rd party (or its sister company) shall be indulged in advertisement display business.

(5) Traffic barricading

Serial No.	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
1.	Maximum space for OMD on both side of barricade	<ul style="list-style-type: none"> • Maximum length – 0.6 • Maximum Height – 0.3

10. Typical advertising device dimensions for Typology ‘B’ and ‘C’ OMDs (except Wall Wrap).

Type	Dimensions (in meters)	Remarks
Standard OMDs	4.6 x 3.05	Shall be Placed at Drivers Eye Height, which shall not disrupt any pedestrian movement.
	6.1 x 3.05	Shall not come under direct horizontal vision of Drivers eye. Bottom of the advertisement panel should be minimum three metres above the adjacent road edge and foundation pole shall be away minimum ten metres from road edge.
Unipole and Large Size Billboards	4.5 x 2.25	Road with not less than forty five meters Row with minimum offset from paved road edge 10m
	5.0 x 2.5	
	7.6 x 3.8	Road with not less than sixty metres ROW with minimum offset from last paved road edge un-signalized intersections or roundabouts. Face not towards fast moving road traffic or along access controlled road/highways.
	10.0 x 5.0	Strictly in Pedestrian and Parking/ Market areas only.

(1) Municipality shall ensure that aforesaid sizes are used increasingly to bring more aesthetics in the City. The Registered Entities shall use the aforesaid standard dimensions.

(2) Where no or little construction has happened in such cases only the unipoles and billboards of sizes specified above shall be permitted.

(3) Gantries shall be permitted only on municipal road with divided carriageway for welcome signs and social messaging by municipality. The sponsor OMD shall be put up on other side of the gantry i.e. opposite side of the incoming traffic. The clear distance between the road and lowest surface of gantries shall not be less than eight metres. The maximum height of OMD permitted on gantry is restricted to one meter.

(4) On vacant OMDs, mobile numbers covering the whole space shall not be permitted. Mobile numbers shall be provided in 1/10th of total space of OMD.

11. Maximum Permissible area for on premises advertisement.

(1) The maximum permissible area available for on premises (including buildings and land) advertisement on each face of the building, visible from public street/ road shall be as per table given below:

Serial no.	Type of building	Maximum permissible area (on each face of the building) of the total area.
1.	Shopping mall, Corporate Office, Shop/ shopping complex	20%
2.	Self-employed office i.e. Self-advertisers (Office/ Shop Signage)	2%

(i) Wall wraps shall allow natural light in the building by having material with seventy five percent transparency.

(ii) The height of OMD is restricted in accordance to the height of building, which is as under:

Serial No.	Height of Building (in metres)	Maximum height of OMD
1.	Upto three Storeys (upto 15 metres)	8 metres
2.	Four to Eight Storeys (15 to 36 metres)	12 metres
3.	Above Eight Storeys (above 36 metres)	15 metres

Provided that no openable door/ window shall be covered. Further, the advertisement shall not disturb the basic architectural character, features (i.e. arches, columns, niches, projections, etc.), standard façade (approved by authority) and shape of building.

12. OMDs for Events (Typology ‘D’)

(1) These OMDs shall be installed only for events such as conferences, entertainment events, exhibitions, etc. and only on temporary structures permitted by municipality.

(2) These OMDs shall not violate any of the provision of this bye-law.

(3) These OMDs shall be permitted to install thirty days prior to the event and shall be removed within 24 hours of finishing of event.

(4) OMDs mentioned under **Typology-D1** shall be exempted from registration and payment of charges/ charges.

(5) OMDs mentioned under **Typology-D2** shall pay charge as decided by Municipal Council/ Committee, but are exempted from registration process.

(6) Penal charges for violating provision of bye-law and not removing OMD after finishing of event shall be applicable on all OMDs defined under **Typology-D** and shall be charged on daily basis as decided by Municipal Council/ Committee.

13. OMDs for Landscape Advertisement (Typology ‘E’)

(1) Landscape OMDs are permitted on only Tree guards, to cover trees less than three years old and/ or height less than four metres.

(2) The tree guard shall be of square size with 1.2 to 1.5 metre side and height of 1.5 metres.

Serial no.	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
1.	Maximum space for OMD shall be square plates on each side of guard	<ul style="list-style-type: none"> ● Maximum length – equal to the width of guard ● Maximum height – 0.9 ● The bottom of OMD shall be 0.3 metre high from the ground.

14. Self-Advertisements (Typology ‘F’)

- (1) The content of self-advertisement is permitted only to the extent of office/ shop signage by the owner of the office/ shop. No third party advertisement shall be permitted on/ along self-advertisement.
- (2) Self-advertisement is permitted only on 2% of the total area of facia/ facade of the building, in form of bill board, walls wrap. If the owner utilizes more than 2% of total area for self-advertising, then it shall be considered under categories defined in **Annexure-5** and accordingly applicable charges shall be levied.
- (3) In case of shops, the height of self-advertisement board is limited to one metre and width shall be limited to width of building, installed above the lintel height of shop. In shopping complex, all shops shall maintain the uniformity in clear height of self-advertisement board.
- (4) The self-advertisement board shall not project beyond 150mm from the face of building.
- (5) Self-advertisement by hawkers on stationary kiosk or handcart is limited to 3 square metres with dimension of 3 metres x 1 metre.
- (6) Self-advertisement for rickshaw is limited to 1.5 square metres with 1 metre x 0.5 metre panel of back and both side of rickshaw.
- (7) Ground OMD shall not be permitted on ROW and pedestrian pathway.
- (8) Size of ground OMD shall be 0.3 square metres for every meter distance away from ROW, with maximum size limited to 2 square metres with size 2 metre x 1 metre.
- (9) On petrol pumps, only self-advertising of Oil Company’s Product or public messages are permitted, as per contract agreement between the Oil companies and distributors. 3rd party commercial advertisement is not permitted.

15. Innovative OMD’s (Typology ‘G’)

- (1) Specific permission shall be required to be obtained for Innovative OMDs such as LED, LCD, inflatable or Gas Balloon and other such media.
- (2) This approval shall be for specified duration, and shall be in terms of **bye-law 6**.
- (3) While driving the drivers glance from road to read the content of sign, and then glance back on road. LED signs (without colour changes) are acceptable format of advertisement on building façade, since these are expected to be representing specific brand names and do not contain high visual information.
- (4) LCD / LED screens which typically contain high graphic and visual images shall be restricted to market areas, parking places, parks, walkways, primarily not facing vehicular movement of traffic.
- (5) Use of OMDs for distribution of Wi-Fi hotspots, mobile telephony antennae/ towers shall be permitted, based on specific project report.
- (6) Besides aforesaid, other criteria shall be:
 - (i) Frequency and extent of movement and colour change within a display.
 - (ii) OMD shall be installed only where the required sign viewing time does not result in a safety problem for the particular environment.
 - (iii) There is adequate advance visibility to read the sign.
 - (iv) The environment is free from driver decision points and there is no competition with official traffic signs.
 - (v) The device is not a moving Outdoor Media Device.
 - (vi) Long duration display periods are preferred in order to minimize driver distraction and reduce the amount of perceived movement. Each screen shall have a minimum display period of 8 seconds. The time taken for consecutive displays to change shall be within 0.1 seconds.
 - (vii) The complete screen display shall change instantaneously. Methods of display change such as 'fly in' or 'scroll', or any other type of message change, are not recommended.
 - (viii) Sequential message sets are not allowed.
 - (ix) The time limits may be reviewed periodically.
- (7) The gas balloons or inflatable OMDs shall be granted permission on following criteria, namely:-
 - (i) The gas balloons OMD shall be installed/ hooked in open area and to the ground with fixed anchor.
 - (ii) NOC shall be taken from Fire Officer, with regard to its fire safety.
 - (iii) Gas balloons OMDs are not permitted near/ around high rise building/ high voltage lines/ electricity towers and its distance from the nearest building/ High Voltage lines/ electricity towers shall be 1.5 times the total height of gas balloon.
 - (iv) Inflatable OMDs shall be inflate with air (any kind of gas is not permitted).
- (8) The policy shall be open for adopting new technologies provided they do not contravene any general permission criteria, and shall also be approved by the Municipal Council/ Committee. The permission shall be taken from the Municipal Council/ Committee before implementing any such mediums.

16. OMDs inside commercial and public building (Typology ‘I’)

- (1) All OMDs installed within a premises (not facing any public street/ road), for display to users of building are required to obtain permission from municipality, on payment of applicable charges.
- (2) OMDS installed within premises not facing any public road/ street do not possess any distraction to moving traffic and therefore no parameters have been defined with respect to size and location of such OMDs.
- (3) In no case, such OMDs shall face to public view, traffic/ pedestrian from public street/ road and any adjacent building.
- (4) All such OMDs installed on columns, beams, ceiling, etc. via hanging cable or affixed shall comply with structural safety and other safety parameters to public.

- Note: If an OMD installed within a premise and toward building within the premise, but also visible from buildings on adjacent plots, shall be considered under Typology-I, in following circumstances:
- i. The angle of OMD surface (Horizontal or Vertical) towards the building on adjacent plot shall be at 45 degree ($\pm 5\%$ variation allowed);
 - ii. The distance of OMD from the building on adjacent plot shall not be less than fifty metres.

17. Permission criteria

- (1) All on premises OMDs/ business/ trade signs shall be restricted to commercial areas and authorized business/ trade establishments within institutional areas.
- (2) OMDs are permitted to install at vacant plot, subject to fulfillment of conditions for permission and distance parameters specified in the bye-law are complied with.
- (3) OMDs are not permitted in residential areas. However, OMDs in commercial component (i.e. neighborhood market place) in residential area are permitted. OMDs shall strictly face the market only and in no circumstance shall face residential area.
- (4) Illuminated-On premise OMD is not permitted in shops/commercial establishments facing residential areas on streets with width less than twelve meters.
- (5) No OMD shall be attached in any way to trees or shrubs.
- (6) No trade and business sign, messages, posters or printed material of any nature shall be pasted onto any supporting column, pillar or post.
- (7) On premise OMD in any form shall not obstruct any pedestrian movement (vertically and laterally), fire escape, door or window openings
- (8) On premise OMD shall not in any form or manner interfere with openings required for light and ventilation.
- (9) Under no circumstances shall on premise OMD be located to obstruct or alter the frontal silhouette of any transparent/ translucent surfaces/ openings.
- (10) Non-illuminated transparent/ translucent signs shall be permitted on transparent/ translucent external surfaces at any level, subject to height defined in clause 11 of schedule 11,
- (11) No trade and business sign shall be in any form or manner interfere with fire safety transit/ exit space requirements and prescribed norms.
- (12) All on premise Outdoor Media Device shall under no circumstances reflect activity/ activities other than those undertaken within the premises (for self-advertising only).
- (13) No OMD shall contain additional Advertising -promoting products or services other than approve use of the premises or site irrespective of whether that product or service is provided, sold or available on the site (for self-advertising only).
- (14) All on Premise OMD shall have the compulsory required information as under:
 - (i) Name of the trade and business
 - (ii) Shop/Premise number
- (15) All on premise OMD shall conform to the prevailing laws with regard to decency, decorum, social harmony etc.
- (16) All the OMD shall be visually interesting and exhibit a high level of design quality.
- (17) All on premise OMD must conform to structural/ architectural discipline of the surface/ edifice/ building/ open areas.
- (18) The scale and location of a sign shall be compatible not only with the building to which it is affixed but also take into consideration nearby buildings, streets and existing signs.
- (19) Materials used in all on premise OMDs shall be non-polluting, fire resistant and injury proof.
- (20) Any new sign Media Device shall consider existing signs on a building, site or adjoining streetscape to ensure that the sign does not give rise to visual and/ or physical clutter.
- (21) The cabling and conduit shall be concealed from view of the sign and any supporting structure from all angles, including visibility from the street level and nearby higher buildings and against the skyline.
- (22) No sign under any circumstances shall be supported from, hung or placed on other signs. Each sign shall be self-supporting or fixed securely with the architectural structure.
- (23) Signs painted on or applied on the roof of a building are not permitted. Signs built and/ or suspended from the roof at the roof level are also not permitted.
- (24) OMD on the rooftop of building is not permitted.
- (25) OMD on building surface in no circumstance shall project beyond the width of building.
- (26) OMDs shall not be put up on overhead traffic signs, ground mounted traffic signs, overhead traffic signals, and ground mounted traffic signals.
- (27) OMDs are not permitted on telephone/ electric poles/ transformers/ High Transmission line towers.
- (28) OMD shall not be allowed to install within One Hundred meters of a construction zone of roadwork site, where construction is going on.
- (29) The sign information shall be kept to a minimum in the interest of both aesthetics and traffic safely.
 - (i) Where subordinate information is allowed, the name or use of the business shall be the dominant message on the sign- No supplementary (as in bylines, product specifications, and selling propositions) and subordinate information (addresses, telephone numbers, and other such details) which seeks the attention of drivers along vehicular stretches shall be allowed as they present a traffic hazard.
 - (ii) Sign shall be non-reflective such that they do not flash or glare at drivers on the streets. Signs shall not use reflective surfaces as mirror foils etc. as the use of such material are visually disruptive to traffic and may be hazardous to oncoming drivers.
 - (iii) All permitted signs shall attract levies payable as outlined by the municipality.
 - (iv) In no case, OMD shall project over the ROW and pedestrian pathway.
- (30) Where these bye-laws are silent, provisions stated in **IRC-46-1972** "A Policy on Roadside Advertisement" shall be referred.

18. Acknowledgement OMDs.

(1) Acknowledgment OMD shall not contain contact information, directions, slogans, telephone numbers, or internet addresses. It shall have their acknowledgment logo placed on an Acknowledgment OMD. The acknowledgment logo shall be less than one-third of total OMD surface area specified below.

(2) Acknowledgment OMD on green lawns, landscaped islands, pedestrian/ cyclist pathway and central medians shall be restricted to 0.2 square metres area plate, and their spacing shall not be less than fifteen meters at a road

(3) With speed less than 50km/h. If it is on roundabouts then spacing of twenty metres along installed perimeter length shall be taken and standard dimension board of 800mm and 250mm shall be installed. The installed sign shall not obstruct the view of any directional/ diversion/ warning sign. Such signages are qualified as Acknowledgement Signs and shall contain acknowledgment of sponsor only and no third party advertisement shall be permitted.

(4) Acknowledgement sign shall not be installed on the front or back of, adjacent to, or in close proximity to any other traffic control device, including traffic signs. At key decision points where a road user's attention is more appropriately focused on other traffic control devices, roadway geometry, or traffic conditions, including exit and entrance ramps, intersections, highway-rail grade crossings, toll plazas, temporary traffic control zones, and areas of limited sight distance. The minimum spacing between acknowledgment signs shall not be less than 25metres at a road with speed less than 50km/hr.

19. Marquee OMD (Hangs from canopy projecting from the building) shall not be more than 2 meters in height and its bottom shall be 2.5 meters above the footpath.

Arun Kumar Gupta,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.